लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र
Thirteenth Session]

[खंड 48 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XLVIII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 16—गुरुवार, 25 नवम्बर, 1965/4 अग्रहायण, 1887 (शक)

No. 16—Thursday, November 25, 1965/ Agrahayana 4, 1887 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
446	अंग्रेजों की मूर्तियां हटाना	Removal of Statues of Britishers .	1391–94
447	वित्त मंत्री की रूस और चेको-स्लोवाकिया की यात्रा	Finance Minister's visit to Russia and Czechoslovakia . .	1394–95
448	पर्वतीय क्षेत्रों का विकास	Development of Hill Areas	1395–96
449	छिपाया हुआ धन	Unaccounted Money . .	1317–99
451	बिजली की सप्लाई के लिये समान दर	Uniform Rates for Supply of Electricity	1399–1401
452	बीमा व्यापार	Insurance Business . . .	1402
471	बीमा संबंधी समस्याओं का अध्ययन	Study of Insurance Problems .	1402–03
453	पोलियो वेक्सीन	Polio Vaccine	1403–04
454	सिन्धु नदी जल आयोग	Indus Waters Commission . .	1404–05
455	सिंचाई को विद्युत् से प्राथमिकता	Priority for Irrigation over Power	1405–07
456	मध्य प्रदेश के संसद् सदस्यों से अभ्यावेदन	Representation from M. Ps. of Madhya Pradesh . .	1407–09
457	उच्च अधिकारियों का वेतन	Pay of High Officials .	1409–10

अल्प सूचना प्र० संख्या
Short Notice Question

3	केरल में बिजली मे कटौती	Electricity cut in Kerala . .	1410–12
4	पंजाब में कूपनलिका के लिये बिजली की सप्लाई	Supply of Eletricity for tabewells in Punjab	1450

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
450	ब्यास बांध परियोजना	Beas Dam Project .	1412–13
458	ब्रिटेन से ऋण	Loan from U.K.	1413–14
459	आवास कार्यक्रम	Housing Programme . . .	1414
460	बम्बई में तस्करी के माल की बरामदगी	Recovery of Smuggled Goods in Bombay	1414–15

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actuall asked on the floor of the House by that Member.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
461	गांवों में बिजली लगाना	Rural Electrification . .	1415–16
462	छोटी बचतों सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार समिति	Central Advisory Committee on Small Savings . . .	1416
463	उद्योगों के लिये लाइसेंस देने की नीति	Industrial Licensing Policy .	1417
464	ग्राम्य अर्थ व्यवस्था का विकास	Uplift of Village Economy.	1417
465	ग्राम्य क्षेत्रों में चलते फिरते बैंक	Mobile Banks in Rural Areas .	1317–18
466	विद्युत् परियोजनाओं के लिये उपकरण	Equipment for Power Projects .	1418
467	जीवन बीमा निगम के व्यापार में कमी	Fall in Life Insurance Corporation Business . . .	1418
468	योजना की क्रियान्विति के लिये विकेन्द्रीकरण	Decentralisation for Plan Implementation	1419
469	उड़ीसा को सहायता	Assistance to Orissa . . .	1419
470	केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों का दिल्ली से बाहर ले जाया जाना	Shifting of Central Government Offices from Delhi . .	1419
472	राज्यों में विद्युत् उत्पादन में कमी	Shortfall in Power Production in States	1420
473	पंजाब में बिजली की खपत में कटौती	Power Cut in Punjab . .	1421
474	कोयले का उत्पादन	Coal Production .	1421–22
475	खाद्य सम्बन्धी "पंच सूत्र"	'Pancha Sutra' on Food . .	1422–23
अता० प्र० सं० U. Q. Nos.			
1250	भारतीय चिकित्सा परिषद्	Medical Council of India . .	1423
1251	"वाटरमार्क" वाले कागज का उत्पादन	Production of water-mark paper	1423–24
1252	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	Public Sector Industries .	1424
1253	गोदावरी एनीकट सम्बन्धी समिति	Committee on Godavari Anicut	1424–25
1254	तुंगभद्रा उच्च स्तर नहर	Tungabhadra High Level Canal	1425
1255	अतिरिक्त क्षेत्रों की सिंचाई	Irrigation of additional areas	1425
1256	सिद्धपुर सिंचाई परियोजना	Siddapura Irrigation Project .	1426
1257	महाराष्ट्र में सिंचाई परियोजनायें	Irrigation Projects in Maharashtra	1426–27
1258	महाराष्ट्र में ग्रामीण जल सम्भरण योजनायें	Rural Water Supply Schemes in Maharashtra	1427
1259	सेलम जिले में सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा छापे	Customs raids in Salem District	1227

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1260	दक्षिण अरकाट में वस्तुओं का चोरी छिपे आना-जाना	Smuggling in South Arcot	1428
1261	महाराष्ट्र में जीवन बीमा निगम द्वारा विनियोजन	L. I.C. Investment in Maharashtra	1428
1262	बीस रुपये के नोट	Currency notes of Rs. 20 Denomination	1428–29
1263	उत्तर प्रदेश में जीवन बीमा निगम द्वारा विनियोजन	L. I. C. Investment in U.P. .	1429
1264	केरल में बिजली संबंधी सब-डिवीजनें	Electrical Sub-Division in Kerala	1430
1265	सिक्यूरिटी प्रिंटिंग प्रेस, नासिक के कर्मचारियों के लिये अस्पताल	Hospital for Workers of Security Printing Press, Nasik . .	1430
1266	आय-कर तथा सम्पदा शुल्क की बकाया राशि	Income Tax and Estate Duty Arrears	1430–31
1267	राजस्थान में चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मचारी	Medical and Health Personnel in Rajasthan	1431
1268	सेवाग्राम में मेडिकल कालिज	Medical College at Sevagram .	1431
1269	दामोदर घाटी निगम का विद्युत् प्रशुल्क	D. V. C. Power Tariff	1431–32
1270	बिहार और पश्चिम बंगाल में तापीय बिजली घर	Thermal Power Stations in Bihar and West Bengal . .	1432
1272	आवास परियोजनायें	Housing Projects . .	1432–33
1273	बीस वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों में रतिज रोग	V.D. among Teenagers .	1433
1274	असिस्टैन्टों का वेतन-क्रम	Pay Scales of Assistants .	1434
1275	डिसपेच राइडर्स का वेतन क्रम	Pay Scales of Despatch Riders .	1434
1276	पंजाब में भारी उद्योग	Heavy Industries in Punjab	1435
1277	कैंसर का इलाज	Cancer Treatment . .	1435
1278	दिल्ली में सड़कों को चौड़ा करना	Widening of Roads in Delhi .	1435–36
1279	दिल्ली में खाली भूमि पर खेती	Cultivation of Vacant Land in Delhi	1436
1280	जीवन बीमा निगम का प्रीमियम	L. I. C. Premia	1437
1281	फसल की क्षति	Loss of Crops . .	1437
1282	तुंगभद्रा नदी का जल	Tungabhadra Waters . .	1437–38
1284	दिल्ली में अनधिकृत निर्माण	Unauthorised Constructions in Delhi	1438
1285	राज्यों में पूंजी निवेश	Capital Investment in States .	1438–39
1286	कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में विश्व बैंक के दल के निष्कर्ष	World Bank's Team Findings on Agricultural Production .	1439

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1287	स्विटजरलैंड से ऋण	Swiss Credit .	1439
1288	भारत से पाकिस्तान को देय ऋण	Debts which India owe to Pakistan	1439
1289	राष्ट्रीय आय	National Income .	1440
1291	उड़ीसा की सिंचाई और बिजली की योजनायें	Irrigation & Power Schemes of Orissa	1440
1292	उड़ीसा को सहायता	Assistance to Orissa .	1441
1293	उड़ीसा में देहाती आवास	Rural Housing in Orissa .	1441
1294	उड़ीसा में देहाती औद्योगिक परियोजनायें	Rural Industrial Projects in Orissa	1441–42
1295	उड़ीसा में आयकर की बकाया राशि की वसूली	Income Tax Arrears Realised in Orissa	1442
1296	फरक्का बांध	Farakka Barrage . .	1442
1297	सरकारी क्वार्टर	Government Accommodation	1442–43
1298	नीमच में नया अल्कोलाइड कारखाना	New Alkoloid Factory at Neemuch	1443
1299	बम्बई में एक बैंक लॉकर से पकड़ी गई घड़ियां	Watches seized from a Bank Locker in Bombay . .	1443–44
1300	रिजर्व बैंक में नोटों का बदला जाना	Exchange of Notes at Reserve Bank of India . . .	1444
1301	येन ऋण के अन्तर्गत करार	Contracts under Yen Credit	1444–45
1303	कार्यालयों का नागपुर में स्थानांतरण	Shifting of Offices to Nagpur	1445
1304	सरकारी क्वार्टरों का किराया	Rent Charged on Government Accommodation . . .	1445–46
1305	गर्भ निरोध औषधि	Birth Control Drug .	1446
1306	मेडिकल कालिज, अलप्पी	Medical College, Alleppey	1447
1307	राज्यों से बकाया ऋणों की वसूली	Recovery of Outstanding Loans from States	1447
1308	कर्मचारी संघों के लिये स्थान का नियतन	Allotment of Accommodation to Employees' Unions . .	1448
1309	उत्तर प्रदेश के पहाड़ी प्रदेश का विकास	Development of Hill region of U.P	1448
1310	नेफा के लिये बिजली का लक्ष्य	Power Target for NEFA . .	1448–49
1311	दिल्ली में सरकारी क्वार्टर	Government Accommodation in Delhi	1449–50

विषय		पृष्ठ
	SUBJECT	PAGES
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling attention to a Matter of Urgent Public Importance—	
पाकिस्तानियों द्वारा आसाम में गांवों का जलाया जाना—	Burning of villages in Assam by Pakistanis—	
श्री हेम बरुआ	Shri Hem Barua	1451
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	1451–53
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	1453
सभापति तालिका	Panel of Chairman	1453
वित्त मंत्री की सोवियत संघ और चेकोस्लोवाकिया की यात्रा के बारे में वक्तव्य	Statement Re : Finance Minister's Visit to U. S. S. R. and Czechoslovakia	1454–57
बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—चर्चा स्थगित	Banaras Hindu University (Amendment) Bill—Discussion adjourned—	
राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha—	
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती	Shri P. R. Chakraverti	1457
एकस्व विधेयक—	Patents Bill—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—	Motion to refer to Joint Committee—	
श्री जोकीम आल्वा	Shri Joachim Alva	1459–60
श्री त्रि० ना० सिंह	Shri T. N. Singh	1460–62
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (केरल), 1965–66—	Demands for Supplementary Grants (Kerala), 1965-66–	
श्री वारियर	Shri Warrior	1465
श्री मुहम्मद इस्माइल	Shri Muhammad Ismail	1465–66
श्री उ० मू० त्रिवेदी	Shri U. M. Trivedi	1466–67
श्री अ० व० राघवन	Shri A. V. Raghavan	1467
श्री रवीन्द्र वर्मा	Shri Ravindra Varma	1467
पिछडे वर्ग आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—	Motion re: Report of Backward Classes Commission—	
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachhavaiya	1468
डा० महादेव प्रसाद	Dr. Mahadeva Prasad	1469
श्री दे० जी० नायक	Shri D. J. Naik	1470
श्री सरजू पाण्डेय	Shri Sarjoo Pandey	1470

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्रीमती लक्ष्मी बाई	Shrimati Laxmi Bai . .	1471
श्री मौर्य	Shri Maurya . . .	1471
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain . .	1472
श्री बसुमतारी	Shri Basumatari . . .	1472–73
श्री मुथिया	Shri Muthiah . .	1473–74
श्री यमुना प्रसाद मंडल	Shri Yamuna Prasad Mandal	1474–75
श्री हजरनवीस	Shri Hajarnavis . . .	1475–76
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh .	1476
भारत के जीवन बीमा निगम के वार्षिक प्रतिवेदन के बारें में प्रस्ताव—	Motion re : Annual Report of Life Insurance Corporation—	
श्री ब० रा० भगत	Shri B. R. Bhagat	1477–78

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 25 नवम्बर, 1965/4 अग्रहायण, 1887 (शक)
Thursday, November 25, 1965/Agrahayana 4, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Removal of Statues of Britishers

***446. Shri Yashpal Singh :** **Shri Prakash Vir Shastri :**
Dr. Ram Manohar Lohia : **Shri Jagdev Singh Siddhanti :**

Will the Minister of **Works** and **Housing** be pleased to state :

(a) the reasons for not fulfilling the assurance given by the then Prime Minister in 1957 regarding the removal of all statues of Britishers from public places in the country; and

(b) when the assurance will be fulfilled by Government?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) and (b). It is the policy of Government to remove the statues gradually. Nine out of twelve statues in Delhi have already been removed. Removal of such statues outside Delhi concerns the State Governments.

Shri Yashpal Singh : May I know whether the Government have considered that the work regarding removal of statues of the Britishers might be entrusted to the S. S. P. so that it might lessen their work and the ambition of the S. S. P. might also be fulfilled?

Mr. Speaker : Why not the Hon. member himself take over this work?

Shri Yashpal Singh : If the Hon. Minister permits, I can also handle it.

Mr. Speaker : You may put on other question.

Shri Yashpal Singh : May I know whether the State Government has also been consulted in this regard and whether they have been asked as to when they would be able to remove these statues?

Shri Mehr Chand Khanna : We are not doing the work of the State Government here. That is done by the Delhi Administration.

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार यह समझती है कि अंग्रेज़ों की मूर्तियाँ हटा कर जिन में कुछ अच्छी कला कृतियाँ हैं, वह भारत के इतिहास से अंग्रेज़ों के अध्याय को समाप्त कर सकती है जो मेरी समझ में सरकार कभी नहीं कर सकती? सरकार इस कार्य के लिये इतनी जल्दी क्यों कर रही है?

श्री मेहरचन्द खन्ना : देश में सामान्य भावना यह है कि इनमें से कुछ मूर्तियाँ हटायी जाये। हम ने धीरे धीरे वह किया है। हम ने कुछ मूर्तियाँ हटा दी हैं और निकट भविष्य में कुछ औरों को भी हटाना चाहते हैं या इस कार्य के लिये कुछ समय लग सकता है। इन बुतों को किसी दूसरे स्थान या एक छोटे से पार्क में स्थापित करने का विचार है। परन्तु इरादा इनको हटाने का है।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : इस तथ्य को देखते हुए कि मुसलमानों के सब से बुरे तानाशाहों के नाम को जीवित रखा गया है और नई दिल्ली में विभिन्न बड़े बड़े मुहल्लों के नाम इन तानाशाहों के नाम पर रखे गये हैं .....

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न अंग्रेजों की मूर्तियों के सम्बन्ध में है।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : मैं उसी बात पर आ रहा हूं। इस को देखते हुए इन ऐतिहासिक चीजों को हटाने में केवल अंग्रेजों के बुतों से ही इतनी घृणा क्यों की जा रही है? मैं इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ। इन को क्यों हटाया जा रहा है? विशेषकर इन बुतों के लिये इतनी घृणा क्यों है?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उत्तर दिया है कि देश में लोगों की सामान्य भावना को देखते हुए यह फैसला किया गया है।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : आम लोगों की राय कहां है? यह राय संयुक्त समाजवादी दल की है, दूसरों की नहीं।

श्री मेहरचन्द खन्ना : दिल्ली में मुहल्लों के नाम रखने जाने का काम स्थानीय निकायों का है।

श्री शिंकरे : माननीय मन्त्री ने अभी बताया है कि कुछ बुत हटाये जा रहे हैं। इस का अर्थ यह है कि बुतों को हटाने की भी कुछ कसौटी है, यदि हां, तो वह कसौटी क्या है?

श्री मेहरचन्द खन्ना : मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है। मैंने जो कुछ कहा वह यह था कि 12 में से 9 मूर्तियां हटायी गयी हैं और शेष तीन धीरे धीरे हटाये जायेंगी।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री ने 'कुछ मूर्तियाँ' शब्दों का अवश्य प्रयोग किया था इस लिये मेरा भी ख्याल यही था कि कुछ को नहीं हटाया जायेगा।

श्री मेहरचन्द खन्ना : हो सकता है गलती से ऐसा हो गया हो।

श्री शिंकरे : क्या अंग्रेजो की सभी मूर्तियां इस कारण से हटा दी जायगी कि वे अंग्रेज थे...

अध्यक्ष महोदय : वह कहते है कि सभी बुतों को हटा दिया जायेगा।

श्री शिंकरे : यदि लन्दन या यूरोप के दूसरे स्थान से महात्मा गांधी के बुत को हटा दिया गया तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी? **(अन्तर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह नहीं है।

श्री शिंकरे : वहां पर अंग्रेज भी हैं और अमरीकन भी.... **(अन्तर्बाधा)**

एक माननीय सदस्य : जितनी जल्दी सम्भव हो सके इन बुतों को हटाया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यह लड़ाई क्यों। इस की कहीं तो समाप्ति होनी चाहिए।

श्री शिंकरे : वह इन को हटा रहे हैं .....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को अपने आप को हटाये जाने से बचाना चाहिए।

Shri D. N. Tiwary : The Hon. Minister has just now stated that these statues will be kept at another place, May I know the place which has been selected for this purpose and whether public opinion there will not be saved?

Shri Mehr Chand Khanna : The fact is that some statues have already been removed and some are being removed.

Shri D. N. Tiwari : Where they will be kept?

Shri Mehr Chand Khanna : Please try to listen. Some statues have been taken by those who had some relation with them. Some have been kept in the museum and as regards others our idea is to instal them in some park.

Shri D. N. Tiwary : Which is that park?

श्री कपूर सिंह : मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे प्रश्न का 'हां' या 'नहीं' में विशिष्ट उत्तर दिया जाये कि क्या अंग्रेजों के बुतों को सार्वजनिक हित के किसी युक्तिपूर्ण आधार पर हटाया और विकृत किया गया है या यह एक असंयत-संकुल का कार्य है?

अध्यक्ष महोदय : किसी प्रश्न का 'हा' या 'नहीं' में उत्तर देना सदा सम्भव नहीं होता।

श्री मेहरचन्द खन्ना : मेरा विश्वास है कि यह प्रश्न 7 या 8 वर्ष पूर्व इस सभा के सामने उठाया गया था और तब उस समय के प्रधान मन्त्री, श्री जवाहर लाल नेहरू ने एक वक्तव्य दिया था। उस वक्तव्य के अनुसरण में ही यह कार्यवाही की जा रही है।

श्री बसुमतारी : इस पर ब्रिटिश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

अध्यक्ष महोदय : आप को उस की क्यों चिंता है।

श्री वासुदेवन नायर : हाल के हिन्दुस्तान-पाकिस्तान के झगड़े और ब्रिटेन के शासकों द्वारा अपनाये गये भारत विरोधी रवये के देखते हुए क्या सरकार ब्रिटेन के भतपूर्व शासकों के बुतों को कम से कम राजधानी से शीघ्रता से हटाने पर विचार कर रही है?

अध्यक्ष महोदय : वे इस सुझाव पर विचार कर सकते हैं।

Shri Bade : The Hon. Minister has just now told that some statues have already been removed. A statue has been removed from the South Avenue but its pedastal is still there. May I know whether the Government is considering to instal there the statue of Netaji Subhash Chandra Bose or any other Indian leader, if so, by what time this work will be completed?

Shri Mehr Chand Khanna : So far as the pedastal is concerned I am not in favour of removing it but any inscription thereon will be erased. The Committee set up for the purpose will consider where a statue of a particular leader is to be installed.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि इन बुतों को हटाने में जो अत्यधिक विलम्ब हुआ है उस से कुछ लोगों ने उत्तेजित होकर इन बुतों को तोडफोड दिया है और इस लिये सरकार को इन बुतों को शानदार तरीके से हटाना चाहिये?

श्री मेहरचन्द खन्ना : हमारा इरादा इसी प्रकार इन बुतों को हटाने का है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार को मालूम है कि ब्रिटेन में भारतीय नेताओं जैसे लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, राजाराम मोहन राय, और शायद कुछ दूसरों की भी बहुत सुन्दर मूर्तियाँ या स्मारक है और मेरा विश्वास है कि उन को अभी तक किसी 'वैंडल'(Vandal) के हाथों ने स्पर्श नहीं किया है और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सभी अच्छे, और बुरे बुतोंको जैसा कि माननीय मन्त्री ने बताया, हटाने का है यदि हां, तो इस के क्या कारण है ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : इन बुतों को मनमाने ढंग से नहीं हटाया जा रहा है । यह कार्य केवल दिल्ली तक ही सीमित है और हम इस को बड़े शानदार तरीके से कर रहे है ।

श्री हरि विष्णु कामत : माननीय मन्त्री को अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करना चाहिए ।

श्री मेहरचन्द खन्ना : माननीय सदस्य अधीर हो जाते है ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं अधीर नहीं हूं । मैं ने कहा है कि उन को मुझे नहीं अपितु अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : जब माननीय सदस्य कोई प्रश्न करते है तो उन को उत्तर भी सुनना चाहिये ।

श्री मेहरचन्द खन्ना : गत 7 या 8 वर्षों में हम केवल 9 मूर्तियाँ हटा सके हैं । इस बातसे यह स्पष्ट है कि हम इन को हटाने के लिये अत्यधिक उत्सुक नहीं है । हम कुछ भेद भाव भी कर रहे हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या आप इस उत्तर से संतुष्ट हैं ? मैंने 'मन माने ढंग' शब्दों का प्रयोग किया था, न कि 'अभद्र' ।

अध्यक्ष महोदय : मैं चर्चा की आज्ञा नहीं देता ।

वित्त मंत्री की रूस और चैकोस्लोवाकिया की यात्रा

+

***447. श्री दी० चं० शर्मा :**	**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री म० ला० द्विवेदी :	**श्री कपूर सिंह :**
श्री स० चं० सामन्त :	**श्री दे० द० पुरी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :	**श्रीमती मैमूना सुल्तान :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :	**श्री किशन पटनायक :**
श्री मधु लिमये :	**श्री हिंमतसिंहका :**
श्री यशपाल सिंह :	**श्री रामेश्वर टांटिया :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने सोवियत संघ और चेकोस्लोवाकिया की सरकारों के निमंत्रण पर हाल ही में उन देशों की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो यात्रा का क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां।

(ख) चेकोस्लोवाकिया और सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ के दौरे के बारे में, लोक-सभा में प्रश्न-काल के दुरन्त बाद के वक्तव्य दिया जायेगा।

श्री दी० चं० शर्मा : वक्तव्य से मुझे मालूम हुआ.....

अध्यक्ष महोदय : क्यों न पहले वक्तव्य हो जाये फिर प्रश्न किये जाये।

श्री म० ल० द्विवेदी : विवरण पहले ही हमें मिल चुका है।

अध्यक्ष महोदय : मैं वक्तव्य हो जाने के बाद सदस्यों को कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा।

पर्वतीय क्षेत्रों का विकास

+

*448. **श्री यशपाल सिंह** :

श्री मधु लिमये :

श्री बागड़ी :

क्या **योजना** मंत्री 23 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2736 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के सम्बन्ध में राष्ट्रीय विकास परिषद् की सिफारिशों पर इस बीच पूर्णत: विचार कर लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण है ?

(ग) कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

योजना मंत्री (श्री बलिराम भगत) : (क) से (ग) : सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक कर्णधार समिति जिसमें सम्बन्धित मंत्रालयों के सचिव हैं, नियुक्त की गई है।

Shri Yashpal Singh : May I know whether there is any scheme for Barahati Area so that it might be developed and also the enemy may be kept away from it?

Shri B. R. Bhagat : It is meant for all the hill areas.

Mr. Speaker : Is the Hon. Minister aware of any scheme in regard to Barahati area?

Shri B. R. Bhagat : At present, I do not have any information about that. But steering Committee will consider that also.

Shri Yashpal Singh : May I know whether any steps are being taken for the development of region of Kangra and Himachal Pradesh?

Shri B. R. Bhagat : Kangra and Himachal Pradesh are already there under the Scheme.

श्रीमती सावित्री निगम : इस समिति के समक्ष विचारणीय विषय कौन कौन से हैं और यह समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट और योजनायें जिन्ह बाद में कार्यान्वित किया जायेगा कब तक पेश कर देगी?

श्री ब० रा० भगत : स्थूल रूप से, वे विषय इस प्रकार हैं :—

कृषि, खादी, ग्रामोद्योग और लघु उद्योग, शिक्षा आदि संबंधी विभिन्न कार्यकारी दलों को इन क्षेत्रों के लिये अभी सिफारिशें पेश करनी है। यह समिति इन सिफारिशों की जाँच करेगी और चौथी योजना के लिये कार्यक्रमों का सुझाव देगी और तभी इन क्षेत्रों में प्राथमिकता निर्धारित की जायगी और अध्ययन के बाद वह योजना आयोग को सिफारिश करेगी।

श्री हेमराज : चूंकि इन में से अधिकतर क्षेत्र अलग अलग राज्यों में हैं क्या केन्द्रीय सरकार कार्यकारी दलों की रिपोर्टें प्राप्त हो जाने के बाद इन क्षेत्रों का विकास के लिये कोई विशेष धन नियत करेगी ?

श्री ब० रा० भगत : निश्चय ही, सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात् इस पर विचार किया जायेगा।

Shri Vishram Prasad : A large scale programme for research and growth of fruits can be started in the hill areas. May I know whether there is also a suggestion before the Committee that there should be a large scale programme for the development of horticultural and growth of fruits in the hill areas and that it would consider over it?

Shri B. R. Bhagat : The working group on agricultural programme has recommended this and it would come before this Committee.

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या संबंधित राज्यों को इस बारे में जानकारी दी जा रही है या उन को इस समिति में प्रतिनिधित्व दिया गया है विशेषकर इस तथ्य को देखते हुए कि वे चौथी पंच-वर्षीय योजना के लिये योजनाय बना रहे हैं और जब यह योजनायें तैयार हो जाये तो बाद में इन में कोई आपत्ति न हो।

श्री ब० रा० भगत : राष्ट्रीय विकास परिषद की उप-समिति की सिफारिशों के फलस्वरूप ही यह समिति बनाई गई थी और इस में आसाम, हिमाचल प्रदेश और कुछ दूसरे राज्यों के मुख्य मन्त्री इस समिति में है और कर्णधार समिति यह काम कर रही है।

श्री रंगा : क्या इस समिति में असम के पहाड़ी आदिमजाति क्षेत्रों के विकास के बारे में भी विचार होगा और क्या कोई अन्तिम निर्णय करने से पूर्व, जो सदस्य इन क्षेत्रों से चुने गये हैं उन से भी परामर्श किया जायेगा ?

श्री ब० रा० भगत : जी हां, इरादा यही है। इस के लिये वहाँ एक और आयोग है जिसके प्रमुख श्री पाटस्कर है, वह इस प्रश्न पर विचार करेगा और अपनी सिफारिश देगा।

श्री दे० जी० नायक : इन क्षेत्रों में अनुसूचित आदिम जातियों को तथा पिछड़े हुए लोग रहते हैं। इन अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये क्या कदम उठाये जायेंगे ताकि इन के साथ सामाजिक और आर्थिक तौर पर न्याय हो सके ?

श्री ब० रा० भगत : कर्णधार समिति इन सब मामलों पर विचार करेगी ?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : There are two problems of the people of hill areas i. e. education and land. I would like to know whether any suggestion in this regard has been submitted to this committee and whether this committee would submit its report by the end of this year in respect of all the suggestion which have been put before this committee.

Shri B. R. Bhagat : These details are being worked out for the Fourth Five Year Plan. As I have stated, there was a sub-committee of N. D. C. which included all the Chief Ministers of the concerned States. All the reports of the working groups are yet to be received. This Committee will make its recommendations after going into these reports.

छिपाया हुआ धन

+

*449. श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री मधु लिमये :
श्री राम सेवक यादव :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दलजीत सिंह :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री वारियर :
श्री दाजी :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री योगेंद्र झा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री न० प्र० यादव :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री धर्मलिंगम :

क्या वित मंत्री छिपाये हुए धन के सम्बन्ध में 23 सितम्बर 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2702 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर तथा अक्तूबर 1965 के महीनों में देश भर में कुल कितनी छिपाई हुई धनराशि का पता लगाया गया; और

(ख) काले धन का पता लगाने की प्रगति को बढ़ाने के लिये क्या अग्रेतर कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार किया गया है ?

वित मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) 26,84,430 रुपये ।

(ख) हिसाब किताब से बाहर रखे गये धन का पता लगाने की समस्या की निरन्तर समीक्षा की जाती है और इस सम्बन्ध में सभी सम्भव कदम उठाये जा रहे है ।

Shri Yashpal Singh : How much unaccounted money was seized during the recent raids in Calcutta?

Shri Rameshwar Sahu : About one crore of rupees.

Shri Yashpal Singh : Is it not a fact that with the introduction of new Bill under which a concession of sixty per cent has been given, this work has slackened and big business houses have stopped giving money?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) : The new disclosure scheme is in force and will be applicable upto 31st March 1966.

श्री वारियर : क्या सरकार ने छापों के दौरान जिन व्यापार-गृहों को दोषी पाया है उनको काली सूची में दर्ज कर दिया है ; यदि हां, तो लाइसेंस तथा ठेके देने से वंचित करने के लिये कितने ऐसे गृहों को काली सूची में दर्ज कर दिया गया है ?

श्री ब० रा० भगत : ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

श्री दी० चं० शर्मा : छिपाये गये धन के मामले में छोटे बड़े हर प्रकार के लोग हैं । सरकार दो महीनों में केवल कुछ लाख रुपये का ही क्यों पता लगा सकी है जबकि आयकर अधिकारी कभी भी खाता पुस्तकों की जांच कर सकते हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : आयकर विभाग यह कार्य केवल जानकारी प्राप्त होने पर ही कर सकता है । अन्य विषयों के मामले में जहां पर सन्देह हो अर्थात जहां धन का ठीक प्रकार से ब्यौरा न दिया गया हो, सामान्य प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है ।

श्री रामेश्वर टांटिया : माननीय उपमंत्री ने अभी कहा है कि कलकत्ता के हाल के एक छापे में एक करोड रुपया पकड़ा गया है .....

अध्यक्ष महोदय : आप को मंत्री, उपमंत्री या संसद सचिव में अन्तर नहीं समझना चाहिये । नियमों के अर्न्तगत वे सभी 'मंत्री' शब्द में आते हैं ।

श्री रामेश्वर टांटिया : मैं जानना चाहता हूं कि यह एक करोड रुपया कैसे था, क्या नकद था या हुंडियों या किसी और रुपमें ?

श्री रामेश्वर साहू : ब्यौरे बताना कठिन है ।

Shri Brij Bihari Mehrotra : I want to know whether the names of those from whom this black money has been seized would be published.

Shri B. R. Bhagat : The recent reaid was conducted against 47 persons. I have not got the names of all of them.

Mr. Speaker : Does the Govt. propose to publish it?

Shri B. R. Bhagat : If you allow. I can place a statement on the table.

Mr. Speaker : I neither allow nor disallow any thing in this matter.

Shri Sheo Narain : I want to know whether Government propose to withdraw one hundred rupee and one thousand rupee currency notes to tackle the problem of black money.

Shri B. R. Bhagat : No, Sir.

Shri Yogendra Jha : May I know wehther the introduction of gold Bonds Scheme would slacken the Govt. efforts to unearth black money? Does the Govt. propose to slacken their efforts to facilitate people, as the black money was not coming forth in spite of their efforts?

Shri B. R. Bhagat : The recent raids were made in Calcutta at 47 places in November after the Gold scheme was introduced so, there is no slackening in Government; efforts for unearthing black money.

Shri Kashi Ram Gupta : May I know the person from whom maximum amount of money has been recovered, and the amount thereof and whether it includes gold?

Shri B. R. Bhagat : As I have said, I have no details with me.

Mr. Speaker : There is no need of going into details.

श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या केन्द्रीय सरकार को मालूम हुआ है कि मैसूर में बहुत बड़ी मात्रा में छिपा धन मिला है और वहां पर बेल्लारी में सिक्के बनाने की मशीनें भी मिली हैं ?

श्री ब० रा० भगत : हमें उसकी जानकारी नहीं है ।

श्री डा० रानेन सेन : क्या यह सच है कि कलकत्ते में छोटी फर्मों पर ही छापे मारे गये हैं और कलकत्ता या उसके आसपास बड़ी बड़ी फर्मों पर कभी कोई छापा नहीं मारा गया ?

श्री ब० रा० भगत : ये तलाशियां ठीक ठीक और निश्चित जानकारी के आधार पर ली जाती हैं। हम हर जगह तलाशी नहीं ले सकते ।

श्री हेम बरुआ : छिपा धन निकलवाने के सरकार के सभी प्रयत्न विफल हुए हैं तो क्या सरकार ने नई स्वर्ण बांड योजना इस लिये लागू की है कि बेईमानी और कर अपवंचकों को प्रोत्साहान मिले और यदि हां, तो क्या हम यह समझें कि यह सरकार की नैतिकता पर एक आक्षेप है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जिस धारणा पर प्रश्न आधारित है वह ठीक नहीं है और न ही उनका निष्कर्ष ठीक है ।

श्री फिरोडिया : कितने मामलों में छापे मारने के बाद भी कोई धन नहीं मिला ?

श्री ब० रा० भगत : कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं परन्तु उस के लिये मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

श्री अ० प्र० शर्मा : क्या सरकार को छिपे हुए कुल धन का कोई अनुमान है और क्या सरकार इस धन को गैर-कानूनी धन घोषित नहीं कर सकती ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यह बहुत कठिन है। यदि मुझे यह मालूम हो जाये कि कितना धन छिपा हुआ है और कहां है, तो वह छिपा नहीं रहेगा ।

अध्यक्ष महोदय : तब वह छिपा धन कैसे रहेगा ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : तब वह छिपा हुआ नहीं रहेगा ।

श्री सिंहासन सिंह : स्वर्ण अधिनियम पास होने के पश्चात सरकार की क्या स्थिति है ? क्या सरकार काला धन निकलवाने के अपने प्रयत्नों में ढिलाई करेगी और देखेगी कि छिपा धन रखने वाले कहांतक इस योजना के अनुसार काम कर रहे हैं ?

श्री ब० रा० भगत : छिपा धन निकलवाने के प्रयत्नों में सरकार कोई ढिलाई नहीं करेगी ।

बिजली की सप्लाई के लिये समान दर

*451. **श्री द्वा० ना० तिवारी :** क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सब राज्यों में समान दरों पर बिजली सप्लाई करने के लिये कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) क्या बिहार, विशेषतया उत्तर बिहार में किसानों को चालू वर्ष में बिजली की दरों में कोई रियायत दी गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) बिजली बोर्ड जिस क्षेत्र में बिजली सम्भरण करता है वहां कृषि के लिये बिजली का प्रयोग करने के लिये प्रत्येक राज्य में एकसम टैरिफ को लागू करने के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया गया है । अभी तक आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, मद्रास, राजस्थान, मैसूर, पंजाब और पश्चिम बंगाल के राज्य बिजली बोर्डों ने अपने अपने सम्भारण क्षेत्रों में सब जगह एकसम दर लागू किये हुए हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या मंत्री महोदय द्वारा अपने बजट भाषण में उल्लिखित यह लक्ष्य कि सभी राज्यों में बिजली की दरें एकसी कर दी जायेंगी, पूरा हो गया है ?

डा० कु० ल० राव : उन दस राज्यों में जिनका मैंने उल्लेख किया है, प्रत्येक राज्य में एकसी दर है। किन्तु ये दरें अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या इन राज्यों में एकसी दर लागू करने का प्रयत्न किया गया है ?

डा० कु० ल० राव : सरकार का लक्ष्य यही है। यह तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक आल इंडिया ग्रिड की स्थापना नहीं होती जहां से बिजली एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजी जा सकती है। इस समय हम प्रत्येक राज्य के अन्दर एकसी दर लागू करना चाहते हैं ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : माननीय मंत्री के बजट भाषण के अनुसार वह बिहार के किसानों को राज सहायता देंगे यदि वे उसके लिए आवेदन करे। क्या इस बारे में कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और राज-सहायता दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० कु० ल० राव : मैंने पहले ही कहा है कि बिहार को कोई राजसहायता नहीं दी गई है। उस राज्य ने कृषि संबंधी अत्यधिक उंची दर के कारण सहायता मांगी थी । इस विषय पर विचार हो रहा है और हमे आशा है कि अगले कुछ महीनों में हम निर्णय कर सकेंगे ।

श्री क० ना० तिवारी : उत्तरी बिहार में बिजली की दर सबसे ऊंची है और वहां अनाज की कमी है । क्या इन बातों को ध्यान रखते हुए सरकार देश के उस भाग के लिये कोई विशेष रियायत देगी ?

डा० कु० ल० राव : इस विषय में पुरे देश के बारे में सोचा जा रहा है ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि उत्तर प्रदेश की अर्थ व्यवस्था कृषि पर निर्भर है और वहां पर कृषि के लिये बिजली की दर बहुत ऊंची है ? माननीय मंत्री के आश्वासन के बावजूद दरों में कमी नहीं की गई है । क्या माननीय मंत्री उन्हें कम करने के बारे में कोई कार्यवाही करेंगे ?

डा० कु० ल० राव : यह ठीक है कि उत्तर प्रदेश में खेती के लिए दरें बहुत ऊंची हैं। सरकार इस पर गम्भीरता से विचार कर रही है ।

श्री प्र० के० देव : क्या यह सच है कि कल राज्य बिजली बोर्डों की बैठक में निर्णय किया गया है कि केन्द्रीय सरकार गांवों में बिजली लगाने की योजनाओं के लिये राजसहायता देगी; यदि हां, तो उस की रुप रेखा क्या है ?

डा० कु० ल० राव : यह देहातों में बिजली लगाने के बारे में है । यह एक अलग विषय है जो विचाराधीन है ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : क्या कुछ राज्यों में कई औद्योगिक निकायों को भी राजसहायता दी गई है ?

डा० कु० ल० राव : छोटे पैमाने के उद्योगों को सरकार ने 9 पैसे से ऊपर राजसहायता देना मंजूर कर लिया है । ठीक राशि मैं नहीं बता सकता ।

Shri Sarjoo Pandey : The Hon. Minister had stated that electricity rates were higher in Eastern U. P. Government had promised that electricity would be supplied at cheaper rates to Eastern U. P. after the completion of the Rihand dam may I know whether the rates would be reduced in U. P. in near future when electricity is being supplied at present from the Rihand Dam?

श्री बूटा सिंह : पंजाब के पड़ोसी राज्यों में उस राज्य की अपेक्षा बहुत कम दर पर बिजली दी जाती है। इस बातको देखते हुए क्या सरकार पंजाब के किसानों को अधिक अनाज पैदा करने के लिए कितनी राजसहायता देगी ?

डा० कु० ल० राव : पंजाब में दर ऊंची नहीं है। वहां कोई राज सहायता नहीं दी जा रही है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या यह सच है कि गांवों में बिजली लगाये जाने से केवल धनी वर्ग को ही लाभ हुआ है और यदि हां, तो वास्तविक कृषकों को लाभ पहुंचाने के लिये सस्ती दरों पर उन्हें बिजली देने की क्या सरकार की कोई योजना है ?

डा० कु० ल० राव : चौथी योजना में यही करने का विचार है। देहाती इलाकों में बिजली लगाने का उद्देश्य खेती के लिये पंप आदि के लिए बिजली पहुंचाना है और इसलिए राजसहायता जैसी सम्बध समस्याओं पर विचार किया जायेगा।

श्रीमती बिमला देशमुख : दुर्भिक्ष की स्थिति को ध्यान में रखते हुए तथा अधिक अनाज उपजाओ अभियान आगे बढाने के लिये क्या सरकार सिंचाई के लिये मुफ्त बिजली देगी ?

डा० कु० ल० राव : मुझे संदेह है कि वह मुफ्त नहीं होगी, परन्तु असामान्य स्थिति में जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, यदि कोई आवेदन आये तो उसपर विचार किया जा सकता है।

श्री लहरी सिंह : सरकार किसानों को, छोटे पैमाने के उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों को सस्ते दामों पर बिजली देने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

डा० कु० ल० राव : जैसा कि मैंने कहा है सरकार किसानों को एक निश्चित दर के बाद सहयाता देने के प्रश्न पर विचार कर रही है। इस पर विभिन्न मन्त्रालयों में विचार हो रहा है और आशा है शीघ्र ही कोई निर्णय हो जायेगा।

Shri M. L. Dwivedi : It has reported in newspapers that a Bill is being introduced in this session for bringing electricity rates in rural and urban areas at par. I want to know whether such proposal is under consideration if so, whether it would be introduced in this session?

डा० कु० ल० राव : यह ठीक है ; अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से संभवत: कल विधेयक पेश किया जायेगा।

डा० रानेन सेन : अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि कुछ राज्यों में जिसमें पश्चिमी बंगाल भी है, बिजली के दरें एकसी हैं। क्या सरकार को मालूम है कि पश्चिमी बंगाल में राज्य बिजली बोर्ड के अधीन दरें कलकत्ता नगर में प्रचलित दरों से बहुत ऊंची हैं, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

डा० कु० ल० राव : यह प्रश्न शहरी क्षेत्र को बिजली पहुंचाने के बारे में है। यह ठीक है कि कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कार्पोरेशन द्वारा ली जाने वाली दर राज्य बिजली बोर्ड द्वारा मांगी गयी दरों से कम हैं। यह इस लिये है कि कलकत्ता कार्पोरेशन ने अपना साजसामान बहुत पहले लगाया था और उस समय लागत बहुत कम थी। उस प्रकार उसे एकसा बनाने का विचार नहीं है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : प्रश्न संख्या 452। इसके साथ ही प्रश्न संख्या 467 तथा 471 भी साथ साथ लिये जाने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : यदि मन्त्री महोदय को उत्तर देना सुविधा जनक हो तो प्रश्न संख्या 471 भी ले लिया जाये।

बीमा व्यापार

*452. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री क० ना० तिवारी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कया सरकार ने सरकारी क्षेत्र में बीमा व्यापार में सुधार करने तथा इस के आधुनिकीकरण के लिए योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो जीवन बीमा के विकेन्द्रीकरण के लिये विचाराधीन प्रस्तावों की रूपरेखा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) और (ख) : जी, नहीं। सार्वजनिक उपक्रमों सम्बन्धी समिति की यह सिफारिश कि निगम को पूर्ण रूप से स्वायत्त निगमों में विभाजित कर दिया जाये, सरकार के विचाराधीन है ।

बीमा संबंधी समस्याओं का अध्ययन

*471. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री क० ना० तिवारी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रीमंडल के सचिव द्वारा बीमा सम्बन्धी समस्याओं के बारे में किये गये अध्ययन पर आधारित प्रतिवेदन का स्वरूप क्या है; और

(ख) उस के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) भूतपूर्व मंत्रिमंडल सचिव श्री एस० एस० खेडाने, जो जीवन तथा सामान्य बीमे की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये एक सदस्यीय दल के सभापति नियुक्त किय गये थे, अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि बीच के पदों जैसे डिविज़नल तथा ज़ोनल मैनेजर के पदों को समाप्त करने से सुधार हो सकता है ? स्थानीय यूनिट मैनेजर और केन्द्र के बीच अर्थात् ज़ोनल या डिविज़नल मैनेजर के मध्यस्थ पद नहीं होने चाहियें ।

श्री ब० रा० भगत : ये विषय कि एक या एक से अधिक कार्पोरेशन हो, डिविज़नल कार्यालय समाप्त किया जाय या नहीं और क्षेत्रीय कार्यालय का स्थानीय यूनिट से प्रत्यक्ष संबंध हो या नहीं, बहुत महत्व पूर्ण विषय है । इन पर एक सदस्यीय दल विचार करेगा । सरकार सभी पहलुओं पर विचार करेगी ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : अपनी धन लगाने सम्बन्धी नीति निर्धारित करते समय क्या जीवन बीमा निगम और सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अल्प आय वाले लोगों को विशेष रूप से आवास के विषय में सहायता दी जायेगी ?

श्री ब० रा० भगत : यदि मुझे ठीक याद है तो हमने उल्प आय वालों के लिये 50 करोड़ रुपया रखा था । उस में से केवल 5 करोड़ रुपया प्रयोग में लाया गया है । अल्प आय वालों के आवास के लिये धन की कमी नहीं है । वास्तव में जो रकम काम में लायी गयी है, वह कम है ।

Shri K. N. Tiwary : The Hon. Minister has said that it has far reaching importance. Keeping this in view may I know whether Government would advise the Corporation for its modernisation and streamlining?

Shri B. R. Bhagat : It is being done by decentralisation and by giving more powers to officers at lower levels. As regards the report of P. U. Committee, I had said that it was a question of far reaching importance and it should be examined in view of every aspect thereof.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या सरकार का इलेक्ट्रानिक कम्प्यूटर मशीनों को प्रयोग में लाने का विचार है जिससे जीवन बीमा निगम में रोज़गार के मामले में काफी आतंक मच जायेगा ?

श्री ब० रा० भगत : जी, नहीं। मैं इससे सहमत नहीं हूं। हम पहले ही आश्वासन दे चुके हैं कि इस कारण छंटनी नहीं होगी ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या सरकार का विचार इलेक्ट्रानिक कम्प्यूटरों को प्रयोग में लाने का है ?

श्री ब० रा० भगत : जीवन बीमा निगम इस पर विचार कर रहा है ।

श्री बड़े : प्रश्न संख्या 471 के बारे में, मैं जानना चाहता हूं कि बीमे की समस्याओं के बारे में भूतपूर्व मंत्रिमंडल सचिव ने किस प्रकार का अध्ययन किया है ? क्या सरकार को बेनामी एजेन्टों तथा विशेष रूप से महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार के बारे में शिकायतें मिली हैं ?

श्री ब० रा० भगत : वह एक विशिष्ट समस्या है । जीवन बीमा निगम इस समस्या के बारे में जागरुक है और इसे हल करने की कोशिश कर रहा है ।

पोलियो वैक्सीन

***453. श्री स० चं० सामन्त :**
श्री म० ला० द्विवदी :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय स्वच्छता तथा लोक स्वास्थ्य संस्था के महामारी विज्ञान के अध्यापकों से जीवन्त 'लाइव' (मुख से ली जाने वाली) पोलियो वैक्सीन के बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की संभाव्यता और वांछनीयता के संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय को अपनी अपनी राय देने के लिये कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो उन की राय क्या है; और

(ग) उन की राय के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) से (ग): एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

भारत सरकार ने इस देश में एक उपयुक्त विस्तृत निरापदीकरण कार्यक्रम चलाने के बारे में सरकार की सलाह देने तथा इस संबंध में क्या क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिय यह बतलाने के लिये 1961 में एक समिति नियुक्त की थी । अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं लोक स्वास्थ्य संस्थान कलकत्ता के महामारीशास्त्र के प्रध्यापक भी इस समिति के सदस्य थे ।

इस समिति का विचार था कि इस देश में पोलियो स्थानिकमारी है और शिशुओं और बच्चों को काफी छोटी अवस्था में ही इस रोग से प्रतिरक्षण मिल जाना चाहिये । किन्तु जब तक देश में काफी मात्रा में वक्सीन तैयार नहीं हो जाती सरकार को सामुहिक निरापदीकरण कार्यक्रम नहीं चलाना चाहिये अपितु इसे स्वेच्छा आधार पर उन व्यक्तियों को ही देना चाहिये जिन्हें हाल में ही यह रोग हो गया हो । सामुहिक रूप से टीका लगाने का काम महामारी नियंत्रण के लिये ही किया जाना चाहिये । सरकार ने उसकी यह सिफारिश मान ली है और देश में ही इस वैक्सीन के उत्पादन के लिये कदम उठा लिये हैं ।

श्री स० चं० सामन्त : विवरण में कहा गया है कि सरकार ने देश में पोलियो वैक्सीन बनाने के लिये 1961 में नियुक्त की गई समिति की सिफारिश मान ली है । क्या इसका कोई कारखाना स्थापित किया गया है और क्या इस रोग का बड़े पैमाने पर इलाज करने के लिये इस कारखाने की उत्पादन क्षमता काफी होगी ?

श्री पू० शे० नास्कर : जी हां, कुनूर में पास्चर इन्स्टीट्यूट और बम्बई में हाफकिन इन्स्टीट्यूट द्वारा बड़े पैमाने पर पोलियो वैक्सीन का उत्पादन करने का प्रबन्ध किया गया है । 1966 तक बड़े पैमाने पर उत्पादन किये जाने की संभावना है ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या किसी ऐसी आयुर्वेदिक औषधि के बारें में अनुसन्धान किया जा रहा है जो पोलियोमाइलाइटिस का इलाज कर सके ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : मुझे पोलियोमाइलिटिस की रोकथाम अथवा उपचार के लिये किसी आयुर्वेदिक औषधि की जानकारी नहीं है । किन्तु कुछ किस्म की आयुर्वेदिक औषधियों से पोलियो के परिणामस्वरूप होने वाले पक्षाघात का उपचार किया जा सकता है ।

Shri M. L. Dwivedi : Polio myelitis is wide spread in the country at present. May I know the arrangements made to check this disease till the country attains self-sufficiency in the production of Polio vaccine?

Dr. Sushila Nayar : We have been importing this Vaccine from U. S. S.R. and other countries. Children, whc come into contact with a particular patient are given vaccine.

Shri Yashpal Singh : Mahatma Gandhi was against the use of vaccine and the Hcn. Health Minister is his follower. May I know why this vaccine is being imported against Gandhiji's principles?

Dr. Sushila Nayar : Gandhiji had never opposed the use of Polio oral vaccine because it was not discovered during his life time.

सिन्धु नदी जल आयोग

*454. **श्री हेमराज :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री 26 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 212 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान द्वारा स्थायी सिन्धु आयोग की 21 मई, 1965 को होने वाली 18वीं बैठक में भाग लेने के लिये भारतीय प्रतिनिधि मंडल को सड़क द्वारा लाहोर जाने की अनुमति देने से इन्कार किये जाने के सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार से इस बीच कोई उत्तर प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हेम राज : क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल को सिन्धु नदी जल आयोग की बैठक में भाग लेने के लिये सड़क से लाहौर जाने की अनुमति इस लिये नहीं दी कि वे उस क्षेत्र में भारत के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहे थे और यह बात भारत सरकार को पाकिस्तानी आक्रमण के बाद मालूम हुई ?

डा० कु० ल० राव : सरकार को ठीक जानकारी नहीं है। किन्तु ऐसा मालूम पड़ता है क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने भारतीय प्रतिनिधि मंड़ल को आयोग की बैठक में भाग लेने के लिये सड़क से जाने की अनुमति नहीं दी ।

श्री हेम राज : पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल जब भारत आता है तो सीमा क्षेत्रों में जाता है । क्या सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल को सीमा क्षेत्रों में जाने की अनुमति न दी जाये?

डा० कु० ल० राव : जी, हां ।

श्री शामलाल सर्राफ : क्या यह सच है कि सिन्धु नदी जल सन्धि के अनुसार पाकिस्तान को दिये जाने वाले पानी का उपयोग केवल पीने तथा सिंचाई कार्यों के लिये ही किया जाना चाहिए ; यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि सन्धि की शर्तों के विरुद्ध किस प्रकार इस पानी को, इन्छोगिल नहर में डाल कर, प्रयोग में लाया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

डा० कु० ल० राव : यह बिल्कुल ही भिन्न प्रश्न है ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने भारत पर यह आरोप लगाया है कि भारत ने भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद वायदे के अनुसार उसे पानी नहीं दिया और यदि हां, तो इस आरोप में कितनी सचाई है और क्या सरकार राजस्थान में पानी की कमी को देखते हुए पाकिस्तान को पानी न देने के प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का दूसरा भाग सुझाव मात्र है और पहले भाग का मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

सिंचाई को विद्युत् से प्राथमिकता

+

*455. **श्री दी० चं० शर्मा :**

श्री हिम्मतसिंहका :

श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य स्थिति का मुकाबला करने की दृष्टि से सिंचाई को विद्युत उत्पादन के मुकाबले में प्राथमिकता देने का विचार है;

(ख) क्या इस उद्देश्य के लिये कोई विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी गुंजाइश तथा क्षेत्र क्या होगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : प्रस्तुत होने वाले हर मामले में विस्तृत कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं ।

श्री दी० चं० शर्मा : सरकार द्वारा तयार किये जा रहे मुख्य कार्यक्रमों में ऐसी मुख्य बातें क्या हैं जिनके अनुसार कार्य किया जायेगा और क्या वे भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न होंगी ?

डा० कु० ल० राव : जी हां। प्रत्येक कार्यक्रम स्थिति के अनुसार होगा। उदाहरणार्थ, हम मारवाडा के सम्बन्ध में यह कर रहे हैं कि 10 दिसम्बर तक सिंचाई के आवश्यकता के अनुसार पानी छोड़ा जा रहा है उसके बाद रबी की फसल को पानी की आवश्यकता नहीं होगी और पानी का उपयोग बिजली की आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या सरकार प्रत्येक राज्य की सिंचाई और बिजली की आवश्यकता के अनुसार कार्यक्रम बना रही है अथवा कुछ राज्यों में एक समान कार्यक्रम लागू किया जायेगा ?

डा० कु० ल० राव : इस कम वर्षा वाले वर्ष के लिये हम यह सिद्धान्त अपना रहे हैं कि पानी का प्रयोग पहले सिंचाई के लिये किया जायेगा और बाद में बिजली पैदा करने के लिये ।

Shri Rameshwar Tantia : A sizeable land is lying unused due to lack of irrigation facilities in Bikaner and Shekhawati. Will the Government cultivate that land by reducing electricity rates in order to increase the paddy production?

डा० कु० ल० राव : अत्यन्त कमी की स्थिति में इस वर्ष ऐसा किया जा रहा है । यदि कोई विशष अभ्यावेदन किया जाये तो सरकार उस पर विचार करेगी ।

श्री भागवत झा आज़ाद : यद्यपि सिंचाई की पर्याप्त सुविधायें देने की बात की जा रही है किन्तु क्या यह सच नहीं है कि सिंचाई की 10 अरब की मूल योजना में कटौती करके केवल 2 अरब रुपये सिंचाई पर खर्च किये गये ? यदि हां, तो सरकार एक ओर सिंचाई की पर्याप्त सुविधायें देने की बात कर रही है और दूसरी ओर सिंचाई के लिये नियत राशि में कटौती क्यों कर रही है ?

डा० कु० ल० राव : माननीय सदस्य शायद चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों की बात कर रहे हैं । वे अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं हुए हैं। मुझे आशा है कि सभा इसमें कटौती न करने पर जोर देगी ।

श्री लीलाधर कटकी : क्या आसाम राज्य में कोई एक बड़ी सिंचाई परियोजना है ? तीसरी पंचवर्षीय योजना में जिन चार मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की व्यवस्था की गई थी उन में से केवल एक में ही काम आरंभ किया गया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा में सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए सरकार का क्या करने का विचार है ?

डा० कु० ल० राव : आसाम राज्य में सभी मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनायें है। वे सभी चौथी पंचवर्षीय योजना में पूरी हो जायेंगी ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि सिंचाई को बिजली से प्राथमिकता दी गई है। चूंकि तारापुर और राणा प्रतापसागर परमाणु बिजली घर तथा विभिन्न अन्य तापीय बिजली घर बन रहे है, अतः क्या मैं यह जान सकता हूं कि सिंचाई के प्रयोजन के लिये नर्मदा घाटी परियोजना का कार्य क्यों आरम्भ नहीं किया गया है ?

डा० कु० ल० राव : मैं बता चुका हूं कि अत्यन्त कमी की स्थिति के कारण पानी देने के लिये प्राथमिकता केवल इस वर्ष के लिये है। माननीय सदस्य ने विलम्ब के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है वह सच है । मैं समझता हूं कि इस मामले में विलम्ब हुआ है । नर्मदा नदी विकास के मामले में समझौता नहीं हुआ है । जैसे ही समझौता हो जायेगा इस परियोजना का कार्य आरम्भ किया जायेगा ।

श्री प्र० के० देव : क्या यह सच है कि कई ऐसी लाभप्रद परियोजनायें हैं जिनसे बिजली पैदा करने के साथ काफी भूमि में सिंचाई भी हो सकती है, उदाहरणार्थ, अपर इन्द्रावती परियोजना से 600 मेगावाट बिजली पैदा करने के साथ तीन लाख एकड़ भूमि में सिंचाई भी हो सकती है, किन्तु उन्हें राजनैतिक कारणों से तकनीकी मंजूरी नहीं दी जा रही है ?

डा० कु० ल० राव : इन मामलों में कोई राजनतिक कारण नहीं हैं। सभी परियोजनाओं को केवल तकनीकी आधार पर मंजूरी दी जाती है ।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : क्या अल्पविकसित राज्यों का विकास करके उन्नत राज्यों के समान बनाने का कोई विचार है और यदि हां, तो यह कार्य किस प्रकार पुरा किया जायेगा ?

डा० कु० ल० राव : इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिन है । हम सदा यह प्रयत्न करते हैं कि प्रादेशिक असमानता दूर की जाये । यह कहना कठिन है कि इसमें कितना समय लगेगा ।

श्री वासुदेवन नायर : हमने सुना है कि इस वर्ष सधन खेती कार्यक्रम पर 36 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे । इस रकम में से सधन खेती कार्यक्रम के लिये सिंचाई पर कितनी रकम खर्च की जायेगी ?

डा० कु० ल० राव : यह कृषि मंत्रालय का कार्य है। इसके लिये सिंचाई और विद्युत मंत्रालय को अनुदान नहीं दिये जाते हैं ।

Shri Bishan Chander Seth : May I know how the priority is fixed regarding the distribution of electricity between the industry and the agriculture? Today the country is facing shortage of food stuff. Therefore I want to know Government's opinion in this regard.

डा० कु० ल० राव : कृषि को सदा प्राथमिकता दी जाती है, उदाहरणार्थ, इस वर्ष कई राज्यों में बिजली के वितरण में कटौती की गई है किन्तु सिंचाई कार्यों में कोई कटौती नहीं की गई है ।

मध्य प्रदेश के संसद् सदस्यों से अभ्यावेदन

*456. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन को मध्य प्रदेश के संसद् सदस्यों की ओर से विस्तृत ज्ञापन अथवा अभ्यावेदन मिला है, जिस में केन्द्र से यह अनुरोध किया गया है तथा सुझाव दिये गये हैं कि मध्य प्रदेश की कुछ परियोजनाओं की शीघ्रता से क्रियान्विति के लिए केन्द्र द्वारा अधिक तथा शीघ्रतापूर्वक सहायता दी जानी चाहिये;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पर विचार किया गया है; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : इस काम के लिए जो साधन उपलब्ध किये जा सकते हैं उनकी परिसीमा को ध्यान में रखते हुए, ज्ञापन में जो विचार व्यक्त किये गये हैं उन पर तथा अन्य सम्बद्ध तथ्यों पर मध्य प्रदेश की चौथी योजना के लिए सिफारिशों को अन्तिम रूप देते समय विचार किया जायेगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार का ज्ञापन में उल्लिखित मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाओं—चम्बल घाटी कृष्यकरण, तवा बहुप्रयोजनीय परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना, जो अभी भ्रूण अवस्था में है, तथा अन्य परियोजनायें—को अधिक शीघ्रतापूर्वक सहायता देने का विचार है और क्या संसद् सदस्यों द्वारा ज्ञापन में की गई प्रार्थना के अनुसार मध्य प्रदेश के संसद् सदस्यों की बैठक बुलाई जायेगी ?

श्री ब० रा० भगत : तवा परियोजना जैसी कुछ परियोजनाओं को योजना से भिन्न विशेष सहायता दी गई है ।

श्री हरि विष्णु कामत : शरणार्थियों के कारण ।

श्री ब० रा० भगत : अतिरिक्त सहायता दी गई है। माननीय सदस्य ने जिन परियोजनाओंका उल्लेख किया है उनमें से तवा परियोजना भी एक है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या मध्य प्रदेश के संसद् सदस्यों की बैठक बुलाई जायेगी ?

श्री ब० रा० भगत : निस्संदेह, हम इस सम्बन्ध में संसद् सदस्यों से विचार विमर्श करने का स्वागत करेंगे ।

श्री प्र० के० देव : क्या अन्य संसद् सदस्यों को भी इसमें बुलाया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे जानकारी नहीं है ।

हरि विष्णु कामत : क्या मंत्री महोदय का ध्यान योजना आयोग के उप प्रधान के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार के नेताओं में आर्थिक दूरदर्शिता के अभाव के कारण योजनायें असफल हो रही हैं और यदि हां, तो आर्थिक दूरदर्शिता की कमी को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : सरकार ने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं देखी है ।

श्री हरि विष्णु कामत : जी नहीं; मैं यह आपको दूंगा तब आप उपसभापति से पूछियेगा ।

अध्यक्ष महोदय : किन्तु वह कभी बैठक होने पर पूरी कर जायेगी ।

श्री हरि विष्णु कामत : मुझे यही आशा है । हम ऋण दे सकेंगे ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : क्या सरकार यह बतायेगी कि ज्ञापन के अनुसार, यद्यपि यह प्रधान मंत्री महोदय को दिया गया था, लौह अयस्क परियोजना मध्य प्रदेश में बस्तर में स्थापित की जायगी अथवा किसी अन्य स्थान पर स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जहां तक मुझे मालूम है यह परियोजना बेलाडिल्ला में है। यदि माननीय सदस्य का तात्पर्य इस्पात परियोजना से है तो दूसरी बात है । वहां लौह अयस्क परियोजना पहले से ही है और उसमें निर्यात के लिये लौह अयस्क निकाला जाता है ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : प्रश्न यह है कि परियोजना कहां स्थापित की जायेगी ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : एक ज्ञापन दिया गया है और उस पर उस समय विचार किया जायेगा जब छटे इस्पात कारखाने के बारे में विचार किया जायेगा ।

श्री रंगा : सरकार ने दस-बीस लाख टन की उत्पादन क्षमता के स्थान पर, जिससे दो-तीन स्थानों पर एक साथ कारखाने खोले जा सकते थे, तीस-चालीस लाख टन की उत्पादन क्षमता के इस्पात कारखाने खोलने का निश्चय क्यों किया है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य को इसके बारे में मेरे सहयोगी इस्पात और खान मंत्री से पूछना चाहिए । मैं केवल यही कह सकता हूं कि हमें एक ज्ञापन मिला । हमारी दृष्टि में भविष्य में कारखाना खोलने के लिये बेलाडिल्ला उपयुक्त स्थान है । अन्य विस्तृत जानकारी के लिये इस्पात और खान मंत्री से पूछा जाना चाहिए ।

श्री भानु प्रकाश सिंह : मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के हाल के वक्तव्य को, जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि मध्य प्रदेश को केन्द्रीय सहायता मिले तो वह सारे देश की आवश्यकता पूरी कर सकता है, देखते हुए सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जब हमें विस्तार-पूर्वक प्रस्ताव मिल जायेंगे कि कोई राज्य सारे देश की आवश्यकता किस प्रकार पूरी कर सकता है तो उन प्रस्तावों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जायेगा ।

उच्च अधिकारियों का वेतन

+

***457. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**   **श्री हरि विष्णु कामत :**

श्री हेडा :   **श्री मुहम्मद इलियास :**

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वित्त** मंत्री 8 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 500 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सचिवों तथा संयुक्त सचिवों के वेतन-क्रमों में वृद्धि करते समय संयुक्त सचिव से नीचे की श्रेणियों के अधिकारियों के वेतन-क्रमों पर विचार नहीं करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : संयुक्त सचिवों और उनसे उंचे अधिकारियों के वेतन-क्रमों में संशोधन करने का कुछ कारण तो हाल के वर्षों में उनकी जिम्मेदारियों का बढ़ जाना है और कुछ यह भी कि अखिल भारतीय सेवाओं और श्रेणी I की केन्द्रीय सेवाओं में की जाने वाली भरती के स्वरूप (पैटर्न आफ रिक्रूटमेंट) की जांच से सरकारी सेवा के ऊंचे वेतनों में, जिनमें 1947 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, संशोधन करने की आवश्यकता प्रकट हुई थी । ये बातें नीचे की श्रेणियों पर लागू नहीं होती थी और न वेतनों के ढांचे में सामान्य रूप से संशोधन करने का विचार था ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : सरकार द्वारा इस समय इन वेतन क्रमों को पुनरीक्षित करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : सरकार इस मामले पर काफी समय से विचार कर रही थी ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : यह सुनिश्चित करने के लिये कि सभी कर्मचारियों के साथ न्याय हो और द्वेषपूर्ण अन्तर न रहे, क्या सरकार फिर सभी वेतनक्रमों को पुनरीक्षित करेगी ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : वास्तव में संयुक्त सचिव से नीचे की श्रेणियों के बारे में वेतन आयोग ने विचार किया था । यदि इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट शिकायतें हैं तो उन पर समय समय पर विचार किया जायेगा ।

श्री वासुदेवन नायर : क्या सरकार का ध्यान केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित तथा अराजपत्रित कर्मचारियों के वेतनक्रमों और राज्यों के राजपत्रित तथा अराजपत्रित कर्मचारियों के वेतनक्रमों में भारी असमानता की समस्या की ओर गया है और यदि हां, तो सरकार वेतनक्रमों का पुनरीक्षण कब कर रही है ताकि यह असमानता और अधिक न बढ़े ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : असमानता के समूचे प्रश्न पर कार्यभार और उत्तरदायित्व की दृष्टि से विचार करना होगा। केन्द्र का प्रश्न राज्यों से भिन्न है। यह वेतनों में असमानता का प्रश्न नहीं है। यदि वेतनों में कोई अन्तर है तो उसे समय समय पर महंगाई भत्ता देकर पूरा किया जाता है।

श्री अ० प्र० शर्मा : संयुक्त सचिवों के वेतन बढ़ाना न केवल सरकार द्वारा स्वीकृत अधिक आय और कम आय वालों की असमानता को कम करने के सिद्धांत के विरुद्ध है अपितु इससे संयुक्त सचिव से नीचे की श्रेणियों में असंतोष भी पैदा हो गया है, क्या सरकार को इस असंतोष का पता है और क्या वह इसे दूर करने के लिये कोई कारगर कार्यवाही करेगी ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं जानता हूं कि संयुक्त सचिव से नीचे की श्रेणी में जिनका वेतन क्रम 1800 रुपये पर समाप्त होता है, असंतोष हो सकता है। यदि ऐसी कोई बात है तो मुझे पूरा ब्यौरा दिया जायें।

Shri K. D. Malaviya : Is it not that this piece meal consideration over such questions indicates that Government is not considering over this basic question and the economy, which may result in mal-adjustment with regard to our work and wage ?

Shri B. R. Bhagat : It has been stated that scales below the Joint Secretary had dealt by the Pay Commission and higher scales than that have been considered now.

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की राय ली गई थी और यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी ?

श्री० ति० त० कृष्णमाचारी : राय लेने का काम गृह-कार्य मंत्रालय का है। मैं इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता किन्तु मेरा अनुमान है कि उनसे सलाह ली गई थी।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know how much extra expenditure is involved in the increase of the salaries of these officers?

Shri Sheo Narain : What is the objection of the Govt. in fixing a ratio of ten ?

Shri B. R. Bhagat : Rupees 14 lakhs.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हो गया।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTIONS

केरल में बिजली में कटौती

+

3. **श्री वासुदेवन नायर :**
   श्री वारियर :
   श्री यशपाल सिंह :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 नवम्बर, 1965 से केरल राज्य में बिजली में 25 प्रतिशत कटौती कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो पडौसी राज्यों से बिजली प्राप्त करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे है; और

(ग) बिजली की इस कटौती का अनुमानत : क्या प्रभाव पड़ा है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) मैसूर सरकार ने जून, 1966 के अन्त तक केरल को 8 करोड़ यूनिट बिजली सप्लाई करना मान लिया है ।

(ग) अनुमान है कि राजस्व में 1.3 करोड रुपये और औद्योगिक उत्पादन में 4 करोड़ रुपये की कुल क्षति हुई है ।

श्री वासुदेवन नायर : क्या यह सच है कि मैसूर से प्राप्त बिजली की लागत मद्रास राज्य से प्राप्त बिजली से अधिक होगी क्योंकि यह सीधे न लाकर मद्रास के रास्ते लायी जायगी और यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि प्रति यूनिट क्या मूल्य चार्ज किया जायगा और क्या केन्द्रीय सरकार इस बड़ी कठिनाई को दूर करने के लिये राज्य सरकार की सहायता करेगी ?

डा० कु० ल० राव : अभी दर के बारे में निश्चित नहीं किया गया है, लेकिन इसमें अधिक अन्तर नहीं होगा ।

श्री वासुदेवन नायर : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वहां पर लगभग हर साल बिजली में कटौती की जाती है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार कोचीन स्थित तेल शोधन कारखाने से मट्टी का तेल प्राप्त करने और इसका कोचीन में एक तापीय संयंत्र स्थापित करने में इस्तेमाल करने की संभावनाओं का पता लगा रही है ?

डा० कु० ल० राव : बिल्कुल ठीक है; कोचीन तेल शोधन कारखाने में एक तापीय संयंत्र स्थापित करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

श्री वारियर : क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि केरल विद्युत् बोर्ड ने यह घोषणा की है कि 25 प्रतिशत कटौती के स्थान पर 50 प्रतिशत कटौती की जायेगी और यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या और बिजली देने के लिये पडौसी राज्यों से कोई बातचीत की गयी है ?

डा० कु० ल० राव : यह सच है कि केरल विद्युत् बोर्ड और कटौती कर रहा है लेकिन इस समय मैसूर से सीमित मात्रा में बिजली मिल रही है, जितनी ज्यादा से ज्यादा बिजली वे दे सकते हैं वह ले ली गई है ।

Shri Yashpal Singh : What is the estimate of shortfall in the fertilizers factory due to cut in electricity supply and what is the amount of loss thus sustained ?

डा० कु० ल० राव : यह अनुमान है कि फर्टिलाइजर कारखाने में लगभग 2 करोड़ रुपये की कमी हुई है ।

श्री हेम बरुआ : मंत्रीजीने बताया था कि सरकार ने कटौती की है .....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों ने सदन को केन्द्रीय हाल बना लिया है । वे आपस में बातचीत करते रहते हैं और जब मैं उनसे ऐसा न करने को कहता हूं तो वे इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते क्योंकि वे बातों में इतने मशगूल रहते हैं। सैंट्रल हाल और सदन में अन्तर होना चाहिये ।

श्री हेम बरुआ : एक अन्य दिन मेरे एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया था कि सरकार ने पंजाब के उद्योगों को बिजली के संभरण में 30 प्रतिशत की कटौती कर दी है और उस ही समय पंजाब के उद्योगों को पाकिस्तानी आक्रमण के कारण संकट का सामना करना पड रहा है। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार पंजाब के उद्योगों को फिर से पूरी बिजली देने के लिये क्या विशेष कदम उठाएगी ताकि उन्हे कठिनाई न हो ?

अध्यक्ष महोदय : वर्तमान प्रश्न केरल के बारे में है। मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं देता।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : क्या केवल केरल को ही बिजली देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है या इसके साथ मध्य प्रदेश को भी बिजली देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न केवल केरल के बारे में है। जब मैंने पंजाब के बारे में अनुपूरक प्रश्न की अनुमति नहीं दी तो मैं मध्य प्रदेश के बारे में अनुपूरक प्रश्न की अनुमति कैसे दे सकता हूं ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : केरल में बिजली की आवर्ती कटौती का सबको पता है और इसके फलस्वरूप सरकारी क्षेत्र के कारखानों में, जिनमें "फैक्ट" भी शामिल हैं, उत्पादन में काफी कमी हुई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने उस बिजली में से, जो मैसूर दक्षिणी ग्रिड को देने को राजी हो गया है, कुछ बिजली केरल में खपत के लिये देने पर विचार किया है ?

डा० कु० ल० राव : मैं बता चुका हूं कि मैसूर 8 करोड़ किलोवाट बिजली देने को सहमत हो गया है। केरल को यह स्थायी तौर पर नहीं दी जायगी लेकिन इस वर्ष यह दी जा रही है। अन्य वर्षों में कमी को पूरा करने के लिये हमें और कदम उठाने पड़ेंगे। इनमें एक कदम कोचीन में एक तापीय संयंत्र की स्थापना करना है।

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या 4 के बारे में

अध्यक्ष महोदय : अल्प सूचना प्रश्न संख्या 4। श्री रामेश्वरानन्द। माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं। श्री युद्धवीर सिंह। वह भी अनुपस्थित हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

+ Beas Dam Project

*450. **Shri Bagri :**
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) the progress made so far regarding the Beas Dam Project;

(b) the capacity of the Power House being constructed there; and

(c) The total expenditure estimated to be incurred on the project and the time by which it is likely to be completed ?

Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) The progress of work on the two units of Beas Project is as under:—

Unit I

The work of investigations, surveys, layouts and exploratory drilling is continuing. Construction of new townships at Sundernagar, Pandoh, Hara Bagh and

Baggi is in progress. Approach adit of 1000 feet length for the Pandoh-Baggi main tunnel has been excavated and its concreting is in progress. The downstream open cut excavation of the Pandoh-Baggi tunnel has been completed and about 40 feet length of the tunnel from the downstream end has been excavated.

On the Baggi-Sundernagar Hydel Channel, work on three cross drainage works is in progress. The excavation of the adit tunnel for Hara Bagh has been started.

Unit II

Excavation of three penstock tunnels and two diversion tunnels in a total length of 16,500 feet has been completed. Concreting of diversion tunnels is in progress. The excavation of Stilling Basin of penstock tunnels and foundations for the dam on the right and left abutments are in progress. Construction of the rail link between Mukerian and Talwara has been completed whereas work on the section between Talwara and Dam site is in progress. A temporary bridge across the river Beas upstream of the Dam site has been constructed.

(b) The total installed capacity under the Beas Project for both the units is as under:—

Dehar Power Plant (4 units of 165 MW each) . .	660 MW
Pong Dam Power Plant (4 units of 60 MW each)	240 MW
5th Unit at Bhakra Right Bank Power House .	119 MW
TOTAL	1,019 MW

(c) The total expenditure likely to be incurred on the Project is Rs. 208 crores. The target date for completion as approved by the Beas Control Board is 1971-72. However due to the inadequacy of funds and the difficulty in meeting foreign exchange requirements for the project, its completion may be delayed.

ब्रिटेन से ऋण

*458. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में भारत और ब्रिटेन के बीच 13 करोड़ रुपये के ऋण के सम्बन्ध में समझौता हुआ है :

(ख) यदि हां, तो, किन शर्तों पर; और

(ग) इस ऋण का किस प्रकार उपयोग किया जायेगा ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां।

(ख) ऋण सम्बन्धी करार में, मूलधन को 25 वर्ष की अवधि में, जिसमें 7 वर्ष की रियायती अवधि भी शामिल है, लगातार 36 छमाही किस्तों में चुकाये जाने की व्यवस्था है। ऋण पर ब्याज नहीं लगेगा।

(ग) यह ऋण उस अर्थ में सामान्य प्रयोजनों के लिये दिया जाने वाला ऋण है कि यह ऋण किसी विशिष्ट प्रायोजना के लिए निर्धारित नहीं है, बल्कि इसका उपयोग ब्रिटेन से आर्थिक विकास के लिये आवश्यक अनेक प्रकार की वस्तुओं के आयात के लिये धन की व्यवस्था करने के लिये किया जा सकता है।

आवास कार्यक्रम

*459. **श्री शिव चरण गुप्त** : क्या **निर्माण** और **आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न आवास योजनाओं के लिये कितनी राशि की व्यवस्था की गई है;

(ख) 1962 में चीनी आक्रमण के समय इस योजना में कितनी कटौती की गई थी;

(ग) क्या अब पाकिस्तानी आक्रमण के कारण इसमें और कटौती की गई है; और

(घ) यदि हां, तो वर्तमान व्यवस्था कितनी राशि की है और क्या इस व्यवस्था का 31 मार्च, 1965 तक पूरा उपयोग किया जायेगा ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) 182 करोड़ रुपये जिसमें जीवन बीमा निगम निधि से 60 करोड़ रुपये शामिल हैं।

(ख) यद्यपि एमरजन्सी के कारण कोई विशेष कटौती लागू नहीं की गयी थी परन्तु राज्य सरकारों ने प्राथमिकता बदल दी।

(ग) राज्य सरकारों को जीवन बीमा निगम निधि से जो 15 करोड़ रुपये इस वर्ष दिये जाने वाले थे उसके संबंध में वित्त मंत्रालय ने यह सुझाव दिया है कि केवल वही राशि दी जाये जो कि चालू निर्माण को पूरा करने के लिये आवश्यक हो तथा कोई नया निर्माण शुरू न किया जाये।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि वे अपनी आवश्यकताओं को पुनः आंके और अपनी कम से कम निधि की आवश्यकता को सूचित करें।

Recovery of Smuggled Goods in Bombay

*460. **Shri Vishwa Nath Pandey** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the first week of October 1965, officials of the Excise Department recovered gold, Indian currency and watches worth over Rs. 17 lakhs after conducting a raid on a house in Bombay; and

(b) if so, the action being taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri Rameshwar Sahu): (a) On 4th October, 1965, the officers of the Bombay Custom House seized 6000 tolas of gold bearing foreign markings, 200 wrist watches approximate value Rs. 20,000, and Indian currency worth Rs. 8,48,080 from a room in Memon Chambers building, Zakaria Masjid Road, Bombay. The value of gold at international rate is Rs. 3,75,000.

(b) The matter is still under investigation.

Rural Electrification

***461. Shri Yogendra Jha :**

Shri Raghunath Singh :

Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state:

(a) whether any rural electrification programme for the Fourth Five Year Plan period has been formulated;

(b) if so, the total number of villages which would be provided with electricity in the ensuing five years and the number of Bihar villages among them;

(c) the total number of villages which have been provided with electricity from 1950-51 to 1965-66 so far and the number of Bihar villages among them;

(d) whether it is a fact that the average number of villages which have been provided with electricity in Bihar is much lower than the all-India average number of such villages; and

(e) if so, whether there is any programme to bring the average of Bihar at par with the all-India average in respect of the electrification of villages?

Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) The Fourth Plan has not yet been finalized.

(b) It has been proposed by the Ministry of Irrigation and Power to extend power supply to nearly 1,00,000 villages during the Fourth Five-Year Plan, subject to a minimum of 20% of villages to be electrified in each State by the end of the Fourth Plan, as far as possible. It has been proposed by this Ministry in consultation with the Ministry of Food and Agriculture to have a programme for energisation of 7 lakh agricultural pumps during the Fourth Plan. The exact programme for Bihar in respect of number of pumps to be energised, the number of villages to be covered, has yet to be finalised in consultation with the State Government.

(c) 42,460 villages in the country, including 3,523 villages in Bihar have been provided with electricity from 31-3-1951 to 31-3-1965. It is expected that additional 8,678 villages, including 494 villages in Bihar, will get electrified during 1965-66.

(d) Yes, Sir. Rural Electrification in Bihar at the end of March, 1965 was 5·2% as against the all-India average of 8·1%. The percentage of electrification at the end of Third Plan is expected to be 5·9 in Bihar as against the all-India average of 9·6.

(e) During the Fourth Plan, the emphasis in the programme of rural electrification will be on the energisation of agricultural pump sets. The idea is to cover a cluster of pumps and a cluster of villages, keeping at the same time in view the need for electrification of 20% of villages by the end of Fourth Plan.

छोटी बचतों सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार समिति

*462. **श्री बासप्पा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय राष्ट्रीय बचत सलाहकार बोर्ड की हाल में हुई बैठक में क्या निर्णय किये गये थे;

(ख) वर्ष 1963–64 और 1964–65 में छोटी बचतों से कितनी सकल और शुद्ध राशि इकट्ठी की गई; और

(ग) वर्ष 1965–66 के लिये क्या लक्ष्य रखा गया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) सभा की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है।

1. लोगों को यह समझाने के लिये विशेष प्रयत्न किया जाना चाहिये कि वे अपने बचतपत्रों आदि को समय से पहले न भुनायें और न आवश्यकता के बिना डाकघर बचत बैंक से अपना रुपया निकालें।

2. वाणिज्य मण्डलों और मालिकों के संघों के नाम एक अपील जारी की जाय कि वे वेतन से ही बचत की रकम कटाने वाले दलों (पे रोल सेविंग्ज ग्रुप्स) का संगठन करने में सहायता दें। बोर्ड ने अध्यक्ष से भी अनुरोध किया कि वे बचत दल बनाने के लिये मजदूर संघों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाएं।

3. राज्यों और केन्द्र के सलाहकार बोर्डों के सदस्यों को चाहिए कि स्वयंसेवकों और एजंटों की भरती करने, सभाओं में भाषण देने और छोटी बचतों के संग्रह को बढ़ाने के लिये खास-खास इलाकों में जोरदार प्रयत्न करें। पंचायती राज संस्थाओं और शिक्षा-संस्थाओं से बचत आन्दोलन में भाग लेने का अनुरोध किया जाना चाहिये।

4. छोटी बचतों के सन्देश को गांवों की जनता तक पहुंचाने के लिये शाखा डाकपालों (ब्रांच पोस्ट मास्टर) और अध्यापकों को बड़ी संख्या में एजेण्ट नियुक्त किया जाना चाहिये।

5. छोटी बचतों का प्रचार जोर-शोर से किया जाना चाहिये और इस प्रचार में देश-रक्षा पर खास तौर से जोर दिया जाना चाहिये।

(ख) 1963–64 . . 405.53 करोड़ रुपये (कुल)
126.88 करोड़ रुपये (वास्तविक)
1964–65 . . 435.04 करोड़ रुपये (कुल)
129.77 करोड़ रुपये (वास्तविक)

1964–65 के आंकड़े अस्थायी हैं।

(ग) बजट में, 135 करोड़ रुपये की वास्तविक प्राप्ति होने का अनुमान किया गया है।

उद्योगों के लिये लाइसेंस देने की नीति

*463. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय योजना परिषद् द्वारा उद्योगों के लिए लाईसेंस देने तथा उनका विनियमन करने की नीति के संबंध में विचार करने के लिए नियुक्त किये गये दल ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निश्चित सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या निर्णय किया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम्य अर्थ व्यवस्था का विकास

*464. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद ने ग्राम्य अर्थ-व्यवस्था का विकास करने के लिये देश भर में मंडियां बनाने के लिये जोर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने इस प्रस्ताव की जांच करके सरकार से इसे क्रियान्वित करने की सिफारिश की है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) यह प्रतिवेदन, राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् का ताजा प्रकाशन है। यह हाल में ही योजना आयोग को प्राप्त हुआ है और इसपर अभी योजना आयोग में विचार किया जाना है।

ग्राम्य क्षेत्रों में चलते फिरते बैंक

*465. **श्री रामेश्वर टांटिया :** **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री राम हरख यादव :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम्य क्षेत्रों में चलते-फिरते बैंक आरम्भ करने का सरकार का विचार है, जिससे कि वहां के लोग स्वर्ण-बांड योजना में योगदान दे सकें; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक हो जाने की संभावना है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग) तक : स्वर्ण बांडों के लिए स्वर्ण आभूषण आदि स्वीकार करने के लिए ग्राम्य क्षेत्रों में स्टेट बैंक द्वारा एक चलती फिरती गाड़ियां भेजने के प्रस्ताव पर राज्य सरकारों के परामर्श से विचार किया जा रहा है। विचार यह है कि इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों को सुरक्षा गार्ड के साथ गाड़ियों की व्यवस्था करनी चाहिये। राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया मालूम हो जाने के बाद अन्तिम निर्णय किया जायेगा।

विद्युत् परियोजनाओं के लिये उपकरण

*466. **श्री मि० सू० मूर्ति** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने उन जहाजों से जो उसकी बन्दरगाहों में रोक लिये गये थे, आन्ध्र प्रदेश की अपर सिलेरु जल-विद्युत् परियोजना तथा कोठागुदाम तापीय परियोजना के लिये अपेक्षित संयंत्र तथा मशीनें जप्त कर ली हैं;

(ख) यदि हां, तो इनके स्थान पर दूसरे संयंत्र तथा मशीनों की व्यवस्था करने के लिये सरकार क्या पग उठा रही है; और

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा करने की समय अनुसूची पर इस घटना का कितना प्रभाव पड़ेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां। पाकिस्तान ने अपर सिलेरू और कोठगुदाम परियोजनाओं के लिये अपेक्षित संयंत्र तथा मशीनरी को अपने कब्जे में कर लिया है।

(ख) इस मामले पर अगली कार्यवाही की जा रही है।

(ग) कोठगुदाम के सम्बन्ध में कोई देरी नहीं होगी और जहां तक अपर सिलेरू का सम्बन्ध है, यदि मशीनरी को फिर से बनाया गया तो काफी देरी हो सकती है और यह देरी दो साल तक हो सकती है।

जीवन बीमा निगम व्यापार में कमी

*467. **श्री काजरोलकर :**

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1964–65 में जीवन बीमा निगम के व्यापार में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) चालू वर्ष में बेहतर काम करने के उद्देश्य से क्या कार्रवाई करने का विचार किया गया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) 1963–64 में 702.76 करोड़ रुपये के व्यापार की तुलना में 1964–65 में निगम का व्यापार 701.08 करोड़ रुपये हुआ।

(ख) पिछले वर्ष की अपेक्षा कमी सीमान्त है। इस सीमान्त कमी का कोई विशेष कारण नहीं कहा जा सकता है।

(ग) नया व्यापार बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में जीवन बीमा निगम सजग है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये सभी संभव साधन खोज रही है।

योजना की क्रियान्विति के लिए विकेन्द्रीकरण

*468. **श्री लिंग रेड्डी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना की क्रियान्विति के क्षेत्र में केन्द्रीय प्राधिकार का आमूल विकेन्द्रीकरण करने का निर्णय हाल ही में किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि वे आपात्कालीन स्थिति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी वर्तमान सालाना योजना (1965–66) में समायोजन कर सकते हैं।

उड़ीसा को सहायता

*469. **श्री प्र० के० देव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकारने इस वर्ष अभूतपूर्व सूखा पड़ने के कारण राज्य के कुछ भागों में उत्पन्न हुई अकालवत् स्थिति का सामना करने के लिये कुछ केन्द्रीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने कितनी राशि दी है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग) : इस प्रकार की कोई विशिष्ट सहायता नहीं मांगी गई है। तथापि राज्य सरकारने सामान्य रूप से प्रार्थना की थी कि ग्राम्य कार्यक्रमों के लिये अतिरिक्त नियतन किया जाये ताकि सूखे से पीड़ित कुछ क्षेत्रों में इनको आरम्भ किया जा सके। इस प्रार्थना को स्वीकार करना संभव नहीं हो सका है।

Shifting of Central Government offices from Delhi

*470. **Shri D. N. Tiwary :** Will the Minister of **Works** and **Housing** be pleased to state :

(a) whether any proposal has been considered to shift Central Government offices from Delhi in view of Indo-Pakistan conflict;

(b) whether it is a fact that no Ministry wants to shift its attached offices out of Delhi even during this Emergency; and

(c) whether some safe place has been selected for the construction of buildings outside Delhi for the preservation of essential records?

Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna) :
(a) No.

(b) That is generally the case.

(c) This matter has not been considered.

Shortfall in power production in States

***472. Shri Yashpal Singh :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Kapur Singh :
Shri Balkrishnan :
Shri Linga Reddy :
Shri D.S. Patil :
Shri M. S. Murthi :

Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the fact that due to insufficient rains, the production of power is falling in certain States;

(b) if so, the extent of such fall expected, State-wise; and

(c) whether any alternative arrangements are being made to meet the shortage?

Minister of Irrigation and Power (Dr. K.L. Rao) : (a) Yes, Sir.

(b) The extent of shorfalls at present in the States concerned are as follows: —

(i) Kerala	25%
(ii) Madras	30%
(iii) Andhra	20%
(iv) Orissa (Hirakud System)	15%
(v) Punjab	15%
(vi) Chambal Service Area of Madhya Pradesh	25%
(vii) Rajasthan	50%

(c) A statement giving the requisite information is laid on the Table of the House.

(1) The shortages in the States of Kerala, Madras and Andhra Pradesh are proposed to be met, to the extent possible, from the surplus power available at present from Mysore.

(2) For affording relief in the Chambal Service Area of Madhya Pradesh and Rajasthan, the following steps have been taken on high priority basis:

(i) Construction of 220 kV transmission line from Jabalpur to Itarsi for transmitting surplus power from Amarkantak Thermal Power Station in Madhya Pradesh.

(ii) Installation of one 10 MW Gas Turbine Set being obtained from Mysore State Electricity Board, at Kota in Rajasthan.

(3) The thermal and diesel standby at Delhi would be operated to compensate for the reduction of power from Bhakra to Delhi.

पंजाब में बिजली खपत में कटौती

*473. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकारने बिजली की खपत में 25 प्रतिशत की कटौती कर दी है;

(ख) यदि हां, तो खपत में यह कटौती करने की आवश्यकता किन परिस्थितियों के कारण हुई है और क्या यह कटौती सरकार की अनमति से की गई है; और

(ग) खपत में कटौती करने से भाखड़ा से राजस्थान तथा दिल्ली को होने वाली बिजली की सप्लाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां । बड़े और मध्यम कोटि के औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये 25 प्रतिशत, नंगल फर्टिलाइजर के लिये 18 प्रतिशत, लघु औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिय 15 प्रतिशत की कटौती तथा बिजली सम्भरण में अन्य प्रकार की कटौतियां लागू की गई है ।

(ख) यह कटौती भाखडा प्रणाली में बिजली उत्पादन पर पड़े कुप्रभाव के परिणामस्वरुप आवश्यक हो गई है। बिजली उत्पादन पर यह कुप्रभाव भाखड़ा के गोविन्द सागर जलाशय में पानी कम पड़ने के कारण पड़ा क्योंकि रिकार्ड के अनुसार 1965 का वर्ष शुष्कतम रहा है।

(ग) नंगल से दिल्ली बिजली संभरण उपक्रम को 16–11–65 से बिजली सप्लाई के निम्नलिखित कार्यक्रम को मान लिया गया है :—

(क) 12 बजे अर्ध रात्रि से प्रातः 6 बजे तक . .	20 मैगावाट
(ख) प्रातः 6 बजे से सायं० 5 बजे तक .	30 मैगावाट
(ग) सायं० 5 बजे से रात के 9 बजे तक . .	50 मैगावाट
(घ) रात के 9 बजे से रात के 10 बजे तक . .	30 मैगावाट
(ङ) रात के 10 बजे से अर्ध रात्रि तक . .	20 मैगावाट

इस प्रबन्ध से, इस समय दिल्ली में बिजली की सप्लाई में कोई कटौती नहीं की जाएगी। स्थिति का पुनरवलोकन 30-11-65 को फिर किया जाएगा।

राजस्थान की औसत बिजली सप्लाई में कटौती करने का कोई विचार नहीं है।

कोयले का उत्पादन

*474. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान भारत के भूतत्वीय, खनन और धातु कर्मिक संस्था के अध्यक्ष द्वारा 4 नवम्बर, 1965 को कलकत्ता में हुई इस संस्था की वार्षिक बैठक में दिये गये भाषण की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि तीसरी योजना अवधि के लिये कोयले के उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य सर्वथा अवास्तविक थे और उनमें एक से अधिक बार संशोधन किया गया है; और

(ग) यदि हां, कोयले के उत्पादन के लिये अन्तिम रूप स क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं और इन लक्ष्य की प्राप्ति के लिये क्या उपाय किये गये हैं?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) योजना को अन्तिम रूप देते समय तीसरी योजना के लिये कोयले का लक्ष्य 9 करोड़ 70 लाख टन निश्चित किया गया था। यह अनुमान कोयले की खपत वाले क्षेत्रों की उनके लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये सम्भावित कोयले की आवश्यकता को ध्यान में रखकर लगाया गया था। अतः इस दृष्टि से इसे अवास्तविक नहीं कहा जा सकता। तदोपरान्त योजना को अन्तिम रूप दिये जाने पर इस लक्ष्य में संशोधन नहीं किया गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य सम्बन्धी "पंच सूत्र"

*475. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत् बोर्ड ने अपनी हाल की बैठक में देश में खाद्य की कमी को दूर करने के लिये एक 'पंच सूत्री' योजना बनाई है,

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत खाद्य के सम्बन्ध में भारत के कब तक आत्मनिर्भर हो जाने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग) : 6 से 8 नवम्बर, 1965 तक हुई केन्द्रीय सिंचाई व बिजली बोर्ड की 38 वीं वार्षिक बैठक के अवसर पर देश में खाद्य उत्पादन की गति को तेज करने के उपाय के सम्बन्ध में एक विचार गोष्ठी का संगठन किया गया था। प्रस्तुत आलेखों में और तत्पश्चात् हुए विचार विमर्श में भाग लेने वालों ने कई एक अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपायों का सुझाव दिया। सिंचाई व बिजली मंत्रालय ने खाद्य की उपज को बढ़ाने के लिये निम्नलिखित अल्पकालीन उपाय बताए।

(1) चुनी हुई सिंचाई परियोजनाओं जिन से अगले दो वर्षों में लाभ प्राप्त हो सके, की शीघ्र कार्यान्विति।

(2) पहले से उत्पन्न हुई क्षमता को प्रयोग में लाने के लिये और प्रयोग की मन्द गति को दूर करने के लिये विशेष प्रयत्न करना।

(3) जहां पानी उपलब्ध है और इस समय एक फसल बोई जाती है, वहां बहुविध शस्योत्पादन पद्धति को अपनाना।

(4) सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने के लिये तलवर्ती और भूमिगत पानी को कूपों और नालों द्वारा प्रयोग में लाना।

(5) आलू जैसी फसलोंला जिन की उपज प्रति एकड़ चावल और गेहूं की फसलों के मुकाबले अधिकाधिक होती है, घनीकरण।

2. उत्कृष्ट कृषि प्रणालियों के साथ साथ यदि इन उपायों को हाथ में लिया जाए और शीघ्र कार्यान्वित किया जाय तो खाद्यान्न की वर्तमान कमी को काफी हद तक पूरा किया जा सकता है।

3. पूर्वोक्त पांच उपायों को अपनाने से जिन लाभों की संभावना है, वे निम्नलिखित हैं :—

(1) अगले दो वर्षों के दौरान चुनी हुई बृहत् तथा मध्यम परियोजनाओं पर निर्माण कार्य में तेजी लाने से सिंचित क्षेत्र में 20 लाख से 30 लाख एकड़ की वृद्धि होगी और इस से खाद्य की उपज 60 लाख टन अधिक होगी।

(2) क्षेत्रीय नालियों की शीघ्र खुदाई, क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों, उत्कृष्ट फार्म प्रणालियों और ऋण के लिये पर्याप्त सुविधाओं के प्रबन्ध जैसे विशेष पग उठाने से सिंचाई क्षमता में 20 लाख से 25 लाख एकड़ की वृद्धि होगी।

(3) सोन, महानदी डेल्टा, मातातिला, दामोदर, मयूराक्षी, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा और महाराष्ट्र में असंख्य तालाबों द्वारा सेवित क्षेत्रों में 15 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में बहुविध शस्योत्पादन।

(4) लिफ्ट सिंचाई स्कीमों के द्वारा तलवर्ती और भूमिगत पानी के प्रयोग से 10 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र को सिंचाई के अधीन लाया जाना।

(5) आलू के अधीन क्षेत्र में 5 से 10 लाख एकड़ की वृद्धि जिस से 20 से 30 लाख टन की अतिरिक्त उपज होगी।

भारतीय चिकित्सा परिषद्

1250. **श्री मधु लिमये :**

श्री बागड़ी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद् की विशेष बैठक बुलाना एक सामान्य बात हो गई है ;

(ख) गत सात वर्षों में ऐसी कितनी विशेष बैठकें बुलाई गई हैं ;

(ग) क्या विशेष बैठकें बुलाने की इस प्रथा के विरुद्ध कुछ सदस्यों ने विरोध प्रकट किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जी नहीं।

(ख) गत सात वर्षों में तीन विशेष बैठकें हुई हैं।

(ग) जी हां। दो हुई हैं। एक 1960 में तथा दूसरी 1965 में।

(घ) सरकार का मार्गदर्शन भारत चिकित्सा अधिनियम के उपबन्धों के अधीन तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये विनिमयों के अधीन होता है। विनिमयों में यह व्यवस्था है कि भारत चिकित्सा परिषद् के प्रधान जब चाहें तब ऐसी विशेष बैठक बुला सकते हैं।

"वाटरमार्क" वाले कागज का उत्पादन

1251. **श्री मधु लिमये :**

श्री बागड़ी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होशंगाबाद में "वाटरमार्क" वाले कागज का उत्पादन आरम्भ करने तथा कारखाने की स्थापना में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में प्रशिक्षण के लिए कोई कर्मचारी विदेश भेजे गये हैं ; और

(ग) उत्पादन के कब तक आरम्भ हो जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) होशंगाबाद की सिक्योरिटी पेपर मिल की मुख्य इमारतें और कुछ सहायक इमारतें तथा कार्यशालाएं तैयार हो गई हैं। अधिकांश भारी मशीन और दूसरा साजसामान भी कारखाने के स्थान पर पहुंच गया है। रखरखाव सम्बन्धी कार्यशाला (वकशाप) में विभिन्न प्रकार का साजसामान लगाने का काम शुरू हो गया है। कागज बनाने की मुख्य मशीनें और दूसरा साजसामान लगाने के ठेकों को हाल में अन्तिम रूप दिया जा चुका है और आशा है कि स्थापना का कार्य 1966 के प्रारम्भ में शुरू हो जायगा।

(ख) प्रायोजना के 55 कर्मियों, (आपरेटिव्ह्स) को ब्रिटेन में इस प्रायोजना के तकनीकी सहायक मेसर्स पोर्टल्स, लिमिटेड की मिलों में ट्रेनिंग दी गयी है। इस के अतिरिक्त, प्रायोजना के मुख्य प्रबन्धक, उप-मुख्य इंजीनियर और निर्माण उप-प्रबन्धक ने भी पोर्टल्स की मिलों में ही ट्रेनिंग ली है। प्रायोजना का मुख्य रसायज्ञ (केमिस्ट) इस समय, इंगलैंड में ट्रेनिंग ले रहा है।

(ग) आशा है कि कारखाने में, 1966 की दूसरी छमाही में उत्पादन शुरू हो जायगा।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

1252. श्री कोल्ला वेंकैया : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में उनकी पूरी क्षमता के अनुसार काम नहीं हो रहा है;

(ख) क्षमता का पूरा उपयोग न किये जाने के मुख्य कारण क्या है ;

(ग) इससे अनुमानत: कितना नुकसान हुआ है ; और

(घ) सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में क्षमता का कम उपयोग करने की समस्या को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। दखिये संख्या एल० टी० 5234/65]**

(ख) कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है ।

(ग) प्रत्येक उपलब्ध हुई समस्याओं को हल करके उत्पादन बढ़ाने के सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं।

गोदावरी एनीकट सम्बन्धी समिति

1253. श्री कोल्ला वेंकैया : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री 2 सितम्बर 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1336 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदावरी नदी पर दौलेश्वरम् ऐनीकट सम्बन्धी मित्रा समिति ने अपना अन्तिम प्रतिवेदन दे दिया है,

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है, और

(ग) क्या प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

तुंगभद्रा उच्च स्तर नहर

1254. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री 16 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2263 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने तुंगभद्रा उच्च स्तर नहर योजना के लिये अतिरिक्त ऋण की जो सहायता मांगी थी, क्या उसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो कब और स्वीकृत सहायता की राशि क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसमें देर होने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) अभी नहीं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

अतिरिक्त क्षेत्रों की सिंचाई

1255. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अगले वर्ष अतिरिक्त क्षेत्रों की सिंचाई करने के लिये कोई अतिरिक्त पग उठाने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) 1966–67 में विभिन्न राज्यों में कितने क्षेत्र की सिंचाई की जायेगी ; और

(घ) इस पर कितनी राशि अधिक व्यय होगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) जिन उपायों पर विचार हो रहा है उन में से कुछ निम्नलिखित हैं :—

(1) निकटतम भविष्य में केन्द्रिकृत ध्यान के लिये 12 बृहत परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है।

(2) शीघ्र पूरा करने के विचार से द्रुततर ध्यान के लिये 46 मध्यम दर्जे की परियोजनाओं की सिफारिश की गई है।

(3) लिफ्ट स्कीमों में तेजी लाने के लिये संकटकालीन कार्यक्रम की कार्यान्विति।

(4) उत्पन्न हो चुकी सिंचाई क्षमता को शीघ्र प्रयोग में लाना।

(5) विद्यमान परियोजनाओं के अधीन दूसरी फसल को पैदा करना।

(ग) तथा (घ) : कितना अतिरिक्त क्षेत्र सिंचाई अधीन लाया जा सकता है, यह 1966–67 में प्रबंधित व्यय राशि पर निर्भर करेगा। राज्यश: अतिरिक्त क्षेत्र, जिस को, यथासूचित धन उपलब्ध हो जाने पर सिंचाई के अधीन लाया जा सकता है, का एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–5235/68]**

सिद्धपुर सिंचाई परियोजना

1256. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य सरकार से सरकार को सिद्धपुर सिंचाई परियोजना की योजना प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत कितने क्षेत्र की सिंचाई की जायेगी;

(घ) योजना पर कितना व्यय होगा;

(ङ) क्या योजना के लिये तकनीकी स्वीकृति दे दी गई है;

(च) यदि हां, तो कब; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) तथा (ख) : संभवतः पुनरीक्षित अपर कृष्णा परियोजना के बारे में, जिस के अधीन सिद्दापुर स्थल पर एक बांध का निर्माण परिकल्पित है, प्रश्न पूछा गया है। इस की परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को मार्च में प्राप्त हुई थी।

(ग) प्रथम चरण में 6 लाख एकड़ के आयाकट की सिंचाई करने का विचार है।

(घ) प्रथम चरण पर अनुमानतः 59 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

(ङ), (च) तथा (छ) : केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के विचार राज्य सरकार को भेज दिये गये हैं और उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

Irrigation Projects in Maharashtra

1257. Shri D. S. Patil : Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) the number and names of the irrigation projects submitted by the Maharasthra Government to Central Governmenet for approval during the current year;

(b) the total expenditure involved in all these projects; and

(c) the names of the projects consider for inclusion in the Fourth Plan?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri S. D. Misra) : (a) The following eight irrigation projects, of which only one is a Plan Project, were received from the Government of Maharashtra during the current year:—

Plan Project :

(1) Bagh (revised).

Non-Plan Projects :

(2) Dongargaon

(3) Upper Penganga.

(4) Upper Godavari (revised).

(5) Tulshi.

(6) Upper Tapi.

(7) Kukadi.

(8) Sorna.

(b) The total estimated cost of these projects is Rs. 7291·38 lakhs.

(c) The list of projects to be included in the Fourth Plan has not yet been finalised.

Rural Water Supply schemes in Maharashtra

1258. Shri D. S. Patil : Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Maharashtra Government have submitted certain rural water supply schemes for approval during the current year;

(b) if so, the number of schemes submitted and the total expenditure involved therein; and

(c) the decision taken thereon?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) Yes.

(b) & (c). 104 rural water supply schemes estimated to cost Rs. 193·67 lakhs have been received from the Government of Maharashtra for approval. 61 schemes have been approved for execution at an estimated cost of Rs. 131·01 lakhs. 32 schemes costing Rs. 15·01 lakhs have been returned to the State Government for revision in the light of the technical comments offered by the Directorate General of Health Services. 11 schemes costing Rs. 47·65 lakhs are under examination of the Directorate General of Health Services.

सेलम जिले में सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा छापे

1259. **श्री धर्मलिंगम :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1964–65 और 1965–66 में अब तक सीमा शुल्क अधिकारियों ने सेलम जिले में कोई छापे मारे हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने छापे मारे हैं ;

(ग) कितना जुर्माना किया गया है ; और

(घ) अभी कितने मामले लम्बित पड़े हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां ।

(ख) 1964–65 में 3 और 1965–66 में 15 नवम्बर 1965 तक 6।

(ग) अब तक न्याय-निर्णय किये गये मामलों में 400.00 रुपये के दण्ड लगाये गये।

(घ) 3 ।

दक्षिण अरकाट में वस्तुओं का चोरी छिपे आना जाना

1260. **श्री धर्मलिंगम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि मद्रास राज्य के दक्षिण अरकाट जिले में बड़े पैमाने पर वस्तुएं चोरी-छिपे आती जाती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) सरकार को पता है कि चोरी छिपे माल लाने ले जाने की दृष्टि से इस जिले का समुद्री तट तुलनात्मक रूप से सुगम स्थल है।

(ख) चोरी छिपे माल लाने ले जाने की रोक थाम करने के लिए और तट पर अवैध-रूप से उतारने के अभिप्राय से आते हुए सामान को रास्ते ही में रोकने के लिये, निरोधक कर्मचारियों द्वारा गुप्त सूचना इकट्ठी की जाती है और समुद्र के किनारे किनारे पानी में तथा भूमि पर दोनों जगह गस्त लगाई जाती है।

L. I. C. Investment in Maharashtra

1261. **Shri D. S. Patil :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total amount invested by the Life Insurance Corporation in industries and other concerns in Maharashtra State during the years 1963-64, 1964-65 and 1965-66 so far;

(b) whether the Government of Maharashtra have submitted any plans to the Life Insurance Corporation for more investment in the State;

(c) if so, the estimated amount to be invested on those schemes, and

(d) the action taken by the Life Insurance Corporation in this regard?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari). (a) A statement is laid on the table of the House. **[Placed in the Library. See No. LT-5236/65]**

(b) No, Sir.

(c) Do not arise.

Currency Notes of Rs. 20 Denomination

1262. **Shri D. S. Patil :**

Shri Onkar Lal Berwa :

Shri Lakhmu Bhawani :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to issue currency notes of Rs. 20 denomination;

(b) if so, the total amount for which these currency notes would be issued; and

(c) whether it is proposed to issue currency notes of some other denomination also?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) Government have decided to authorise the Reserve Bank of India to issue notes in the denomination of Rs. 20.

(b) The number of notes in the denomination of Rs. 20 to be put into circulation will be decided by the Reserve Bank of India in the light of the estimated demand for such notes.

(c) Apart from the notes in the denominations already in circulation and in the denomination of Rs. 20 there is no proposal to issue notes in any other denomination.

L. I. C. Investment in U. P.

1263. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total amount of capital invested by the Life Insurance Corporation in industries in U. P. during 1963-64, 1964-65 and 1965-66, so far;

(b) whether the U. P. Government have submitted any scheme to the Corporation for investment of more capital in the State; and

(c) the action taken by the Corporation in this regard?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a)

(Rupees in lakhs)

Particulars of investment	1963/64	1964/65	1/4/65 to 31/10/65
Shares & Debentures	108·63	57·94	59·97

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

N.B. —In respect of the years 1963-64 and 1964-65, the figures of investments are net, *i. e.*, investments made in the respective years, less sales and redemption proceeds realised. The figures of investment given for the period 1st April, 1965 to 31st October, 1965, are gross investments, *i e.*, investments from which sales and redemption proceeds are not deducted. It is not practicable at short notice to obtain figures of investments in the middle of a year after deducting therefrom sales and redemption proceeds, as Statewise and categorywise figures of such sales and redemption proceeds are prepared only at the end of the year.

केरल में बिजली संबंधी सब डिवीजनें

1264. **श्री पोट्टेकाट्ट :**

श्री अ० व० राघवन :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में लोक निर्माण विभाग के अधीन बिजली सम्बन्धी कितने सब-डिविज़न हैं ;

(ख) क्या इस संवर्ग में सेवा की शर्तों के विनियमन के लिये कोई नियम बनाये गये हैं ; और

(ग) इस संवर्ग में काम करने वाले कर्मचारियों के स्थायीकरण के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहेरचन्द खन्ना) : (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायगी ।

Hospital for workers of Security Printing Press, Nasik

1265. **Shri Madhu Limaye :**

Shri Bagri :

Will the Minister for **Finance** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that as per agreement between the workers and Manager of Security Printing Press, Nasik, a hospital has already been constructed and necessary equipment installed recently but it has not started functioning yet; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) A properly equipped Hospital is being set up at the India Security, Press Nasik; there is however no agreement between the Master, India Security Press and the workers in this behalf. The civil works connected with the Hospital have been completed except for rectification of certain minor defects. The Master, India Security Press has not, however, taken possession of the buildings from the C.P.W.D. Some equipments including furniture have also been procured but they have not yet been installed.

(b) The main reason for the delay in commissioning the Hospital is that it has not yet been possible to engage a suitable Medical Officer to be incharge of the Hospital. Action has already been taken to recruit the required number of Medical Officers from the open market through the Union Public Service Commission.

Income-tax and Estate Duty Arrears

1266. **Shri Vishwa Nath Pandey :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of Income-tax arrears realised during the year 1964-65 and the balance of arrears at the end of the same year; and

(b) the amount of estate duty arrears realised during 1964-65 in Uttar Pradesh and the balance of arrears at the end of the same year?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) Income-tax arrears realised during 1964-65 Rs. 58·25 crores

Effective arrears of Income-tax outstanding as on 31-3-1965 Rs. 193·40 crores

(b) Estate Duty arrears realised during 1964-65 in Uttar Pradesh. Rs. 3·89 lakhs

Arrears of Estate Duty outstanding as on 31-3-1965 Rs. 8·39 lakhs.

राजस्थान में चिकित्सा और स्वास्थय कर्मचारी

1267. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बागड़ी :
श्री मधु लिमये :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री राजस्थान में चिकित्सा तथा स्वास्थ्य कर्मचारियों के बारे में 23 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2696 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये राज्य सरकार के प्रस्तावों के बारे में इस बीच अन्तिम निश्चय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सेवाग्राम में मेडिकल कालेज

1268. **श्री राम सेवक यादव :**
श्री बागड़ी :
श्री मधु लिमये :
श्री यशपाल सिंह :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री 23 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2684 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सेवाग्राम में कस्तुरबा स्वास्थ्य समिति के मेडिकल कालेज के खुलने में क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : योजना का ब्यौरा दर्शाने वाला एक परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है, जिसपर पहले योजना आयोग के परामर्श से अग्रेतर विचार किया जा रहा है ।

दामोदर घाटी निगम का विद्युत् प्रशुल्क

1269. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दामोदर घाटी निगम के विद्युत् प्रशुल्क में वृद्धि होने की सम्भावनाओं का परीक्षण करने के लिये कोई समिति बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति के निर्देश पद क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्याम धर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) समिति से कहा गया है कि वे दामोदर घाटी निगम, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य बिजली बोर्डों की आर्थिक अवस्था को ध्यान में रख कर 1 अप्रैल, 1965 से दामोदर घाटी निगम के टेरिफ के प्रस्तावित पुनरीक्षण के सभी पक्षों पर विचार करें और उस पर सुझाव दें। सुझाव देते समय समिति निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगी :—

(i) न्यूनतम लाभों के सम्बन्ध में विश्व बैंक को दिये गये प्रवचन।

(ii) वैंकटरमण समिति की सिफारिशें।

(ग) अन्य सभी संबद्ध मामले, जैसा कि यह प्रश्न कि क्या पुनरीक्षित टेरिफ को उस समय तक लागू रहने दिया जाए जब तक कि दामोदर घाटी निगम समिति की सिफारिशों के आधार पर टरिफ के पुनरीक्षण पर निर्णय न कर ले।

बिहार और पश्चिम बंगाल में तापीय बिजली घर

1270. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री क० ना० तिवारी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री बह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और पश्चिम बंगाल के कोयला क्षेत्रों में तापीय बिजली घर स्थापित करने की योजना का परित्याग कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्याम धर मिश्र) : (क) जी, नहीं। चन्द्रपुरा (दामोदर घाटी निगम), पथ्राट् (बिहार) और संतालदीह (पश्चिम बंगाल) में कोई वृहत ताप बिजली घर नहीं लगाया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आवास परियोजनायें

1272. **श्री प्र० चं० बरुआ :**

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार को राज्यों से इस बारे में अभ्यावेदन मिले हैं कि आवास परियोजनाओं के मंजूर किये जाने और पूरा होने के बीच काफी समय रहने के कारण जीवन बीमा निगम द्वारा उनको पेशगी दी गयी सारी धनराशि को खर्च करना कठिन हो गया ;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों को अपने वार्षिक आवंटन से काफी अधिक राशि की आवास परियोजनाएं मंजूर करने की अनुमति दे दी गयी है ;

(ग) यदि हां, तो आवंटन से कितने अधिक धन की मंजूरी दी गयी है ; और

(घ) क्या यह नयी सुविधा किसी शर्त पर दी गयी है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहेरचन्द खन्ना) : (क) से (घ) : भारत सरकार को यह अभ्यावेदित किया गया था कि आवास परियोजनाओं के स्वीकार होने और पूर्ण होने के बीच समयान्तर के कारण, राज्य सरकारों को उसी वर्ष के दौरान जीवन बीमा निगम के द्वारा दी गई सम्पूर्ण निधि को खर्च करने में कठिनाई होती थी। इसलिये 1965–66 से राज्य सरकारों को यह अनुमति दे दी गयी है कि वे प्रत्येक वर्ष उस वर्ष को नियत की गयी आवास परियोजनाओं से 25 प्रतिशत अधिक तक स्वीकार कर लें बशर्ते कि वास्तविक खर्च उस विशेष वर्ष के दौरान जीवन बीमा निगम के द्वारा दिये गये ऋण की सीमा में हो।

बीस वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों में रतिज रोग

1273. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

श्री क० ना० तिवारी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में भारतीय जन स्वास्थ्य संघ की और से कोई गोष्ठी का आयोजन किया गया था ;

(ख) क्या इस गोष्ठी में भाग लेने वालों ने कालेज के विद्यार्थियों और बीस वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों में बढ़ रहे रतिज रोगों के प्रति चिन्ता प्रकट की ;

(ग) रतिज रोगों के औषधालयों की कमी को दूर करने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं और वर्तमान औषधालयों का नवीकरण करने के लिये क्या किया जा रहा है ; और

(घ) विश्वविद्यालय प्राधिकारियों और प्रमुख शिक्षाविदों से, विद्यार्थियों में प्रभावी प्रचार कार्य करने के लिए, कितना सहयोग मांगा गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां। भारतीय जन स्वास्थ्य संघ की दिल्ली शाखा के तत्वाधान में 28 अगस्त, 1965 को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में रतिज रोग की समस्या के सम्बन्ध में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया था।

(ख) विचार-गोष्ठी में एक वक्ता ने किशोरों में रतिज रोग के बढ़ने का उल्लेख किया था।

(ग) प्रत्येक जिला मुख्यालय में रतिज रोगों का कम से कम एक औषधालय और प्रत्येक राज्य में एक प्रधान औषधालय स्थापित करने के उद्देश्य से एक रतिज रोग रोकथाम योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सहायता प्राप्त कार्यक्रम के रूप में सम्मिलित की गई थी। यह योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना में चलती रही है। दूसरी योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में रतिज रोग के 100 औषधालय स्थापित किये गये और तीसरी योजना में अब तक 32 औषधालय स्थापित किये गये हैं। औषधालय स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर स्थापित किये जाते हैं और इस प्रयोजन के लिय राज्यों को आवर्तक व्यय के 50 प्रतिशत और अनावर्तक व्यय के 75 प्रतिशत की दर से केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) इस विषय पर दिल्ली विश्वविद्यालय में 6 अभिस्थापन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। भारत में नैतिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य विज्ञान संगठन नियमित रूप से रतिज रोगों के सम्बन्ध में विचार-गोष्ठियों का आयोजन करता है। केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो भी इस संगठन द्वारा स्कूलों और कालेजों में शिक्षा कार्य में उसकी सहायता करता रहा है। कई पुस्तिकाय, विवरणिकायें और एक फिल्म ("विशियस सैनेमी") तैयार की गई है और सभी राज्यों को बांटी गई हैं।

असिस्टैन्टों का वेतन-क्रम

1274. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय सचिवालय के असिस्टैन्टों को 210–530 रुपये के पुनरीक्षित वेतन-क्रम में मंहगाई भत्ते की पूरी रकम मिलाने का लाभ नहीं दिया गया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सचिवालय असिस्टैन्ट्स एसोसियेशन ने उनके वेतन-क्रम के पुनरीक्षण के बारे में कोई अभ्यावेदन दिया है और यदि हां, तो मांग स्वीकार न किये जाने के क्या कारण है; और

(ग) क्या सरकार अब इस दृष्टि से असिस्टैन्टो के वेतन-क्रम को पुनरीक्षित करने का विचार कर रही है कि संयुक्त सचिवों के मामले में दूसरे वतन आयोग द्वारा सुझाये गये वेतन-क्रमों को अभी हाल में संशोधित किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) दूसरे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय के असिस्टैन्टों को 210–10–290–15–320–इ० बी०–15–425–ई०बी०–15–530 रुपये का वेतग-क्रम दिया गया था।

(ख) केन्द्रीय सचिवालय असिस्टैन्ट एसोसिएशन ने उनके वेतन-क्रम का पुनरीक्षण करने के बारे में अभिवेदन किया था। कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्व, तथा अन्य श्रेणियों के वेतन-क्रमों के समुचित पुनरीक्षण के संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हूए दूसरे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किये गये वेतन क्रम के सीमान्तर में 210–10–270–15–300–ई०बी०–15–450–ई०बी०–20–530 रुपये का वेतन-क्रम निर्धारित करके सीमित सुधार किया गया था।

(ग) जी, नहीं ।

डिसपैच राइडर्स का वेतन-क्रम

1275. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री वारियर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने डाक तथा तार विभाग में डिस्पैच राइडरों के वेतन-क्रम को संशोधित किया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सचिवालय में काम करने वाले डिसपैच राइडरों ने सरकार से यह मांग की है कि तदनुसार उनके वेतन-क्रमों को भी पुनरीक्षित किया जाना चाहिये और उनके वेतन-क्रमों को डाक तथा तार विभाग के वेतन-क्रमों के अनुरूप कर दिया जाये ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां ।

(ग) सचिवालय के कार्यालयों में काम करने बाले डिसपैच राइडर्स को उच्चतम वेतन-क्रम नहीं देने का निर्णय किया गया है।

पंजाब में भारी उद्योग

1276. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीन पंचवर्षीय योजनाओं में (राज्यवार) गैर-सरकारी क्षेत्र में भारी उद्योगों का कितना आवंटन किया गया;

(ख) इसी अवधि में पंजाब में उद्योगों का कम आवंटन करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में पंजाब के लिए अधिक आवंटन किया जायेगा ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) योजना में गैर-सरकारी क्षेत्र में, भारी उद्योगों का राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

कैंसर का इलाज

1277. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सांप के जहर को कैंसर के इलाज के लिए उपयोगी पाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक किये गये अध्ययन का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : कैंसर से होने वाली पीड़ा में आराम पहुंचाने तथा कसर के इलाज में विभिन्नरूपों और अवमिश्रणों में सांप के जहर का प्रयोग किया गया है। कैंसर सहित अनेक रूग्ण अवस्थाओं मे सांप के जहर के कारण होने के सम्बन्ध में भारत, अमरीका और यूरोप में अध्ययन किया गया है। विभिन्न विचारधाराओं के लोगोंने भिन्न-भिन्न मत व्यक्त किये हैं। इस समय सुविचारित मत से मालूम पड़ता है कि आपरेशन न करने योग्य कैंसर के बढ़ जाने से होने वाली दुर्दान्त पीडा में आराम पहूँचाने में सांप का जहर सहायक हो सकता है, लेकिन कैंसर से रोगमुक्ति के लिए इसका कोई वास्तविक महत्व नहीं है।

भारतीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र, बम्बई में पशुओं पर अनुसंधान किया जा रहा है। अभी केवल प्रयोग किये जा रहे हैं।

Widening of roads in Delhi

1278. **Shri Hukum Chand Kachhavaiya** : Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Development Authority has recently decided to widen the roads in Delhi ;

(b) if so, the number of roads proposed to be widened; and

(c) the cost involved therein?

Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) The Delhi Development Authority has approved the alignments for the widening of certain roads in Delhi. The actual widening of the roads is carried out by the Delhi Municipal Corporation and the New Delhi Municipal Committee.

(b) & (c). The number of roads widened and proposed to be widened by the Delhi Municipal Corporation and the New Delhi Municipal Committee and the estimated cost thereof are as indicated below:—

Name of the Local Body	No. of roads widened	No. of roads proposed to be widened
Delhi Municipal Corporation	29 (Includes 6 roads where work is in progress). Expenditure incurred or proposed to be incurred—Rs. 77·59 lakhs.	61 roads are proposed to be widened during the 4th and 5th Five Year Plans at an estimated cost of Rs. 561 lakhs.
New Delhi Municipal committee	11 (Estimated cost Rs. 32·13 lakhs)	Widening of some more roads will be undertaken after a priority list is drawn up in consultation with the Delhi Development Authority and the Ministry of Transport.

Cultivation of Vacant Land in Delhi

1279. Shri Yashpal Singh :
Shri Lakhmu Bhawani :
Shri P. C. Borooah :
Shri Gokulananda Mohanty :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Works** and **Housing** be pleased to state :

(a) whether Government have decided that land lying vacant on road side and in front of and attached to the bungalows in Delhi and New Delhi will be utilized for growing more foodgrains and vegetables;

(b) if so, the area of land that could be so utilised; and

(c) the names of crops to be grown there?

Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) to (c). Useable land within the compounds of large Government bungalows is being cultivated to grow cereals and vegetables. About 30 acres of such land has been put under wheat and vegetables up till now.

जीवन बीमा निगम का प्रीमियम

1280. श्री हेडा :

श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री 26 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 236 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) 1961 से 1964 तक की अवधि में बीमाकृत व्यक्तियों की मृत्यु के बारे मे की गई जांच के परिणामों के 1966 से पहले न मिलने के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस कार्य को शीघ्र पूरा करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) : निगम द्वारा की गई मृत्यु संबंधी जसी बड़ी जांच के लिए विशष फार्म में बहुत से आंकड़े इकट्ठे करने होते हैं तथा बाद में उनका विश्लेषण करना होता है। जांच की अवधि समाप्त होने के बाद इसमें कम से कम 1 से $1\frac{1}{2}$ वर्ष तक लगेगा। इसलिए जांच के परिणाम 1966 से पहले मालूम हो जाने की आशा नहीं की जा सकती है।

Loss of Crops

1281. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the paddy and sugarcane crops have been adversely affected by the non-availability of water from the Gandhi Sagar Dam in sufficient quantity; and

(b) if so, the steps being taken to augment their production?

Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri S. D. Misra) : (a) Yes.

(b) Sufficient supplies of water are not available from the Gandhi Sagar Dam to meet the needs of both Kharif and Rabi crops. Available supplies are however not insufficient for the existing paddy and sugarcane crops. However, diversion of even a part of the present supplies, by the cultivators, for Rabi sowing, will result in reduced yield from the standing paddy and sugarcane crops. The overall output from both Kharip and Rabi crops is expected to be better. Cultivators are being advised to economise on use of waters. Channels are being run in rotation.

तुंगभद्रा नदी का जल

1282. श्री बासप्पा :

श्री कोल्ला वैंकैया :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुंगभद्रा नदी के कुछ फालतू जल को, जिस पर मैसूर का अधिकार है, अन्य राज्यों को देने का कोइ प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या मैसूर सरकार ने उस पर कोई आपत्ति उठाई है ; और

(ग) इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्याम धर मिश्र) : (क) से (ग) : मैसूर और आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्रियों ने यह स्वीकार कर लिया है कि आन्ध्र प्रदेश में दूसरी फसल के लगभग 1 से $1\frac{1}{2}$ लाख एकड़ क्षेत्र की सिंचाई के लिये तुंगभद्र के फालतू पानी को प्रयोग में लाया जाए।

दिल्ली में अनधिकृत निर्माण

1284. **श्री शिवचरण गुप्त** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सरकारी तथा सार्वजनिक भूमि को अनधिकृत रूप से दबा लिये जाने तथा अनधिकृत रूप से निर्माण कर लिये जाने के मामलों में अत्यधिक वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन गैर-कानूनी कार्रवाईयों को रोकने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहेरचन्द खन्ना) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) : अतिक्रमणों को रोकने के लिए सभी संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं। भूमि के स्वामी प्राधिकारियों से कहा गया है कि वे अपनी भूमि की निगरानी सावधानी से करें तथा अतिक्रमण के मामलों की पुलिस में रिपोर्ट कर दें। गैर कानूनी तौर पर कब्जे को रोकने के लिए खाली की गयी भूमि को घेरा जा रहा है अथवा जिस कार्य के लिए वह है उस कार्य के उपयोग में उसे लाया जा रहा है। नये गर कानूनी तौर पर बैठने वालों को हटाया जा रहा है तथा नये गैर कानूनी तौर पर बैठने को प्रज्ञेय (कागनीज़ेबल आफेन्स) अपराध बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, ताकि पुलिस भूमि-स्वामी प्राधिकारियों की शिकायत की प्रतीक्षा किये बगैर अपनी ओर से, नये गैर कानूनी तौर पर बैठने वालों के खिलाफ, कार्यवाई कर सकें।

Capital Investment in States

1285. **Shri Yogendra Jha** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the per capita capital investment in industries in various States in public (States and Centre both) and private sectors during the First, Second and Third Five Year Plan periods;

(b) whether it is a fact that per capita capital investment in industries in Bihar is half of such total national average investment; and

(c) the reasons for less capital investment in industries in Bihar in spite of the fact that raw material and other facilities for most of the industries are available in abundance in that State?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) : (a) & (b). A statement giving the estimated statewise per capita capital investment on large and medium industries during the First, Second and Third Plan periods in the public sector is laid on the Table of the House. [**Placed in the Library. See No. LT-5237/65.**] The table also indicates per capita investment in Bihar in comparison to the national average. Data on statewise capital investment in the private sector is not available.

(c) The location of industrial projects is decided on economic and other relevant considerations. The data given in the statement is not strictly comparable, as the information for private sector projects is not available. Further, some industries are more capital intensive than others, some States are more densely populated than others and some have greater economic facilities, such as transport, nearness of raw materials and proximity of demand for finished products than others. No worth-while conclusion can therefore be drawn from these comparative figures.

कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में विश्व बैंक के दल के निष्कर्ष

1286. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** **श्री हिम्मतसिंहका :**

श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री रामेश्वर टांटिया :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बक के दल ने देश में कृषि उत्पादन के 'असन्तोषजनक परिणामों' के लिये भारत को प्रशासनिक व्यवस्था को दोषी ठहराया है;

(ख) विश्व बैंक दल के अन्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग) : नवम्बर, 1965 के लोक-सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 411 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। मांगी गई जानकारी देना संभव नहीं है क्योंकि स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

स्विट्जरलैंड से ऋण

1287. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्विट्जरलैंड सरकार भारत को 630 लाख स्विस फ्रेंक्स का ऋण देने के लिये राजी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर; और

(ग) उससे किन परियोजनाओं का वित्त पोषण किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग) : जी, नहीं। मामला अभी भी विचाराधीन है। इस बीच में पहले ऋणों की शर्तों के समान शर्तों पर 150 लाख स्विस फ्रैंक्स का ऋण प्रदान किया गया है।

Debts which India owe to Pakistan

1288. Shri Bade : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the amount which has to be given to Pakistan by India under the Indo-Pak. Financial Treaties alongwith the purposes for which it is to be given?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : Pakistan's claims against India arise mainly out of separation of currency and certain post-partition transactions. There has been no agreement yet on the amounts involved.

राष्ट्रीय आय

1289. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में राष्ट्रीय आय का कितना भाग क्रमश: 1950 और 1964 में करों से प्राप्त हुआ;

(ख) राज्य किन अन्य साधनों द्वारा राष्ट्रीय आय का कोई भाग प्राप्त करते है तथा क्रमश: 1950 तथा 1965 में अब तक इसका अनुपात क्या था;

(ग) कुल आर्थिक गतिविधि का कितना भाग क्रमश: 1950 तथा 1964 में राज्यों के सीधे अधिकार में था; और

(घ) करों तथा अन्य साधनों द्वारा एकत्रित की गई राष्ट्रीय आय का कितना भाग क्रमश: 1950 तथा 1965 में गरीब वर्गों को पुन: वितरित किया गया ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने जो कुल कर-राजस्व प्राप्त किया वह 1950-51 में राष्ट्रीय आय का 6.6 प्रतिशत था और अनुमान है कि 1964-65 में वह लगभग 13 प्रतिशत होगा ।

(ख) करों के अलावा, जिन अन्य साधनों के द्वारा निजी आय से धन प्राप्त किया जाता है उनमें सरकारी प्रतिष्ठानों के अंशदान जैसे करों से भिन्न राजस्व और बाजार ऋणों, छोटी बचतों, राज्य भविष्य निधियों आदि जैसी विभिन्न प्रकार की देशीय पूंजीगत प्राप्तियां शामिल है । अनुमान है कि करों से भिन्न केन्द्रीय और राज्य सरकारों के राजस्वों का राष्ट्रीय आय से अनुपात 1950-51 में 1.6 प्रतिशत और 1964-65 में लगभग 2.7 प्रतिशत था और वास्तविक, देशीय पूंजीगत प्राप्तियों का राष्ट्रीय आय से अनुपात 1950-51 में 1.2 प्रतिशत और 1964-65 में लगभग 5.2 प्रतिशत था ।

(ग) जिस सबसे बाद के वर्ष के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध है वह 1962-63 है । अनुमान है कि कुल राष्ट्रीय व्यय में सरकार का अंश, जो 1950-51 में 8.3 प्रतिशत था, 1962-63 में बढ़कर 16.5 प्रतिशत हो गया ।

(घ) आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

उड़ीसा की सिंचाई और बिजली की योजनायें

1291. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय केन्द्रीय सरकार के पास मंजूरी के लिये उड़ीसा सरकार की सिंचाई और बिजली की कितनी योजनाएं लम्बित पड़ी हुई है और उनका लागत संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन से क्या क्या लाभ होने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्याम धर मिश्र) : जानकारी का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-5238/65 ।]

उड़ीसा को सहायता

1292. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **वित्त** मंत्री 25 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1557 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य को 1964-65 में दी गई सहायता में कमी का कोई अनुमान लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) 70 लाख रुपए की अनुमानित कमी को पूरा करने के लिए जून, 1965 में इतनी ही राशि उड़ीसा सरकार को मंजूर कर दी गई है।

उड़ीसा में देहाती आवास

1293. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **निर्माण** और **आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में उड़ीसा में देहाती आवास योजनाओं के लिये कुल कितनी राशि मंजूर की गई है; और

(ख) इस अवधि में इस कार्य के लिये केन्द्रीय सरकार कितने प्रतिशत राशि देगी ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहेरचन्द खन्ना) : (क) 8 लाख रुपये।

(ख) मकानों को बनाने अथवा मौजूदा मकानों के सुधार के लिए 80 प्रतिशत ऋण के रूप में तथा (1) भूमिहीन खेतीहर मज़दूरों के लिए मकानों के स्थान की व्यवस्था करने तथा (2) चुने हुए गांवों में सड़कें तथा नालियां बनाने के लिए, 100 प्रतिशत अनुदान के रूप में। 1965-66 के लिए इस योजना के अन्तर्गत उड़ीसा को अलाट की गयी कुल वित्तीय सहायता 7.6 लाख रुपये है, 3.6 लाख रुपये ऋण के रूप में और 4 लाख रुपये अनुदान के रूप में।

उड़ीसा में देहाती औद्योगिक परियोजनायें

1294. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय कितनी देहाती औद्योगिक परियोजनाएं चल रही हैं ; और

(ख) 1965-66 में इस प्रयोजन के लिए उस राज्य को केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) उड़ीसा राज्य में फिलहाल दो ग्रामोद्योग परियोजनाएं यानी बारापाली (सम्बलपुर जिले में) और जाजपुर (कटक जिले में) चल रही है।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने 1965-66 के दौरान दो ग्रामोद्योग परियोजनाओं के लिए उड़ीसा सरकार को 12.45 लाख रुपये आवंटित किये है।

उड़ीसा में आयकर की बकाया राशि की वसूली

1295. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 सितम्बर, 1965 तक उड़ीसा में आयकर की कितनी बकाया राशि वसूल की गई थी ; और

(ख) उक्त अवधि की समाप्ति तक कितनी राशि बकाया रह गई थी ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) 12.04 लाख रुपये।

(ख) 2.19 करोड़ रुपये।

फरक्का बांध

1296. श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरक्का बांध के मुख्य बांध कार्य को छोड़ कर अन्य सहायक कार्यों, अर्थात शाखा नहर आदि का काम रोक दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Government Accommodation

1297. Shri Hukum Chand Kachhavaiya : Shri Omkar Singh :

Shri Bade : Shri Gauri Shankar Kakkar:

Will the Minister of **Works** and **Housing** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that if a Government employee dies and his family continues to occupy the house allotted to him for some period due to unavoidable reasons, double the rate of house-rent is charged from them; and

(b) if so, whether Government are formulating any rules in order to give some relief to such families who are thus hit hard?

Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) and (b): On the death of the allottee of a general pool residence, his family is permitted to retain Government accommodation for a period of four months on payment of the same rent as was being recovered from the allottee just before his death. Damages computed on the basis of market rates of rent are recoverable in cases where the residence is not vacated within that period. There is no proposal to amend the existing rule in this respect.

New Alkaloid Factory at Neemuch

1298. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to unstarred question No. 2735 on the 23rd September, 1965 and state the reasons for the setting up of the new alkaloid Factory at Neemuch when the biggest factory of Asia exists at Ghazipur (U.P.)?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : The present Alkaloid factory at Ghazipur is a small plant producing about 3,500 kgs of alkaloids annually. It has been functioning under various handicaps with obsolete equipment and out-of-date technical process which results in a relatively low recovery of available Morphine and other Alkaloids. It has not only no further capacity for expansion but has also outlived its normal life and is increasingly facing the possibility of a break-down. In any case, it cannot be expected to work even at its present low efficiency much longer. In the event of a break-down, we would be compelled to import these essential drugs.

A new process has been evolved which would increase the percentage of recovery of alkaloids from opium, but it is not possible to adopt this process in the existing plant at Ghazipur. It is therefore considered necessary to set up a new plant. Neemuch is well suited for the purpose, being situated conveniently both from the point of supply of raw materials as well as from the point of marketing of the alkaloids. Morphine and other alkaloids are essential drugs, particularly during times of war and from the point of security, it would not be desirable to have both the factories at the same place.

बम्बई में एक बैंक लॉकर से पकड़ी गई घड़ियां

1299. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री किन्दर लाल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई के सीमा शुल्क अधिकारियों ने 2 नवम्बर 1965 को सैंट्रल बम्बई में एक स्थानीय बैंक के सेफ डिपाजिट वौल्ट के एक लाकर से बहुत-सी कलाई घड़ियां पकड़ी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां ; 2-11-65 को डोंगरी, बम्बई में एक बैंक के सेफ डिपाजिट लाकर से बम्बई सीमाशुल्क अधिकारियों ने 517 घड़ियां पकड़ी जिनका बाजार भाव से मूल्य लगभग 60,000 रु० है।

(ख) जांच-पड़ताल चल रही है और उसके पूरी होने पर विभागीय कार्यवाही करने के बारे में विचार किया जायेगा। इस बीच, जिस व्यक्ति के पास से उक्त लाकर की चाबी पकड़ी गई थी, उसे गिरफ्तार किया गया, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।

Exchange of notes at Reserve Bank of India

1300. Shri Ram Sewak Yadav: Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of days taken in exchanging torn out and spoilt currency notes at the Reserve Bank of India;

(b) whether any arrangements are proposed to be made for exchanging notes in the shortest possible time;

(c) the number of claims in respect of spoilt currency notes entertained by the Reserve Bank in August 1965, and the number of claims disposed of during the same month;

(d) whether it is a fact that the Officers charge some commission from the professionals and exchange their notes earlier than those of laymen; and

(e) if so, whether Government propose to adopt measures to do away with this evil?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) and (b). Except when detailed enquiries become necessary under the Note Refund Rules, claims are disposed of in the shortest possible time *i.e.*, usually within seven days.

(c) The information is being collected and will be laid on the Table of the house in due course.

(d) Neither the Reserve Bank nor the Government have received any reports that Reserve Bank officials are charging commission from professional dealers for prompt service.

(e) Does not arise.

येन ऋण क अन्तर्गत करार

1301. श्री हिम्मतसिंहका :

श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान ने भारत सरकार को सूचित किया है कि चालू वित्तीय वर्ष में भारत को येन ऋण के अधीन करारों की स्वीकृति अस्थाई तौर पर रोक दी जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके कोई कारण बताये गये हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग) : जी, हां। जापान सरकार ने, भारत सहायता कंसर्शियम की तरह, नवीनतम येन ऋण के अधीन करारों की स्वीकृति अस्थाई तौर पर रोक दी है। तथापि इसके बाद उसने कुछ करार स्वीकृत किये हैं।

कार्यालयों का नागपुर में स्थानांतरण

1303. **श्री बूटा सिंह :**

श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **निर्माण** और **आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1963 और 1964 में कितने अधिकारियों को, उनके कार्यालयों के नागपुर अथवा अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने के अवसर पर दिल्ली स्थित उनके सरकारी क्वार्टरों से निकाला गया था;

(ख) उन अधिकारियों की संख्या क्या है जो अपने मूल कार्यालय के साथ दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित किये जाने के बावजूद सरकारी क्वार्टरों पर कब्जा किये रहे, और क्या इस कब्जे को बादमें उक्त अधिकारियों के पुनः दिल्ली में स्थानान्तरित हो जाने पर मंत्रालय द्वारा सहानुभूति के आधार पर नियमित कर दिया गया; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित जिन अधिकारियों को निकाला गया था उन में कितने अधिकारी अनुसूचित जातियों के थे और कितने अधिकारी गैर-अनुसूचित जातियों के थे ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहेरचन्द खन्ना) : (क) से (ग) : ऐसे 32 मामले थे जिनमें कि अधिकारी सरकारी निवास स्थानों पर रियायती अवधि बीत जाने के बाद, जिसके दौरान में उन्हें अपने तबादले की तारीख के बाद नियमानुसार दिल्ली में निवास स्थान को अपने पास बनाये रखने की अनुमति थी, अधिपत्य रखे हुए थे। प्रत्येक मामले में समुचित कार्यवाई की जा रही है। इसका पता नहीं कि उनमें से कोई अनुसूचित जाति का है अथवा नहीं।

Rent charged on Government Accommodation

1304. Shri Madhu Limaye : Will the Minister of **Works** and **Housing** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 108 on the 4th November, 1965 and state :

(a) the amount of standard rent payable under F. R. 45-B and pooled standard rent under 45-A for types IV and V accommodation in various localities of New Delhi; and

(b) the amount of rent charged on the basis of market rates for the above two types of accommodation ?

Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khana): (a) & (b) : The rents for such accommodation in a few selected localities are as follows:—

	Pooled standard rent under F.R. 45-A	Standard rent under F.R. 45-B (without departmental charges)	Market rent
Type IV			
Pandara Road . .	Rs. 46·00	Rs. 103·85	Rs. 223·50
Laxmibai Nagar .	Rs. 47·00 and 48·00	Rs. 103·85	Rs. 223·50
Gole Market area . .	Rs. 52·00	Rs. 45·35	Rs. 113·10
Sarojini Nagar .	Rs. 47·00 and 48·00	Rs. 103·85	Rs. 223·50
Nanakpur .	Rs. 53·00	Rs.103·85	Rs. 223·50
Type V			
Pandara Road .	Rs. 87·00	Rs. 208·70	Rs. 423·70
Kidwai Nagar .	Rs. 86·00, 88·00 and 89·00	Rs. 187·00	Rs. 402·00
Gole Market area . .	Rs. 65·00, 66·00 68·00 and 69·00	Rs. 55·75 ,58·90 and 59·00	Rs. 143·55 to 150·10
Diplomatic Enclave	Rs. 112·00 and Rs. 116·00	Rs. 287·10	Rs. 576·35

गर्भ निरोध औषधि

1305. श्री ब्रजेश्वर प्रसाद : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 नवम्बर, 1965 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित इस समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है कि 'हारमोन' के क्षेत्र में टैक्सास के एक अनुसन्धानकर्ता डा० जौज़फ गोल्डज़ीहेर ने एक औषधि तैयार की है जिससे गर्भ नहीं ठहरेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां ।

(ख) औषधि भारत में नहीं आई है और प्रयोग नहीं की गई है । वाशिंगटन और टोरोन्टों में अपने मिशनों के ज़रिये उसका पूर्ण ब्यौरा मंगाया जा रहा है ।

मेडिकल कालिज, अलप्पी

1306. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार तिरुमल देवस्वम मेडिकल कॉलिज, अलप्पी के प्रबन्धकों से अपेक्षा करती है कि वे कालेज के उचित प्रबन्ध के लिए सरकार के साथ करार करें; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में प्रबन्धकों की प्रतिक्रिया क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां।

(ख) तिरुमल देवस्वम मेडिकल कॉलेज, अलप्पी के प्रबन्धकों द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किया हुआ करार केरल सरकार को प्राप्त हो गया है।

राज्यों से बकाया ऋणों की वसूली

1307. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कुछ बकाया ऋणों तथा ब्याज की वसूली के प्रश्न के बारे में कुछ राज्यों की सरकारों से पत्र व्यवहार किया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं तथा उनकी ओर ऋण की कितनी राशि बकाया है; और

(ग) इसका क्या परिणाम हुआ है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : राज्य महालेखाकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार 31 मार्च, 1965 को राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय ऋणों की वापसी और उनपर ब्याज के भुगतान की बकाया राशि क्रमशः 5.12 करोड़ रुपये और 21.71 करोड़ रुपये थी। इसमें से इस वर्ष 14.61 करोड़ रुपये वसूल किये जा चुके हैं। ब्यौरा इस प्रकार है :

(लाख रुपयों में)

राज्य	31-3-65 को बकाया राशि		1965-66 में वसूल की गई राशि	
	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज
आन्ध्र प्रदेश	—	6,71	—	2,82
बिहार	21	3,39	21	1,59
जम्मू तथा काश्मीर	2,71	2,61	—	—
मध्य प्रदेश	1,95	66	1,95	66
राजस्थान	—	4,64	—	4,64
पश्चिमी बंगाल	25	3,70	25	2,49
	5,12	21,71	2,41	12,20

कर्मचारी संघों के लिए स्थान का नियतम

1308. **श्री दाजी :**

श्री वारियर :

क्या **निर्माण** और **आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से केन्द्रीय सरकार कर्मचारी संगठनों (संघों और संस्थाओं) ने निर्माण तथा आवास मंत्रालय के ज्ञापन संख्या 12/110/58-ए०सी०सी० दिनांक 2 अप्रैल, 1960 के अनुसार स्थान का नियतन किये जाने की मांग की है;

(ख) क्या स्थान के नियतन की उनकी प्रार्थना को ठुकरा दिया गया है, क्योंकि गृह-कार्य मंत्रालय केन्द्रीय सरकार कर्मचारी संघों/संस्थाओं को स्थान का नियतन किये जाने के विरुद्ध है; और

(ग) यदि नहीं, तो उनको स्थान का नियतन न किये जाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहेरचन्द खन्ना) : (क) से (ग) : ठीक ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है। यदि कोई विशेष मामला मंत्रालय के नोटिस में लाया जाये तो उसकी जांच की जायेगी।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी प्रदेश का विकास

1309. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री किन्दर लाल :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के पर्वतीय प्रदेश का, जिसमें अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल, टेहरी, पिथौरागढ़, चमौली और उत्तरकासी शामिल है, एक पिछड़े क्षेत्र के रूप में पुनगठन किया है, जिसके लिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत एक विशेष विकास कार्यक्रम तैयार किया जायगा तथा क्रियान्वित किया जायेगा, और योजना आयोग से उस प्रदेश को एक विशेष मामले के रूप में वित्तीय सहायता देने के लिए प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो इस के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : उत्तर प्रदेश की चौथी पंचवर्षीय योजना का मसौदा अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

नेफा के लिये बिजली का लक्ष्य

1310. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में नेफा के लिये बिजली का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) अब तक कितना लक्ष्य पूरा हो चुका है;

(ग) अब तक कितने जिलों और सबडिवीजन मुख्यालयों तथा गांवों में बिजली दी जा चुकी है; और

(घ) यदि कोई कमी रह गई है तो उसे पूरा करने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) तृतीय पंच वर्षीय योजना के दौरान प्रस्तावित वास्तविक लक्ष्य निम्नलिखित थे :—

(i) उत्पादन (प्रतिष्ठापित क्षमता) . . 1142 किलोवाट

(ii) जिन बस्तियों में बिजली लगाई जानी है, उनकी संख्या . 20

(ख) सितम्बर, 1965 के अन्त तक, निम्नलिखित लक्ष्यों को पूरा किया गया :

(i) उत्पादन (प्रतिष्ठापित क्षमता) 580 किलोवाट

(ii) बिजली प्राप्त ग्राम 13

(ग) सितम्बर, 1965 के अन्त तक निम्नलिखित ग्रामों और जिलों को बिजली दी गई।

(1)	बापडीला . . .	जिला कामेंग
(2)	हपोली	जिला सबनसिरि
(3)	पस्सीघाट	जिला स्यांग
(4)	खोंसा	जिला तिरप
(5)	एलंग	जिला स्यांग
(6)	मर्घरिटा	जिला तिरप
(7)	रोइंग	जिला लेहित
(8)	तेजु	जिला लेहित
(9)	अनिनि	जिला लेहित
(10)	जयरामपुर	जिला तिरप
(11)	दापोरोजीओ	जिला सुबनसिरि
(12)	जी० टी० सी० पस्सीघाट .	जिला स्यांग
(13)	खेलंग . . .	जिला कामेंग

(घ) कनाडा सहायता कार्यक्रम के अधीन नेफा को दिये गये 14 डीजल यन्त्रों के अतिरिक्त, स्थानीय अधिकारियों ने और 33 डीजल उत्पादन संयन्त्र मंगवाए हैं और 29 विद्युत स्कीमों के प्रति इन सयंन्त्रो को लगाने का कार्य प्रगति पर है।

(2) असम-नेफासीमा पर नफा के तिरप जिले की बस्तियों को बिजली देने के लिये असम राज्य बिजली बोर्ड से बिजली प्राप्त करने के लिये प्रबन्ध किया जा रहा है।

(3) केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग में इस समय 5 छोटी पन बिजली स्कीमों की रिपोर्टों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

दिल्ली में सरकारी क्वार्टर

1311. श्री गुलशन : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अगस्त, 1965 से लेकर 31 अक्तुबर, 1965 तक श्रेणीवार कितने व्यक्तियों ने टाइप 1 से 6 तक (टाइपवार) क्वार्टरों के बदले जाने के लिये आवेदन पत्र दिये हैं; और

(ख) कितने व्यक्तियों के श्रेणीवार क्वार्टर बदले गये हैं; ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहेरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) : परिवर्तन संबंधी नियम 1 जून 1965 से लागू हुए और स्थिति इस प्रकार है :—

वास का टाईप	31 अक्टूबर 1965 तक परिवर्तन के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों की संख्या	31 अक्टूबर 1965 से (1-6-65 से 31-10-65) तक जिन व्यक्तियों को परिवर्तन दिया गया उनकी संख्या
i . .	3276	282
ii . .	1985	292
iii .	582	80
iv . .	757	100
v . .	377	66
vi . .	110	34

Supply of Electricity for tubewells in Punjab

\+

S.N.Q. 4. Shri Rameshwaranand :

Shri Yudhvir Singh :

Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) whether canals in Punjab are almost dry due to drought this year;

(b) whether Government are constantly delaying the supply of electricity to tube-wells required to give a practical shape to the slogan 'Jai Kisan Jai Jawan';

(c) whether this is due to the acute shortage of transformer plants with the Punjab Electricity Department; and

(d) if so, the steps being taken to overcome this difficulty?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) No, Sir. However, due to low flow in the rivers this year, greater care is being exercised in distributing the available supplies.

(b) No, Sir. 4215 tube-well, connections have already been given from 1-4-65 to 30-9-65 and about 11,000 in all are expected to be given during this year.

(c) & (d). There is no shortage of transformers, but there is shortage of other essential materials. All out efforts are being made by the Board for their procurement.

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पाकिस्तानियों द्वारा आसाम में गावों का जलाया जाना

अध्यक्ष महोदय : अब हम ध्यान दिलाने वाली सूचना पर विचार करेंगे। श्री हेम बरुआ अब अपनी ध्यान दिलाने वाली सूचना पढ़ सकते हैं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : Mr. Speaker, I withdraw my calling attention notice which is due to be taken up at 4-30 P.M. to-day.

Mr. Speaker : All right. Does Shri Bade also withdraw his notice?

श्री बडे (खारगोन) : जी, हां।

Mr. Speaker : Shri Chaturvedi too withdraws his notice, so also Shri Vishwa Nath Pandey.

श्री श० ना० चतुर्वेदी (फिरोज़ाबाद) : मैंने अपनी सूचना वापिस नहीं ली है . . . .

अध्यक्ष महोदय : श्री प्र० चं० बरुआ उपस्थित नहीं हैं। उनकी सूचना भी वापिस ली गई समझी जायेगी।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : मैं प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक-महत्व के इस विषय की ओर दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"19 नवम्बर, 1965 को कुछ सशस्त्र सैनिकों की सहायता से पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के एक दल द्वारा आसाम में नालपारा गांव के जलाये जाने का समाचार"।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : 18 नवम्बर, 1965 को तीसरे पहर कई पाकिस्तानी एक भारतीय गांव नालपारा में घुस आये और वह इस गांव के भारतीय राष्ट्रजनों के 49 पशु भगा कर ले गये। उसी रात, पाकिस्तानी पुन: उसी क्षेत्र में घुस आये और उन्होंने गांव के सात मकानों को आग लगा दी। ऐसा करने में पाकिस्तान के अनियमित सैनिक पाकिस्तानी घुसपठियों की सहायता कर रहे थे।

इस घटना के बारे में भारत में स्थित पाकिस्तान के उच्चायुक्त को एक विरोध पत्र भेजा गया है। सरकार ने पाकिस्तान से पाकिस्तानियों द्वारा ले जाये गये पशुओं को वापिस करने तथा नालपारा गांव के निवासियों के मकानों और सम्पत्ति को पहुंचाई गई क्षति के लिये प्रतिकर देने की मांग की है।

पूर्वी क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की जा रही अक्रमणकारी तथा धमकीपूर्ण कार्यवाहियों को सरकार गम्भीरता पूर्वक देखे बिना नहीं रह सकती। हम उनकी इन गतिविधियों का बड़ी सतर्कता से ध्यान रख रहे हैं और जब कोई कार्यवाही करनी आवश्यक होगी तो यथास्थिति उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री हेम बरुआ : यह एक विचित्र बात है कि पाकिस्तानी सैनिकों की सहायता से पाकिस्तानी राष्ट्रजन हमारे एक ऐसे गांव में, जोकि आसाम की राजधानी शिलांग से कुल 50 मील दूर है, घुस आयें और वहां पर आग लगा दें। सरकार कब तक इस क्षेत्र की अवहेलना करती रहेगी? सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान आसाम-सीमा में कम-से-कम रक्षात्मक उपाय क्यों नहीं किये?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : ऐसी तो बात नहीं है कि वहां पर कोई रक्षात्मक उपाय नहीं किये गये। हमारे सनिक इन क्षेत्रों में गश्त लगाते रहते हैं। वास्तव में इस क्षेत्र विशेष में पशु हांक कर ले जाने के तुरन्त पश्चात् हमारा एक गश्ती दल वहां पहुंच गया था। परन्तु जैसे ही वे वहां से पीछे हटे, घुसपैठिये पुनः वापिस आ गये और गांव में मकानों को आग लगा दी।

श्री हेम बरुआ : जब वहां पर पहले ही एक घटना हो चुकी थी तो गश्ती दल पीछे क्यों हटा?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : आप सही कहते हैं कि उन्हें वहां से नहीं हटना चाहिये था। परन्तु चूंकि वह एक गश्ती दल था इस लिये उस दल का काम इस क्षेत्र में गश्त लगाना था और वह किसी स्थान पर टिक नहीं सकते थे। परन्तु अब मुझे समाचार मिला है कि इस गांव में अथवा इसके आसपास सेना ने अपनी चौकी बना ली है।

श्री हेम बरुआ : मेरा प्रश्न यह था कि इस सीमावर्ती क्षेत्र में उन भेद्य स्थानों की सुरक्षा के लिये क्यों कोई उपाय नहीं किये जाते और वहां गश्ती दल क्यों नहीं भेजे जाते जहां ऐसी घटनायें होती हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : सामान्यतः जब किसी विशेष स्थान पर कोई घटना होती है तो हम उस स्थान को भेद्य स्थान समझते है। सीमा के निकटवर्ती होने के कारण इस क्षेत्र में कोई न कोई संकट बना ही रहता हैं। हमें इनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। परन्तु माननीय सदस्य को पुलिस दल की कठिनाइयों को भी समझना चाहिये।

श्रीमती रेणुका बड़कटकी (बारपेटा) : क्या सरकार ने उस नवीन सूचना पर विचार किया है जो उन्हें उन सुरक्षा पदाधिकारियों से मिली होगी जिन्होंने गोलपारा तथा इस के आस पास के क्षेत्र का हाल ही में यह पता लगाने के लिये दौरा किया था कि यह घुसपैठ एक एक मात्र घटना थी अथवा यह पूर्वी क्षेत्र में घुसपैठ द्वारा आक्रमण करने की योजना का ही एक अंग थी?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं इसे एकमात्र घटना तो नहीं कहूंगा यह इस क्षेत्र में घुसपैठ करने की किसी योजना के अनुसार ही होगी। ऐसी इक्की दुक्की घटनाओं के लिये कोई सूचना प्राप्त करना तो बहुत कठिन है। परन्तु जैसे श्री हेम बरुआ ने सुझाव दिया है हम कुछ ऐसे क्षेत्रों को निश्चित करेंगे और फिर उनका ध्यान रखेंगे।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : As the Government of India is aware Pakistan would never pay compensation for the damage caused by them to our property so what is the use of asking them for the same and why government does not take some concrete steps in this regard?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : वह उस कार्यवाही के बारे में पूछ रहेहैं जोकि सरकार को करनी चाहिये। मेरे लिये यह बताना तो कठिन है कि सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर) : क्या लूटमार तथा आग लगाने की घटनाओं की आड़ में कुछ घुसपैठिये भी इस क्षेत्र में घुस आये हैं और यदि हां, तो क्या इन में से कुछ पकड़े गये हैं और यदि नहीं, तो सरकार क्या प्रतिकारात्मक कार्यवाही कर रही है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस विशेष घटना में घुसपैठियों द्वारा इस क्षेत्र में कोई ठिकाना नहीं बनाया गया है क्योंकि अधिकांशतः वे वापिस चले गये थे परन्तु पिछले कुछ सप्ताहों में हुई घटनाओं में हमने कुछ घुसपैठियों को मार दिया है तथा कइयों को घायल किया है।

श्री बसुमतारी (ग्वालपाड़ा) : क्या यह सच नहीं है कि सरकार ने आसाम में स्थिति की गम्भीरता के बारे में कम अनुमान लगाया है; और यदि नहीं, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान की सीमा पर मुजाहियों तथा अन्सारों का काफी जमाव है, वहां क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य ने बहुत गलत निष्कर्ष निकाला है। हमने पूर्वी पाकिस्तान तथा आसाम की समस्याओं को कभी कम महत्व नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : वह सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहते हैं इस क्षेत्र में मुजाहिद तथा घुसपैठिये नियमित रूप से आ रहे हैं।

यशवन्तराव चव्हाण : इस बात को हमने ध्यान में रख लिया है।

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur) : As the hon. Minister has just stated that Pakistani infiltrators have lifted some heads of cattle and have set some houses on fire may I know the amount of compensation demanded by Government from the Government of Pakistan for this damage?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी, नहीं। हमने उसमें प्रतिकर की किसी विशेष राशि का उल्लेख नहीं किया है।

सभा-पटल पर रखा गया पत्र

PAPER LAID ON THE TABLE

धन-कर (द्वितीय संशोधन) नियम आदि के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : मैं निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 46 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत, धन-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1965, जो दिनांक 4 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1634 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०–5231/65**]

(2) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (नवां संशोधन) नियम, 1965, जो दिनांक 15 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1659 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०–5232/65**]

सभापति तालिका
PANEL OF CHAIRMEN

अध्यक्ष महोदय : मुझे लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 9 के उप-नियम (एक) के अन्तर्गत सभा को यह सूचना देनी है कि मैंने सभापति तालिका के लिये निम्नलिखित सदस्यों को नाम-निर्देशित किया है :—

(1) श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
(2) डा० सरोजिनी महिषी
(3) श्री तयप्पा सोनावने
(4) हिज़ हाइनेस महाराजा प्रताप केशरी देव
(5) श्री विद्या चरण शुक्ल
(6) श्री पेंदकन्टि वैंकटासुब्बया

वित्त मंत्री की सोवियत संघ तथा चैकोस्लोवाकिया की यात्रा के बारे में वक्तव्य
STATEMENT REGARDING FINANCE MINISTER'S VISIT TO U.S.S.R. AND CZECHOSLOVAKIA

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं चैकोस्लोवाकिया और सोवियत संघ की अपनी यात्रा के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : क्या चैकोस्लोवाकिया सरकार ने किसी मामले पर कोई निश्चित वचन दिया है। क्या कोई विशिष्ट निर्णय भी किया गया है अथवा नहीं ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : उन परियोजनाओं का ब्यौरा इस विवरण में दे दिया गया है जिनके लिये अब उन्होंने सहायता देना स्वीकार किया है। इसके साथ साथ हमने उनको परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिये सहायता देने के प्रश्न पर भी विचार करने के लिये तैयार किया है। यह अभी विचाराधीन है।

श्री म० ला० द्विवेदी (हमीरपुर) : इस वक्तव्य में यह कहा गया है :—

"..... इस से पहले कि चैकोस्लोवाकिया सरकार अतिरिक्त सहायता की राशि बताने की स्थिति में हो, चौथी योजना में पूंजी गत वस्तुओं तथा चैकोस्लोवाकिया से आयात की जानी वाली अन्य वस्तुओं की हमारी आवश्यकताओं पर अग्रेतर बातचीत तकनीकी स्तर पर की जानी है ....."

मैं जानना चाहता हूं कि इस दिशा में इस देश में अग्रेतर बातचीत करने अथवा निकट भविष्य में चैकोस्लोवाकिया एक दल भेजने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मेरे विचार में वक्तव्य में यह बताया गया है कि चैकोस्लोवाकिया से एक दल आने की आशा है तथा हम आपसी सहयोग की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये संयुक्त दल बनाने के बारे में विचार कर रहे हैं।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : माननीय मंत्री ने अपने टिप्पण में यह लिखा है कि महसूस किया जाता है कि दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने तथा दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को और सुदृढ़ बनाने के लिये श्रम विभाजन के अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धांत से अत्यधिक लाभ उठाया जा सकता है। क्या वह इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि श्रम का अन्तर्राष्ट्रीय विभाजन कैसे होगा ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : उदाहरणार्थ चैकोस्लोवाकिया एक ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या थोड़ी है अतः वह वहां पर ऐसे उद्योग स्थापित नहीं कर सकता हैं जिनके लिये अधिक श्रमिक चाहियें। ऐसे कार्य हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास तो काफी श्रमिक हैं, तथा वह उस कार्य को मशीनों द्वारा कर सकता है जिसमें श्रमिकों की कम आवश्यकता होती है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : माननीय मंत्री द्वारा अपने टिप्पण में जो यह उल्लेख किया गया है कि सोवियत प्रधान मंत्री ने यह स्वीकार कर लिया है कि हमारी सभी अतिरिक्त प्रस्थापनाओं पर रूसी विशेषज्ञों द्वारा बहुत थोड़े समय में विचार किया जायेगा, इसका वास्तविक अर्थ क्या है ? क्या इसका अर्थ यह है कि इन प्रस्थापनाओं पर रूसी तथा भारतीय विशेषज्ञों द्वारा संयुक्त रूप से विचार किया जायेगा ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मेरे विचार में कुछ परियोजनाओं पर इस समय तीन रूसी दल विचार कर रहे हैं और अन्य परियोजनाओं पर जिनका वक्तव्य में उल्लेख किया गया है, भी विचार होगा । रूसी विशेषज्ञ यहां आयेंगे और यह स्वाभाविक है कि वे भारतीय विशेषज्ञों के साथ मिलकर इन परियोजनाओं पर विचार करेंगे ।

श्री विश्राम प्रसाद (लालगंज) : विवरण में यह बताया गया है कि मंत्री महोदय ने चौथी योजना में कुछ परियोजनाओं के लिये सहायता देने का प्रस्ताव किया था और इन प्रस्थापनाओं में यंत्रीकृत फार्मों की स्थापना तथा कृषि क्षेत्र में भूमि सुधार की कुछ योजनायें तथा पौधों की रक्षा के कार्य शामिल हैं । क्या मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में उस ब्यौरे के बारे में कुछ और प्रकाश डालेंगे जो उनके ध्यान में है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : ब्यौरेवार बातचीत तो दोनों सरकारों तथा तकनीकी दलों के बीच होगी ।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : विवरण में यह बताया गया है कि जब तक चैकोस्लोवाकिया द्वारा परियोजनाओं से भिन्न वस्तुओं के आयात करने के लिये और उधार नहीं दिया जायेगा तो हमारे लिये अपने व्यापार के सन्तुलन को बनाये रखना सम्भव नहीं होगा । व्यापार के संतुलन को बनाये रखने का यह एक अभूतपूर्व ढंग प्रतीत होता है । क्या उन अन्य राज्यों के बारे में भी ऐसे कदम उठाये जायेंगे जिनमें हमारा व्यापारांतर हमारे पक्ष में नहीं है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : अभिप्राय यह है कि जहां हम व्यापार द्वारा आयात का सन्तुलन नहीं बना रख पाते हैं वहां हम अदायगी करने के हेतु अधिक समय के लिये कहते हैं ।

श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : क्या यह सच है कि हमारे मंत्रियों तथा रूसी नेताओं द्वारा इतनी बढ़ चढ़ कर घोषणायें करने के बावजूद सोवियत आर्थिक सहायता ने कोई निश्चित रूप धारण नहीं किया है और यदि हां, तो इसमें अभी कितना और समय लगेगा ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मुझे आशंका है कि माननीय सदस्य की धारणा गलत है । हमें रूस से काफी सहायता मिल रही है ।

श्री रंगा (चित्तूर) : कितनी ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यह निरंतर मिल रही है और हमारी आवश्यकताओं के अनुसार इसमें वृद्धि हो रही है ।

श्री नरेन्द्र महीडा (आनन्द) : मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में ऐसी कई औद्योगिक परियोजनाओं का उल्लेख किया है जिनके बारे में उन्होंने चैकोस्लोवाकिया तथा सोवियत रूस से बातचीत की है । परन्तु उन में इस देश में ट्रैक्टरों अथवा किन्हीं अन्य कृषि उपकरणों का निर्माण करने के बारे में कोई योजना शामिल नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : वह ऐसी चीजों के बारे में नहीं पूछ सकते हैं जो कि विवरण में शामिल नहीं हैं ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : जब हम अपनी कृषि में सुधार करने का प्रयत्न कर रहेहैं तो ऐसा करने के लिये हमें कृषि-यंत्रों तथा ट्रैक्टरों की आवश्यकता है और इनका निर्माण देश में ही होना चाहिये। क्या हम ऐसी परियोजनाओं के बारे में नहीं सोच सकते हैं ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : हम चैकोस्लोवाकिया की सहायता से एक ट्रैक्टरों का कारखाना स्थापित करने की योजना पर विचार कर रहे हैं।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Had the Hon. Minister had a talk with the Soviet authorities about military aid with a view to strengthen our navy and making it self-sufficient; and if so, whether any aid is likely to be received soon as a result thereof?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यह प्रश्न प्रतिरक्षा मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये।

श्री बड़े (खारगोन) : विवरण में कहा गया है कि जांच की शर्तों को व्यापक बनाया जायेगा जिससे प्रस्तावित कोर्बा अल्यूमीनियम कारखाना तथा कोयला सम्बन्धी अधिक परियोजनाओं को अतिरिक्त सुविधायें दी जा सकें। वह सुविधायें कौनसी हैं जो दी जानी हैं और कोर्बा अल्यूमीनियम परियोजना के लिये कितनी राशि दी जानी है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : हमारा विचार कोर्बा में एक लाख टन का कारखाना स्थापित करने का है। अतिरिक्त सुविधाये जिनकी जांच करने के लिये कहा गया है वे ये हैं कि वहां पर एक रोलिंग मिल भी लगाई जाये।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : It is not clear from the statement as to how far our requirements of the Fourth Plan will be met by the Soviet assistance?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : राशिगत रूप में इसका निर्धारण करना तो बहुत कठिन है क्योंकि सोवियत रूस तथा चैकोस्लोवाकिया से जो सहायता मिलती है वह परियोजनाओं के अनुसार मिलती है। जब उन्हें किन्हीं विशिष्ट परियोजनाओं के लिये कहा जाता है, यदि वह उनके लिये सुविधाजनक तथा उनकी योजना के अनुरूप होती हैं तो वे सहायता देते हैं।

श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर) : चंकि पुर्जों के अभाव के कारण भारी संख्या में असैनिक तथा सैनिक उपकरण अब बेकार पडे है, क्या इस विषय में सोवियत रूस अथवा चैकौस्लोवाकिया के साथ बातचीत की गई थी और वे किस हद तक हमारी सहायता कर सकते हैं ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मुझे इस बात का कोई पता नहीं है कि सोवियत रूस से सहायता-प्राप्त पुर्जों के अभाव के कारण परियोजनाओं की क्रियान्विति रूक गई हैं। यदि कुछ ऐसी परियोजनायें हैं तो वे परियोजनाओं से भिन्न कार्यों के लिये सहायता की उस योजना के अन्तर्गत आ जायगी, जिसको हमने उनके विचारार्थ प्रस्तुत किया है।

श्री हेम बरुआ : श्रीमान्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब अगले दिन हमने वित्त मंत्री को रूस की यात्रा के बारे में सभा में वक्तव्य देने के लिये कहा तो उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया था परन्तु इसके बाद तीसरे पहर उन्होंने प्रेस को एक बयान दे दिया। कल अपने इस सम्बन्ध में आश्वासन दिया था कि जब वित्त मंत्री यहां उपस्थित होंगे तब उनसे पूछा जायेगा। अतः अब उन से पूछा जाना चाहिये कि उन्होंने ऐसा क्यों किया ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : चाहे मुझ में कितनी ही कमियां हों परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि जहां तक संसदीय शिष्टाचार का सम्बन्ध है, इस बारे में मेरी जानकारी में कोई कमी नहीं है। सभा को यह बताने के पश्चात कि मैं सभा में एक व्यापक वक्तव्य दूंगा, मैंने कोई बयान जारी नहीं किया है। वास्तव में उन मंत्रियों की, जो विदेशों में जाते हैं, स्थिति यह है कि उन्हें प्रेस का सामना करना पड़ता है। मुझे मास्को, बम्बई तथा फिर पालम हवाई अड्डे पर कुछ प्रश्नों के उत्तर देने पड़े। इन के अतिरिक्त संसद में वक्तव्य देने के पश्चात मैंने प्रेस को कोई बयान जारी नहीं किया है।

श्री हरि विष्णु कामत : संसद में वक्तव्य देने से पहले न कि बाद में।

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—जारी

BANARAS HINDU UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री मु० क० चागला द्वारा 24 नवम्बर, 1965 को प्रस्तुत इस प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा आरम्भ करेगी, अर्थात् "कि बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय अधिनियम, 1915 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य-सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

श्री० प्र० रं० चक्रवर्ती अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : विद्यार्थी उस प्रकार सोच विचार नहीं कर सकते जिस प्रकार कि हम कर सकते हैं। वह भावनाओं में बह रहे हैं। चुनौती देने और उसका पीछा करने के स्थान पर हमें स्थिति स्पष्ट करने के प्रयत्न करने चाहियें। सरकार को वास्तविक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। आज लोगों को यह सन्देह है कि जब संसद के सामने यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है, शायद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम में से "मुस्लिम" शब्द हटाने के बारे में विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जायेगा, इस लिये सबसे अच्छी बात यह होगी कि धार्मिक संज्ञा वाले नाम हटाने के लिए बनारस और अलीगढ़ विश्वविद्यालयों सम्बन्धी एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जाये। हम चुनौती दे रहे है कि अनुशासनहीनता सहन नहीं की जायेगी। उचित सूझबूझ द्वारा हमें स्वस्थ वातावरण स्थापित करना चाहिये।

सभी धार्मिक और साम्प्रदायिक नाम हटाये जाने चाहियें। किसी संस्था के साथ किसी व्यक्ति का नाम नहीं जोड़ा जाना चाहिये। इतना बड़ा नाम कठिनाई से बोला जा सकता है। मैं पंडितजी का नाम इस से सम्बन्द करने का घोर विरोधी हूं। पंडितजी एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे। उनके नाम का उस प्रकार प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये।

हमें युक्तियुक्त, व्यवहार्य और यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। सरकार को युक्तिपूर्वक विचार करना चाहिये और इस विधेयक को इस प्रक्रम पर वापिस लिया जाना चाहिये।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं नियम 109 के अंतर्गत यह प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस विधेयक पर अग्रेतर वाद-विवाद स्थगित किया जाये।"

श्री मी० रू० मसानी (राजकोट) : श्रीमान्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरे विचार में सभा के नियमों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। कल जब वाद-विवाद आरम्भ हुआ था तो माननीय सदस्य ने यही प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और यह प्रस्ताव रद्द कर दिया गया था। इस लिये, चर्चा जारी रहनी चाहिये।

[श्री० मि० रू० मसानी]

ऐसे दो नियम हैं जिनमें कहा गया है कि ऐसे प्रस्ताव नहीं दोहराये जाने चाहियें। नियम 186(6) में यह कहा गया है कि किसी प्रस्ताव को ग्राह्य होने के लिये निम्नलिखित शर्त पूरी होनी चाहिये अर्थात् "ऐसे विषय पर फिर चर्चा नहीं चलाई जायेगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो"। नियम 388 के अन्तर्गत भी "किसी प्रस्ताव में ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता जो सारवान् रूप से उस प्रश्न के समान हो जिस पर सभा उसी सत्र में विनिश्चय कर चुकी हो" कल स्थगन प्रस्ताव था। आज वाद-विवाद को स्थगित करने सम्बन्धी प्रस्ताव है। सारवान् रूप से प्रस्ताव वही है। इसलिये चर्चा स्थगित करने का प्रस्ताव अब प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। सभा की गरिमा और प्रतिष्ठा बनायी रखी जानी चाहिये।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नाम निर्देशित-आंग्ल-भारतीय) : मैं नियम 109 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव रखने जा रहा था। यह नियम स्पष्ट है। कोई सदस्य, अध्यक्ष महोदय की सम्मति से, समय समय पर ऐसा प्रस्ताव, जो मूल प्रस्ताव न हो, प्रस्तुत कर सकता है।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का निर्णय सभा को करना है। जहां तक व्यवस्था के प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं श्री फैंक एन्थनी से सहमत हूं। चर्चा के दौरान भी किसी समय नियम 109 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। इस नियम से हम यह प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर रोक नही लगा सकते।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : यह उचित नहीं होगा कि चर्चा के दौरान, जिस में न तो समय गुज़रने से और न ही किसी दूसरे विशेष कारण से कोई बाधा हुई हो, एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार दुबारा किया जाये जो सभा में कल पेश हुआ था और अस्वीकृत हुआ था। कुछ साम्प्रदायिक तत्व इस सभा को धमकी दे रहे हैं। **(अन्तर्बाधायें)**

अध्यक्ष महोदय : जहां तक व्यवस्था का प्रश्न है, इस का निर्णय सभा द्वारा किया जा सकता है। सभा किसी प्रकार मत दे सकती है। अब मैं प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पर अग्रेतर वाद-विवाद स्थगित किया जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ। / *The Lok Sabha Divided.*

अध्यक्ष महोदय : विभाजन का परिणाम यह है :

पक्ष में 137; विपक्ष में 51/Ayes 137; Noes 51

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। / *The motion was adopted.*

श्री सिंहासन सिंह : श्रीमान्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्री रघुनाथ सिंह यहां एक ईंट लाये हैं।

अध्यक्ष महोदय : आज प्रातः काल मुझे डा० लोहिया का लखनऊ से टेलीफोन आया है कि विश्वविद्यालय की प्रत्येक ईंट पर यह तीन शब्द लिखे हुए हैं "काशी विश्वविद्यालय" **(अन्तर्बाधा)** मैं नहीं जानता कि क्या यह ठीक है अथवा नहीं। वायसराय ने इस की नींव रखते समय भी इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया था।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं ईंट लाया हूं। इस पर लिखा हुआ है, "काशी हिंदू विश्वविद्यालय" यदि आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। (अन्तर्बाधा)

अध्यक्ष महोदय : आज नहीं।

श्री हरि विष्णु कामत : जब इस विधेयक पर अग्रेतर चर्चा आरम्भ हो तो हम ईंट देख सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसका निर्णय सदस्यों ने करना है।

एकस्व विधेयक—जारी

PATENTS BILL—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब हम एकस्व विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने सम्बन्धी निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार आरम्भ करेंगे :

"कि पेटन्टों से संबन्धित विधि को संशोधित और समेकित करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की 45 सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाए, जिसमें इस सभा के 30 सदस्य, अर्थात् : श्री कृष्णमूर्ति राव ; सेठ अचल सिंह ; श्री पीटर अल्वारेस ; श्री बड़े ; श्री प० ला० बारूपाल ; श्री दीनेन भट्टाचार्य ; श्री विभूति मिश्र ; श्री प्र० चं० बरुआ ; सरदार दलजीत सिंह; श्री बसन्त कुमार दास ; श्री व० बा० गांधी ; श्री एच० के० वी० गौड़ ; श्री काशी राम गुप्त ; श्री प्रभु दयाल हिम्मतसिंहका ; श्री मा० ल० जाधव ; श्री मैथ्यू मणियंगाडन ; श्री मी० रु० मसानी ; श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा ; श्री विभुधेन्द्र मिश्र ; श्री छोटू भाई पटेल ; श्री० नवल प्रभाकर ; श्री रामनाथन् चेट्टियार ; श्री श्यामलाल सर्राफ ; श्री अ० त्रि० शर्मा ; डा० चं० भा० सिंह ; डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी ; श्री पेंदेकन्टि वैंकटासुब्बया ; श्री कृ० क० वारियर ; श्री बालकृष्ण वासनिक और श्री राम सेवक यादव और राज्य सभा के 15 सदस्य हों;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये; गणपूर्त्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को अगले अधिवेशन के दूसरे सप्ताह के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य बातों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य-सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।"

श्री जोकीम आल्वा (कनारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह विधेयक इस सभा में बहुत पहले लाया जाना चाहिये था। आज हम इस विधान द्वारा उचित नियंत्रण लागू कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं और मानवता की उचित भावना ला रहे हैं।

मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात के लिये पहल की है कि एकस्व विधेयक वैसा नहीं होना चाहिये जैसा कि वह औषधियों के सम्बन्ध में है। स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू की यह राय थी कि औषधियों और बच्चों के भोजन सामग्री के लिए कोई एकस्व नहीं होना चाहिये परन्तु दिखाई देता है कि उन पर अब भी एकस्व विधेयक लागू होगा

[श्री जोकीम आल्वा]

हमें औषधि उद्योग का सदा के लिए राष्ट्रीयकरण करना चाहिये। हम प्रत्येक महत्वपूर्ण सामग्री विदेशियों के हाथ में दे रहे हैं। हम अपने बच्चों के खाद्य के लिए और अपनी औषधियों के लिए उनकी दया पर हैं। यह उद्योग उनके हाथ में नहीं रहने देना चाहिये।

इस सभा की देश के बच्चों के प्रति और अस्पतालों में जाने वाले प्रत्येक रोगी के प्रति जिम्मेवारी है। कोई निर्धन व्यक्ति 10, 15 अथवा 30 रुपये में टीका कैसे ले सकता है? एक अमरीकी वैज्ञानिक ने कहा है कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें औषधियों के मूल्य अधिकतम हैं, । ऐसी स्थिति क्यों हो जबकि माननीय मंत्री के हाथ में यह शक्ति है कि सभी एकस्व समाप्त कर दिये जायें और औषधि उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये ।

हमें विदेशी सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे देश के लोगों में औषधियां बनाने की योग्यता, क्षमता और प्रतिभा है। हमारे कुछ रसायनज्ञ (कैमिस्ट) विदेशों में गये हैं और उन्होंने बहुत से अविष्कार किये हैं। हमारे वनों में दवाइयां बनाने की सब से अधिक सामग्री है।

कुछ डाक्टर औषधियों के निर्माताओं से कमिशन लेते हैं। हमें इस समस्या के प्रत्येक प्रश्न पर निर्धन लोगों को ध्यान में रखना चाहिये ।

हमारे देश में भारतीय सहयोग के साथ 32 विदेशी साथ कार्य कर रहे हैं। सरकार को औषधियां बनाने वाले उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहिये। लग भग 30 बड़े विदेशी तथा भारतीय औषधि निर्माता इस विधेयक के विरुद्ध प्रयत्न कर रहे हैं।

कुष्ठ, क्षयरोग, रति रोग और बुखार आदि रोगों के लिए निर्धन लोगों के लिए सस्ती और प्रभावी औषधियों की व्यवस्था करनी चाहिये। सरकार का बीमार और निर्धन लोगों के प्रति कर्तव्य है ।

1948 में दवाईयों का उत्पादन 11 करोड़ रुपये के मूल्य का था और आज उनका उत्पादन एक अरब रुपये के मूल्य का है । भविष्य में यह उत्पादन सौ गुना बढ़ जायेगा। इसलिए, हमें रंगों, वस्त्रों और अन्य इंजीनियरी सामान पर से एकस्व को हटाना चाहिये ताकि भारतीय लोग जनता और देश के अधिकतम कल्याण के लिए इन वस्तुओं का उत्पादन कर सकें ।

नियंत्रक को अन्तिम रुप से अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये। मैंने पहले भी एक बार कहा था कि भारत में कुछ ऐसे भी पद हैं जो मंत्री के पद से भी बड़े हैं जैसे स्वर्ण नियंत्रक, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और खाद्य निगम के सभापति । इसलिए ऐसे लोग इस प्रकार के होने चाहियें जिनके चरित्र पर कोई आपत्ति न उठाई जा सके ।

मुझे आशा है कि संयुक्त समिति उन सभी बातों पर विचार करेगी और विधेयक उचित रुप में प्रस्तुत किया जायेगा ।

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : मैं आप की आज्ञा से एक संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 22 नवम्बर, 1965 को मेरे द्वारा प्रस्तुत विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपे जाने वाले प्रस्ताव में

(1) "Joint Committee of the Houses consisting of 45 members, 30" ["दोनों सभाओं की 45 सदस्यों की संयुक्त समिति में 30"] के स्थान पर "Joint Committee of the Houses consisting of 48 members, 32" ["दोनों सभाओं की 48 सदस्यों की संयुक्त समिति में 32"] रख दिया जाये ।

(2) क्रम संख्या (19) के बाद "(20) Shrimati Sharda Mukerjee (21) Shri P.S. Naskar" ["(20) श्रीमती शारदा मुकर्जी (21) श्री पू० शे० नास्कर"] जोड़ दिया जाये और क्रम संख्या को पुनः नम्बर दे दिये जाये ।

(3) "and 15 from Rajya Sabha" ["और राज्य सभा से 15"] के स्थान पर "and 16 from Rajya Sabha" "[और राज्य सभा से 16"] रख दिया जाये, और

(4) अन्तिम कांडिका में "15 members" ["15 सदस्य"] के स्थान पर "16 members" ["16 सदस्य"] रख दिया जाये ।

मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लिया है । हमें बच्चों के लिए प्रयोग में आने वाली दवाइयां आदि को भिन्न दृष्टिकोण से देखना चाहिये । विधेयक में ऐसी ही व्यवस्था है । इस बारे में भी हमने अवधि में अन्तर रखा है । दूसरे पेटेन्टो के बारेमें तो सम्भव है परन्तु ऐसे उत्पादों के लिए नहीं है । इन वर्षों में हम उत्पादों को पेटेन्ट करते रहे । हैं हमें प्रक्रिया को भी ऐसा करना चाहिये । इस से यहां पर उद्योग स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा । यह बहुत आवश्यक है कि हम प्रक्रिया और पेटेन्ट में भेद को समझें । इसी कारण हमने इस विधेयक में व्यवस्था की है । हमें राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि समझना चाहिये । हम एक व्यक्ति की उस की अधिक वैज्ञानिक जानकारी होने के कारण अन्य लोगों को हानि नहीं पहुंचाने दे सकते । हमें भेषजों को और दृष्टिकोण से देखना चाहिये । इन को अन्य वस्तुओं के समान नहीं समझना चाहिये ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

यह बात ठीक नहीं कि अन्य देशों में प्रक्रियाओं और एकस्वों में कोई अन्तर नहीं है । इस बारे में उन देशों की एक लम्बी सूची जिन में यह भेद है । हम भी विश्व में मान्यता प्राप्त पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं । डा० राम मनोहर लोहिया ने एकस्व के महत्व को नहीं समझा और बिना जानकारी इस विधेयक की आलोचना की है ।

हम यह भी चाहते है कि वैज्ञानिकों को उन के प्रतिभाशाली कार्य के बदले में इनाम मिलना चाहिये । उनको उनके कार्य के लिये मान्यता मिलनी चाहिये । इस लिये एकस्व पद्धति का समाप्त करना अनुचित है ।

हमारे देश ने वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य में अधिक प्रगति नहीं की है । इस लिये पेटेन्ट के लिये कुछ समय रखना आवश्यक है । आजकल दवाइयों आदि के मामले में बहुत आधुनिक आविष्कार होते रहते है और इस के लिये दस वर्ष की अवधि से अधिक समय रखना ठीक नही समझा गया । यह समय भी अधिक होगा । श्री इन्द्रजीत गुप्त ने इस बारे में 7 वर्ष की अवधि के लिए कहा है । मैं कहना चाहता हूं कि संयुक्त समिति में इस पर विचार होगा । मेरा अपना विचार यह है कि हमें राष्ट्र के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिये । श्री चटर्जी और श्री दांडेकर ने सरकार पर आरोप लगाया है कि इसने श्री राजागोपाल आय्यंगार की समिति द्वारा सुझाये गये मूल नियमों पर अमल नहीं किया है । मैं इस से सहमत नहीं हूं । उस समिति ने जो बात कही थी उस को ध्यान में रखा गया है ।

प्रतिरक्षा सम्बन्धी एकस्वों के बारे में प्रतिरक्षा मंत्रालय की पहले अनुमति लेनी होगी और उसके पश्चात ही उनका प्रकाशन किया जा सकेगा । इस विधेयक के उपबन्ध बहुत संतुलित हैं और उन में कोई ऐसी बात नहीं जिस पर किसी वर्ग को आपत्ति हो । पेटेन्ट पद्धति का उद्देश्य ही यही है कि अविष्कार करने वालों को प्रोत्साहित किया जाये ।

[श्री त्रि० ना० सिंह]

एकस्वों के नियन्त्रक को जो शक्तियां दी गई है उनपर यहां पर भ्रामक बातें कही गई हैं। इस बारेमें मैं कहना चाहता हूं कि हमें अनुभव हुआ है कि विदेशी निर्माता यहां पर निर्माण कार्य करना पसन्द नहीं करते और अदालतों में मामले ले जा कर विलम्ब कराना चाहते है । इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने नियन्त्रक को इस कार्य पर लगाया है जोकि एक विशेषज्ञ होता है । हमें इस अधिकारी पर विश्वास करना चाहिये । इस के कार्यालय में काम बहुत बढ़ गया है परन्तु कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है । यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है । इसको यहां प्रस्तुत किये जाने के बारे में विलम्ब होता रहा है । इस पर संयुक्त समिति विस्तारपूर्वक विचार करेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 22 नवम्बर, 1965 को श्री त्रि० ना० सिंह द्वारा विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपे जाने वाले प्रस्ताव में--

(1) "Joint Committee of the Houses consisting of 45 members, 30" ["दोनों सभाओं की 45 सदस्यों की संयुक्त समिति में 30"] के स्थान पर "Joint Committee of the Houses consisting of 48 members, 32" ["दोनों सभाओं की 48 सदस्यों की संयुक्त समिति में 32"] रख दिया जाये ।

(2) क्रम संख्या (19) के बाद "(20) Shrimati Sharda Mukerjee (21) Shri P. S. Naskar" ["(20) श्रीमती शारदा मुकर्जी (21) श्री पू० शे० नास्कर"] जोड़ दिया जाये और क्रम संख्या को पुनः नम्बर दे दिये जाये ।

(3) "and 15 from Rajya Sabha" ["और राज्य सभा से 15"] के स्थान पर "and 16 from Rajya Sabha" ["और राज्य सभा से 16"] रख दिया जाये; और

(4) अन्तिम कंडिका में "15 members" ["15 सदस्य"] के स्थान पर "16 members" ["16 सदस्य"] रख दिया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पेटेन्टो से सम्बन्धित विधि को संशोधित और समेकित करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की 48 सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाए, जिसमें इस सभा के 32 सदस्य, अर्थात् :--श्री एस० बी० कृष्णमूर्ति राव; सेठ अचल सिंह; श्री पीटर अल्वारेस; श्री रामचन्द्र विठ्ठल बढे; श्री पन्ना लाल बारूपाल; श्री दिनेन भट्टाचार्य; श्री विभूति मिश्र; श्री प्र० चं० बरूआ; सरदार दलजित सिंह; श्री वसंत कुमार दास; श्री व० बा० गांधी; श्री एच० के० बी० गौड; श्री काशी राम गुप्त; श्री प्रभु दयाल हिम्मत-सिंहका; श्री माधवराव लक्ष्मणराव जाधव; श्री मैथ्यू मणियंगाडन; श्री मी० रु० मसानी; श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा; श्री विभुधेन्द्र मिश्र; श्रीमती शारदा मुकर्जी; श्री प० शे० नास्कर; श्री छोटू भाई पटेल; श्री नवल प्रभाकर; श्री रामनाथन चेट्टियार; श्री श्यामलाल सर्राफ; श्री अ० त्रि० शर्मा; डा० चं० भा० सिंह; डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी; श्री पेंदेकन्टि वेंकटासुब्बया; श्री कृ० क० वारियर; श्री बालकृष्ण वासनिक और श्री राम सेवक यादव और राज्य सभा के 16 सदस्य हों;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को अगले अधिवेशन के दूसरे सप्ताह के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन देगी ;

कि अन्य बातों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें ; और

कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य-सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 16 सदस्यों के नाम इस सभा को बताये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The motion was adopted.*

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (केरल), 1965-66
DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (KERALA)—1965-66

वर्ष 1965–66 के लिये केरल राज्य के आय-व्ययक के सम्बध में अनुपूरक अनुदान की निम्नलिखित मांगे प्रस्तुत की गईं :--

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
13	पुलिस	100
25	पशुपालन . .	54,000
27	उद्योग	1,00,000
47	सरकारी निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय . . .	1,30,200

केरल की अनुपूरक अनुदानों की मांगें के सम्बध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
13	1	श्री यशपाल सिंह	पुलिस द्वारा जनता के प्रति ज्यादती	राशि को घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।
13	2	श्री यशपाल सिंह	भारत विरोधी साहित्य के परिचालन को रोकने में पुलिस की असमर्थता	राशि को घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
13	3	श्री यशपाल सिंह	राजनैतिक नेताओं को उनके राष्ट्रविरोधी वक्तव्यों के बावजूद पुलिस द्वारा गिरफ्तार न किया जाना	राशि को घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।
13	4	श्री मुहम्मद इस्माइल	भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत बन्दी बनाये गये व्यक्तियों को रिहा करने की आवश्यकता	राशि को घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।
13	5	श्री वारियर	रक्षा निधि के एकत्र करने में पुलिस की जबर्दस्ती	राशि को घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।
13	6	श्री वारियर	मजदूरों के संघों के झगड़ों में उनके हितों के विरुद्ध पुलिस का हस्तक्षेप	राशि को घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।
13	7	श्री वारियर	छोटे पुलिस कर्मचारियों से हाल के वेदन आयोग की सिफारिशों में असंतोषजनक व्यवहार	राशि को घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।
13	8	श्री वारियर	हमले तथा हत्या के मामले में पुलिस की वास्तविक अपराधियों को पकड़ने में असफलता	राशि को घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।
13	9	श्री वारियर	पुलिस के सिपाहियों पर्याप्त संख्या में रहने के क्वार्टर उपलब्ध करने की आवश्यकता	राशि को घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।
27	10	श्री मुहम्मद इस्माइल	केरल के खनिज संसाधनों से लाभ उठाने में असफलता	100 रुपये ।
27	12	श्री वारियर	केरल के खनिज तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिये अनुसंधान में विस्तार की आवश्यकता	100 रुपये ।

उपाध्यक्ष महोदय : ये मांगें तथा कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं ।

श्री वारियर (त्रिचूर) : केरल में फिर राज्यपाल का शासन लागू कर दिया गया है । वहां पर स्थिति मे किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ है । बिजली की सप्लाई में कटौती कर दी गई है । इससे उद्योग बन्द होने वाले है । पहले वहां पर मद्रास से बिजली दी जा रही थी अब वह भी बन्द कर दी गई है । ऐसा जान पड़ता है कि अब बिजली मैसूर राज्य से मिलेगी और उसके दरें भी अधिक होंगे । मेरे विचार में यह केरल की आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त नहीं होंगी । हमने एक बिजली घर के स्थापित किये जाने की मांग की थी । सरकार ने एक टेक्नीकल समिति की नियुक्ति की थी परन्तु हमें कुछ मालूम नहीं है कि क्या प्रगति हुई है ।

इसी प्रकार दैनिक स्टेट्समैन में छपा है कि केन्द्रीय सरकार ने केरल में स्थापित किये जाने वाले तेलशोधक कारखाने को बन्द करा दिया है । वह मद्रास को प्राथमिकता देना चाहती हैं । परन्तु कुछ समय पश्चात् जब मांग बढ़ जायेगी और विस्तार करना पड़ेगा तो लागत बढ़ जायेगी । अब वहां के विकास की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है । अतः इसको पहले हुए निर्णयों को बदलना नहीं चाहिये । सरकार को इस राज्य की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये ।

केरल में खनिज संसाधनों का ठीक प्रकार से लाभ नहीं उठाया गया है । वहां एक प्रयोगशाला स्थापित की जानी चाहिये । केरल में अणु शक्ति के लिये भी खनिज पदार्थ बहुत मात्रा में उपलब्ध हैं । खेद की बात है कि उनको विदेशों में भेज दिया जाता है । हमें उनका अपने ही देश में उपयोग करना चाहिये । इससे केरल राज्य को तथा राष्ट्रीय हितों को लाभ होगा । माननीय वित्त मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

हाल ही में साबरीगिरी परियोजना में मज़दूरों को एक झगड़े में बहुत कठिनाई हुई है । इस में सरकार का तथा एक सरकारी कम्पनी हिन्दुस्तान कन्सट्रक्शन कम्पनी ने मजदूरों से जो समझौता किया था उसे तोड़ा गया है । सरकार ने भी कई प्रतिबन्ध लगा दिये हैं ।

साबरीगिरी परियोजना में हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी ने मजदूरों के साथ जो कायदे किये हुए थे उनको पूरा नहीं किया है । वह कम्पनी मज़दूरों को एक पैसा भी नहीं देना चाहती है । बेचारे गरीब मजदूर बेबस हैं और वे बड़े लोगों से नहीं लड़ सकते हैं । उनका शोषण किया जा रहा है । सरकार को मज़दूरों के हितों की रक्षा करनी चाहिये और उनकी सहायता करनी चाहिये । वहां पर पुलिस ठेकेदारों का पक्ष लेती है ।

श्री मुहम्मद इस्माइल (पंजरी) : उपाध्यक्ष महोदय जी, सभा के सामने रखी गई 8 मांगों में से 5 मांगें ऐसी हैं जो सरकार की बात के परिणामस्वरूप लाई गई हैं । सरकार द्वारा अर्जित की गई भूमि के संबंध में लोगों ने सरकार के विरुद्ध मुकदमे चलाये और उनमें सरकार को हार हुई ।

सरकार भूमि अर्जन संबंधी मामलों का फैसला आपस में बैठ कर नहीं करती अपितु मुकदमेबाज़ी को बढ़ावा देती है और इस तरह सरकार को और लोगों को दोनों को काफी हानि उठानी पड़ती है और समय खराब करना पड़ता है ।

एक मामले में पुलिस ने चाय की एक दुकान से 8,000 पौंड चाय जब्त कर ली और उसको कहीं फैंक दिया । चाहिये तो यह था कि नमूनों की जांच तक उनको यह कहा जाता की स्टाक को ऐसे रखा जाये । ऐसे मामलों में जब अदालती कार्यवाही की जाती है तो सरकार को भारी जुर्माना देना पड़ता है । वहां पर पुलिस बहुत अधिक सख्ती दिखा रही है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : There is no quorum in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बजाई जा रही है--अब गणपूर्ति है।

श्री मुहम्मद इस्माइल : केरल सरकार और ठेकेदार के बीच शमशान भूमि का मामला ठेके पर हस्ताक्षर के तुरन्त बाद नहीं आया है। सरकार को लोगों की भावनाओं को जानना चाहिये था। बाद में सरकार को 3.48 लाख रु० ठेकेदार को क्षतिपूर्ति के रूप में देना पड़ा। इस प्रकार के 9 मामले हैं। मैं नहीं जानता कि इस मांग में 8 मामले क्यों दिखाये गये हैं। सरकार यह सिद्ध नहीं कर पाई है कि उसने जो कुछ किया ठीक किया। हर मामले में सरकार को हार हुई है।

इस समय केरल के उद्योगों को चलाने के लिये मद्रास राज्य से बिजली दी जाती है। मद्रास में उद्योगों को बिजली 2 पैसे प्रति यूनिट दी जाती है जब कि केरल से 9 पैसे प्रति यूनिट लिया जाता है। केरल में 44 ऐसी नदियां हैं जो सारा साल बहती हैं। यदि उनसे बिजली पैदा की जाये तो केरल अपनी आवश्यकता के लिये ही नहीं अपितु अन्य राज्यों को भी बिजली दे सकती है। इस संबंध में केरल सरकार ने केन्द्र को एक मास्टर प्लैन भी भेजा है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने उस पर क्या विचार किया है।

सरकार की युद्ध संबंधी कार्यवाहियों में और देश की एकता और अखंडता को बनाये रखने के प्रयत्नों में मुस्लिम लीगने पूरा पूरा साथ दिया है। परन्तु फिर भी मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। लोगों को भारत प्रतिरक्षा नियमों की आड़ लेकर अकारण ही गिरफ्तार किया जाता है। इससे लोगों में बड़ा असंतोष फैलता है।

केरल में राष्ट्रपति के शासन को आपात की दलील दे कर 6 महीने के लिये और बढ़ा दिया गया था। तब लोगों ने यह समझा कि ऐसे आपात के समय में चुनाव के लिये जोर नहीं देना चाहिये। परन्तु राज्यपाल ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया है कि वह बहुमत प्राप्त नहीं कर सकती है इसलिये चुनावों को स्थगित कर दिया जाये। यह अनुचित बात है। मैं तो यह देखता हूं कि कांग्रेसी नेता केरल और अन्य स्थानों को जाते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त करने की संभावना है इसलिये चुनावों को 1967 से भी पहले ही कराया जाये। आपात और लोगों के प्रति यह तो इनका रवैया है।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने केरल म देखा वहां अफसर लोग अपनी मनमानी करते हैं। उनके दिलों में जनता और जनता के प्रतिनिधियों के लिये कोई आदरभाव नहीं है। वहां का प्रशासन बहुत ढीला है। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। जून, 1958 में एक अधिकारी ने एक व्यापारी की 7,000 पौंड से भी अधिक चाय उसमें जहर मिलाने के संशयपर जब्त कर ली। दुकान के मालिक ने मुकदमा दायर किया और सरकार को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : There is no quorum in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बजाई जा रही है। अब गणपूर्ति है।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : एक और मामले में भूमि अर्जन अधिकारी ने 2,700 रु० प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देने का निर्णय दिया। जमीन के मालिक ने मुकदमा किया और 16,000 रु० अधिक देना पड़ा। केरल में अधिकारी लोगों की मांगों पर

कोई ध्यान नहीं देते हैं। केरल में स्थायी सरकार न होने के कारण ऐसी हालत हुई। जब तक राष्ट्रपति का शासन केरल में रहता है अधिकारियों को यह कहना चाहिये कि ये जनता के सेवक हैं न कि उनके मालिक। इन शब्दों के साथ मैं अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री अ० व० राघवन (बड़ागरा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि केरल की कोई विधान सभा नहीं है और वहां पर 1 वर्ष से अधिक से राष्ट्रपति का शासन है।

इस समय भूमि अर्जन अधिकारी, जिस व्यक्ति की भूमि अर्जित की जाती है उसको आपत्ति उठाने का कोई अवसर नहीं देता है। सीधे ही भूमि अर्जित कर ली जाती है और उसके मालिक को अर्जित करने के बाद में उसकी सूचना दी जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिये। अर्जन से पूर्व अर्जन अधिकारी को मूल्यांकन वक्तव्य देना चाहिये ताकि भूमि के मालिक को आपत्ति उठाने का अवसर मिल सके।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : There is no quorum in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बजाई जा रही है। अब गणपूर्ति है।

श्री अ० व० राघवन : पंचाट में यह चीज़ नहीं दी होती है कि जमीन की कीमत किस तरीके से लगाई गई है। इसलिये मेरा सुझाव है कि पंचाट देने से पूर्व पत्रों को मूल्यांकन वक्तव्य की एक प्रति दी जाये। यदि ऐसा होगा तो बहुत से मामले न्यायालयों को जाने से बच जायेंगे।

केरल में इस समय कृषि की वसूली का निर्धारण बड़े मनमाने ढंग से किया जाता है। इससे काश्तकारों को बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है। सरकार को निर्धारण संबंधी कुछ नियम रखने चाहिये।

केरल में बिजली की भारी कमी है। आज के समाचारपत्रों में यह खबर थी कि वहां के उद्योगों को बिजली की सप्लाई में 50 प्रतिशत कटौती की जा रही है। इससे वहां के लोगों को बड़ी कठिनाई हो जायेगी। हमें यह भी पता लगा है कि वहां पर ताप बिजली घर बनाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया है ; केरल में बिजली की कमी के साथ साथ मिट्टी के तेल की भी कमी है। सरकार को चाहिये कि प्रति व्यक्ति मिट्टी के तेल की मात्रा कम से कम दुगनी कर दे।

अब तक केरल की बहुत अवहेलना की गई है। परियोजनाओं की मंजूरी में वित्त मंत्रालय बाधा डालता है। इस लिये मेरा अनुरोध है कि माननीय वित्त मंत्री केरल के मामले में अधिक सहानुभूति दिखायें।

श्री रवीन्द्र वर्मा (तिरुवल्ला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह कल अपना भाषण जारी रखें।

पिछड़े वर्ग आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—जारी

MOTION RE : REPORT OF BACKWARD CLASSES COMMISSION—*Contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा पिछड़े वर्ग आयोग के प्रतिवेदन के बारे में भी यशपाल द्वारा 3 अक्तूबर, 1965 को प्रस्तुत किये गये निम्न प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा करेगी :

"कि यह सभा पिछड़े वर्ग आयोग के प्रतिवेदन (खंड I–III) तथा उस पर की गई कार्यवाही बताने वाले ज्ञापन पर, जो 3 सितम्बर, 1956 को सभा पटल पर रखे गये थे, विचार करती है।"

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : Mr. Deputy Speaker, Sir, The Report of the Backward Classes Commission was submitted in 1956 and we are going to consider that after such a long time.

In Orissa there are about 40 lakh Adivasis or Harijans. The entire aid meant for these people is consumed by the one lakh Christians.

In Jejegonda villages of Orissa about one lakh Adivasis were uprooted because a cattle exhibition had to be held there.

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुज़ा) : सभा में गणपूर्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बजाई जा रही है। अब गणपूर्ति है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : In the Nimad area of Madhya Pradesh the standing crop of the value of Rs. 1 crore belonging to the Adivasis was destroyed. Sir, with your permission I want to lay on the Table "The tale of woe of the Adivasis of Western Nimad in Congress regim (कांग्रेसी राज में पश्चिम निमाड के आदिवासियों की दुखभरी कहानी)" by Shri Bade, Member of this House. In this book he has depicted the miserable conditions of those people.

Now I want to say something about the discrimination made by Government in Public services. In 1963 out of 8,632 Class I posts only 113 were given to the Harijans and out of 14,330 Class II posts only 330 were given to the Harijans. Similarly out of 46,366 Class III posts only 5,310 were given to the Harijans.

Today the Harijans require education, upliftment and Houses. The grants for their education are not properly utilised. I want that boarding houses should be opened for them at different places so that Harijan Children can get proper food and proper education.

In villages the problem of Harijans is of land, water and Houses. Almost nothing has been done for their betterment in these respects. Government should assess the requirements and needs of the Harijans and evolve measures for their upliftment.

Government is boasting of having done much for the Harijans. The funds meant for the Harijans are not distributed equitably amongst them. There are a few Harijan leaders who appropriate the entire funds to themselves. With your permission, I lay on the Table Shri Bade's book.

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक सरकार न चाहे किसी पुस्तक को सभा पटल पर रखने की आवश्यकता नहीं है।

Dr. Mahadev Prasad (Maharajganj) : Mr. Deputy Speaker, Sir, In our Constitution we have guaranteed social, political and economic justice and equality of opportunity to everybody.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : There is no quorum in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बजाई जा रही है, अब गणपूर्ति है।

Dr. Mahadev Prasad : In ancient India the Society was divided between the King and the subject. Between these two there were a number of institutions. Later on there was division in the society and all laws were framed from the point of view of States and various Sects and sections.

Our late Prime Minister Shri Nehru had written "The achievements of India were confined only to the upper classes. The opportunities for the people belonging to the lower class were very much limited and there were great restrictions on their promotions".

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : There is no quorum in the House.

Mr. Deputy Speaker : The bell is being rung—now there is quorum.

Dr. Mahadev Prasad : That was so in the ancient India. But in the modern India also there is no change in that situation.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad) : There is no quorum in the House.

Mr. Deputy Speaker : The bell is being rung—now there is quorum.

Dr. Mahadev Prasad : The new forces is put an end to the old system of society dimly appeared by the middle of the 19th century but they could not make any impact due to the British policy of 'Divide and Rule'.

Our problem is not only of economic disparity but of caste distinction also. We have to strive for a casteless Society and economic equality. We talk of Socialistic pattern of society, but that is a dream unless we put an end to the difference between the castes. Unless, something substantial is done for the upliftment of the backward classes we cannot achieve any measure of success.

It is said that during the last 18 years much work has been done for the betterment of the backward classes. The backward classes have very little benefited from the development work carried out during the past as that was primarily related to agriculture and the people belonging to backward classes hardly possessed any land.

The landless labourers are mainly Harijans or persons belonging to backward classes and there is no improvement in their conditions as said in the 1960 report regarding landless labourers.

All the high places in our public services are occupied by the persons mostly belonging to the upper classes. This is the root cause of the trouble. Government should create more avenues for the backward classes people. I hope Government will bring about necessary changes for the betternment of the Harijans and persons belonging to the backward classes.

श्री दे० जी० नायक (पंचमहल) : मैं श्री यशपाल सिंह जी को इस प्रस्ताव के लिए मुबारकबाद देता हूं क्योंकि ऐसा होने पर ही पिछड़े वर्गों के आयोग के प्रतिवेदन पर विचार हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गत 9 वर्षों तक इस प्रतिवेदन पर क्यों विचार नहीं किया गया। क्या सरकार इस समस्या को हल करने के प्रति जागरूक नहीं है। मुझे इस बात का पूरा अहसास है कि इस दिशा में बहुत कुछ किया गया है। आश्चर्य की बात यह है कि हालांकि पिछड़े वर्ग की समस्याओं को सुलझाने के लिये बहुत कुछ किया गया है, फिर भी इस वर्ग के लोग अभी तक समाज का निम्नवर्ग ही है। जैसे जैसे सारे समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ा है, वैसे वैसे इन वर्गों में भी शिक्षा का प्रसार हुआ है। आयोग ने सामान्यतः इस के लिये कुछ परिमाण निश्चित किये हैं। पिछड़े वर्गों की जो सूची बनाई गई है वह काफी लम्बी है। लगभग 2399 जातियां उसके अन्तर्गत आती है। 1911 जातियों की संख्या 11.57 करोड़ हैं और 9 लाख अनुसूचित जातियों को बीच में शामिल कर लें तो यह संख्या 21 करोड़ के लगभग हो जाती है। आयोग ने महिलाओं को पिछड़े वर्ग में रखा है। यह ठीक है कि पिछड़ी महिलायें देश में है, लेकिन आगे बड़े हुए वर्गों में सारी की सारी महिलाओं को पिछड़े हुई नहीं कहा जा सकता। पिछड़े वर्गों कों यथा सम्भव सर्वोत्तम ढंगों से शिक्षित किया जाना चाहिये और फिर उन्हें सेवाओं, व्यापार वाणिज्य तथा उद्योग में पूरा पूरा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। इस दिशा में काका कालेलकर का कहना ठीक है कि रोग उतना बुरा नहीं, जितने की बुरे साधनों से हम उसका उपचार करना चाहते हैं।

मेरा इस बारे में निवेदन है कि जब तक हम हिन्दु समाज से जातीपात तथा छुआछुत को नहीं मिटा सकते तब यह समाज आगे नहीं चल सकता। इस देश को आगे ले जाने के लिये यह उंचनीच की भावनायें हटनी चाहिये। यह भी एक तथ्य है कि पिछड़े वर्गों कों योजनाओं तथा सामुदायिक विकास योजनाओं से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ हैं। सरकार को कुछ करना होगा, परन्तु इसके साथ ही इस क्षेत्र में गैर सरकारी अभिकरणों के कार्य की बहुत आवश्यकता है जब तक निरन्तर इस के लिये कार्य नहीं किया जाता। यह जाति प्रथा की लानत को हम समाप्त नहीं कर सकते। और ऐसा न होने से पिछड़े वर्गों के लिये समाज में कोई स्थान नहीं बनेगा।

Shri Sarjoo Pandey (Rasra) : I wonder why the Backward Classes Commission's report has not been considered in this House for the last so many years since 1956, probably. The party in power is satisfied with only paper reforms. I cannot understand anything of the Backward Classes, on the basis of Caste. This is primarily an economic problem. Until and unless these people do not get economic relief, their status cannot be raised and the hardships of the economically backward people should be removed.

Another thing which I want to say is that the attitude of the Government officials towards the backward classes is unsympathetic. They are not giving proper treatment at any time. Government should enact a legislation whereby a provision may be made to give stringent punishments to all those who behave irresponsibly in this direction. Nobody should dare to ill-treat the people of backward classes. We should give the report of the Backward Classes Commission every year and they should be given a respectful share in the service. Efforts should be made to bring about a radical change in the outlook of Hindu society regarding the people of backward classes.

Shrimati Laxmi Bai (Vicarabad) : There are good points in the report of the Backward Classes Commission. But it is really very sad that the House is discussing this report of the Backward Classes Commission after such a long time. In future we should learn a lesson and work according to the spirit of time.

We are trying to follow the principle of Gandhi and Nehru and trying to create a classless society We should try to create conditions so that all sections of the people may live in good conditions. It is only thus that we can live in healthy society. The aim of this classless society should urge us to improve the conditions of the backward people. Education standard of the people working in the villages should be improved. And the backward classes should be given adequate facilities. In order to create conditions for social security, as provided in this constitution, it is very necessary that immediate steps should be taken to implement the recommendations of the Backward Classes Commission. Special amounts should be sanctioned in order to improve the areas inhabited of the backward people in the interest of social security.

Shri Maurya (Aligarh) : I congratulate Shri Yashpal Singh for this discussion on the report of Backward Classes Commission. Where the ruling party Congress failed, there a member of the opposition succeeded. We have been the target of invasion many a time. We must keep our old history before us, and see that we are surrounded by the enemies, China in the north and Pakistan in the West . We were defeated in the Course of history not because we were powerless, but because we were badly divided into Castes and Creeds.

[श्री विद्याचरण शुक्ल पीठासीन हुए
SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA *in the Chair.*]

I am strongly of the opinion that the independence of the country will be in great danger if our Government does not pay attention to the condition of the scheduled castes, scheduled tribes and the other backward class people. I want to tell the people who are talking of socialism, that socialism will not come simply by eliminating economic conditions of the backward people, or by removing this economic disparity. Main hinderence in this direction is the caste system. We must therefore do away with the caste system if we really want the development of backward people.

I am of the opinion that a separate Ministry should be set up to look after the work of uplifting of the backward classes. The Minister incharge of this Ministry should be a member of the cabinet. I may also urge upon the authorities that they should find out the per capita income of the backward classes. It is very sad to find out that the Government is indifferent towards the problems of backward classes and I strongly feel that if something is not done to improve the situation, their lot will remain very miserable. And if the situation continues to the same there is a great danger of a revolution in the country.

The backward classes, should be provided services, the plea that men of integrity and intelligence are not available in the backward classes, is absolutely unfounded. This mentality will bring very disastrous results and country will have to face a revolution. If we die, we will not allow others to live, that is why, our conditions should be improved.

Shri Sheo Narain (Bansi) : Sir, this system of reservation should be done away with in the matter of recruitment and selections should be made purely on the basis of merit. This reservation system is not a good system. The candidates qualify in the written tests but they are rejected by the Board of interview. Certain qualifications should be prescribed for certain posts and selections made on that basis.

We know the history of French Revolution. If Government do not take effective steps for the betterment of the people belonging to backward classes they will have to take resort to revolutionary measures.

In the 1942 Movement Gandhiji had said two words 'Do or die'. The Congress Government does not act upon that. Government does not put confidence in we people. There is no Harijan on the post of 'Governor, Ambassador or Collector'.

In the villages the money allotted to the Harijans for the construction of wells is misappropriated by the B. D. O.'s and Block Presidents and only very little amount really goes to the Harijan.

The only solution of all these problems is that education should be made free for every body. There should be no differenciation whatsoever. There should be uniformity in the educational standards and all the qualified persons should be selected without any discrimination.

Regarding the unearthing of black money I had suggested that the Government should announce that all the currency notes of the denomination of 100 or 1000 are going to be changed. In this the entire black money in the country will come out.

There is underemployment in the rural labour. The Government should take some steps to provide them with work.

We should be self reliant in the matter of food and should not depend upon the P.L. 480 supplies.

श्री बसुमतारी (ग्वालपाड़ा) : सभापति महोदय, मेरे माननीय मित्र श्री शिवनारायण की बात से मेरे दिमाग में कुछ उलझन पैदा हो गई है। वह रिज़र्वेशन नहीं चाहते हैं। महात्मा गांधी चाहते थे कि जो लोग बहुत पिछड़े हुए हैं उनको आगे लाया जाय। इसी लिय संविधान में रिज़र्वेशन का उपबन्ध किया गया है।

महात्मा गांधी जो कुछ चाहते थे यह प्रतिवेदन उसके प्रतिकूल जाता है। इस प्रतिवेदन के अनुसार 80 प्रतिशत जनसंख्या पिछड़ी हुई है। यदि 80 प्रतिशत जनसंख्या को पिछड़ा हुआ माना जायगा तो महात्मा गांधी के उद्देश्य की पूर्ति किस प्रकार हो सकती है? कई वर्ष तक तो इस प्रतिवेदन को रद्दी की टोकरी में रखा गया।

इस संबंध में अब तक अनेक समितियां और आयोग नियुक्त किये गये हैं परन्तु उनसे कोई लाभ नहीं हुआ है क्योंकि सरकार ने किसी प्रतिवदन को ठीक तरह क्रियान्वित नही किया है और सारा पैसा व्यर्थ ही खर्च हो रहा है।

हमने देखा है कि पिछड़ी जातियों के नाम पर विकसित समुदाय लाभ उठा रहे हैं। मैं यह तो नहीं कहता कि पिछड़ी जातियों में कोई विकास नहीं हुआ है, परन्तु, उसकी गति बहुत धीमी रही है और वे अब भी बहुत पीछे है। आप किसी भी क्षेत्र को ले लीजिये, चाहे इस सभा को ही ले लीजिये आप सब जगह भारी अन्तर पायेंगे। रिज़र्वशन के बावजूद भी सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोक 1 प्रतिशत भी नहीं हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार इन लोगों को शिक्षा, सेवाओं आर्थिक उत्थान आदि के क्षेत्र में अधिक सुविधाएं दे कर उंचा उठायेगी।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Devas) : There is no quorum in the House.

सभापति महोदय : घंटी बजाई जा रही है–अब गणपूर्ति है।

श्री बसुमतारी : श्री जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि इन लोगों को केवल शिक्षा के द्वारा ही उठाया जा सकता है इसलिये इनको अच्छी शिक्षा दी जानी चाहिये। सरकार ने सार्वजनिक स्कूल और सैनिक स्कूल चलाये हैं परन्तु उनमें पिछड़ी जातियों के लिये कोई रिज़र्वेशन नहीं है। इसलिये इन लोगों के लिये उनमें दाखला लेना बडा कठिन है।

श्री मुथिया (तिरुनेलवेली) : श्रीमन्, पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिये सरकार को विभिन्न और प्रभावशाली उपाय करने चाहिये। सरकार का उद्देश्य पूरा रोज़गार दिलाना और आर्थिक और सामाजिक असमताओं को दूर करना होना चाहिये। देश के आर्थिक पुर्ननिर्माण की प्रत्येक योजना में पिछड़ी जातियों के उत्थान के उपाय शामिल किये जाने चाहिये।

देहातों में अधिकांश पिछड़े लोग खेतीहर मज़दूर हैं। वे ग्रामीण जन संख्या का 30 प्रतिशत से भी अधिक हैं। उपलब्ध सरकारी भूमि को तथा उच्चतम सीमा के बाद बची फालतू भूमि को भूमिहीन मज़दूरों में बांटा जाना चाहिये। यदि कुटीर तथा ग्रामउद्योगों को फिर से स्थापित किया जाये तो इन लोगों को रोज़गार मिल सकेगा। खेतिहर मज़दूरों के लिये निम्नतम मजूरी निर्धारित की जानी चाहिये तथा उन्हें आवास, पीने के पानी, शिक्षालय, तथा चिकित्सीय सुविधाएं दी जानी चाहिये। छोटे किसानों को समय पर ऋण तथा विपणन सुविधाएं दी जानी चाहिये। उनके मवेशियों के लिये मवेशी बीमा योजना चालू की जानी चाहिये।

पिछडे लोगों को सरकारी और गैर सरकारी उद्योगों में इन कर्मचारियों के रूप में काम करने के अधिक अवसर दिये जाने चाहिये। इसके लिये उनके प्रशिक्षण का उचित प्रबन्ध होना चाहिये।

भारत का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग हथकरघा उद्योग है। इसमें 1 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोज़गार मिलता है। हथकरघा बुनकर पिछड़ी जातियों के अन्तर्गत आते हैं। सरकार को हथकरघा उत्पादन को खरीदना चाहिये। बुनकरों की सहकारी समितियां बनाई जानी चाहिये ताकि बिचोलिये उनका शोषण न कर सकें। हथ-करघा के कपड़ों के लिये विदेशी मंडियां ढूंढी जानी चाहिये।

[श्री० मुथिया]

स्वदेशी घानी से तेल तैयार करने वालों को मिलों के प्रभाव से बचाने के लिये खाद्य तिलहन के पेलन के काम को केवल गांवों के कोल्हुओं के लिये रक्षित रखा जाये। सरकार को गांव के दस्तकारों जैसे कि तरखान और लुहार को प्रोत्साहन देना चाहिये ताकि उनकी दस्तकारी जीवित रह सके।

तटवर्ति क्षेत्रों में मछली पकड़ने वालों को सरकार ने सहायता देनी चाहिये और उन्हें नायलोन के जाल दिये जाने चाहिये। उनकी सहकारी समितियां बनाई जानी चाहिये। सरकार को मेहतरों, कुम्हारों, धोबियों और नाइयों को विशेष सहायता देनी चाहिये।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Devas) : There is no quorum in the House.

सभापति महोदय : घंटी बजाई जा रही है---अब गणपूर्ति है।

श्री मुथिया : पिछड़ी जातियों का कई प्रकार से शोषण किया जाता है और उनको इससे बचाने के लिये उपाय करना आवश्यक है। इस के लिये उपयुक्त सहकारी संस्थाएं स्थापित की जानी चाहिये। ग्रामों में पिछड़े जातियों को अच्छे संचार साधनों, सफाई व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, आवास तथा शिक्षा संबंधी सुविधाओं की आवश्यकता है। उनको ऋण दिये जाने चाहिये ताकि वे सस्ते मकान बना सकें। उनके लिये आवास समितियां बनाई जानी चाहिये।

सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिये सरकार को प्रेस, फिल्म, प्लेटफार्म तथा रेडियो का उदारता से प्रयोग करना चाहिये।

शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिये। गरीब लड़कों के लिये होस्टिलों में मुफ्त खाने और रहने का प्रबन्ध होना चाहिये। स्कूल बड़ी संख्या में चालू किये जाने चाहिये। कालिजों में विज्ञान, इंजीनियरी, चिकित्सा, कृषि आदि विषयों के संबंध में विशेष परिक्षण होना चाहिये। पिछड़ी जातियों के अर्हता प्राप्त लोगों के लिये सरकारी नौकरियों में पर्याप्त संख्या में स्थान रक्षित किये जाने चाहिये।

Shri Yamuna Prasad Mandal (Jainagar) : Mr. Chairman, Sir, according to the report women are the most backward people. If the women are uplifted the whole society gets uplifted. That country prospers where women are respected.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

Government has done something for the amelioration of the conditions of backward classes people, but still even the fringe of the problem has not been touched. Our financial stringency can be one of the reasons for this. If we want to make our nation great we will have to work for the betterment of the backward people. A separate Ministry for the amelioration of the conditions of all the backward classes should be set up. The present Ministry of the Social Security will not be able to do the work.

The conditions of the landless labour is very bad and as suggested in the Report landless labourer should be given every facility of possession of land, either individually or collectively and nobody should be allowed to possess land unless he is prepared to hold the plough in his hand.

विधि मंत्रालय तथा सामाजिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : उपाध्यक्ष महोदय, यदि पिछड़ी जातियों को एक पृथक वर्ग में समझा जाये तो लगभग 18 करोड़ लोग जो इस देश की आधी जन संख्या से भी अधिक है पिछड़ी जातियों के अन्तर्गत आ जाती है। पिछड़ी जातियों की समस्या किन्हीं अल्प संख्यक लोगों की नहीं है। बल्कि पिछड़ी जातियों की समस्या तो सारे राष्ट्र की समस्या है। श्री मंडल ने कहा कि पिछड़ी जातियों के लिये एक पृथक मंत्रालय होना चाहिये। यदि कोई हमारे देश का दौरा करे और गांव गांव में जाकर देखे तो यही कहेगा कि लगभग सारा देश पिछड़ा हुआ है। इसलिये पिछड़ी जातियों को एक पृथक मंत्रालय के कार्यभार में सौपना संभव नहीं है। देखा जाये तो सारी सरकार ही पिछड़ी जातियों की हालत को सुधारने में लगी हुई है। हमारी सरकार का एक मात्र उद्देश्य भारत के पिछड़े लोगों का उद्धार करना है।

पिछड़ी जातियों की सूचि बनाने का काम इसलिये छोड़ दिया गया कि इस में आधी से अधिक जनसंख्या को शामिल करना पड़ता। इस व्यवहारिक और प्रशासनिक कठिनाई के अतिरिक्त न्यायालयों ने भी इस पर आपत्ति उठाई है कि यह चीज़ संविधान में दिये गये मूल अधिकारो के विरुद्ध जाती है। कानून की निगाह में सब व्यक्ति एक समान हैं। यह जात पात का अन्तर सामाजिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध जाता है। पिछड़ी जातियों के कई लोग बड़े अच्छे वेतन पर रहे हैं और समृद्ध है जब कि कई ऊंची जातीयों के लोग बहुत गरीब हैं। इस जातपात की कसौटी को हमें छोड़ना होगा। संघ सरकार ने निर्णय किया है कि अब से आर्थिक कसौटी को काम में लाया जायेगा। अधिकांश राज्यों ने सरकार के इस सुझाव को माना है। सामाजिक दृष्टि से यह एक न्यायसंगत निर्णय है। केन्द्र की सभी योजनाओं में केवल उन्हीं लोगों को सहायता दी जाती है जो जिनको आर्थिक दृष्टि से इसकी आवश्यकता होती है।

अब मैं उन बातों पर आता हूं जो बहुत से माननीय सदस्यों द्वारा यहां उठाई गई हैं। डा० सरोजिनी महिषी ने कहा कि महिलायें सब से अधिक पिछड़ी हुई हैं। हमारे संविधान में महिलाओं को मताधिकार दिया गया है। हम महिलाओं की नियोग्यताओं को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम उनमें शिक्षा फैलाने के सम्बन्ध में प्रोत्साहन दे रहे हैं और लड़कियों के कालेजों तथा होस्टलों को काफी सहायता देते हैं। मताधिकार देने के बाद हमने उनमें विद्यमान सामाजिक असमताओं को दूर करने का प्रयत्न किया है। हमने एक विवाह की प्रथा जारी की। हमने महिलाओं को सम्पत्ति का अधिकार भी दिया इसलिये यह कहना ठीक नहीं है कि सरकार ने महिलाओं की उपेक्षा की है।

मेरे मित्र श्री शिव नारायण ने अनुसूचित जातियों का प्रश्न उठाया। पिछले तीन अथवा चार वर्षों के दौरान अखिल भारतीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लिये सुरक्षित रखे गये सभी पद भरे जा चुके है। दो संस्थान हैं जहां अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को विशष प्रशिक्षण दिया जाता है। भारतीय विदेश सेवा में भी अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को चुना गया है और वह योग्य अधिकारियों में से एक हैं और विदेश में भली प्रकार काम कर रहे है।

[श्री हजरनवीस]

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि सरकार पिछड़े वर्गों के लिये बहुत कुछ नहीं कर सकी है। सरकार इससे विदित है कि वह बहुत अधिक नहीं कर सकी है; कुछ सफलता मिली है परन्तु अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। जिन लाखों लोगों के साथ अन्याय हुआ था, उनके साथ हम न्याय करने का पूरा पूरा प्रयत्न कर रहे है। यहां बहुत से सुझाव दिये गये हैं और उनकी ओर निश्चय ही ध्यान दिया जायेगा।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : I am obliged to those hon. members who have taken part in the debates; I am particulary obliged to the hon. Minister for helping us in every respects in so far as the down trodden people are concerned.

The problem of backward classes is a big one and unless effective steps were taken to ameliorate the conditions of twenty-eight crores of people belonging to the backward classes of the country and unless we were able to provide them with all facilities in regard to food, clothing, housing, education and medical aid, we would not be achieving any succes in so far as our goal of socialism is concerned.

The Government ask the backward classes students to sit in the competition. How can there be a competition amongst unequals. For such students, the rules should be relaxed, I was appointed to the senate of Roorkie University where I found the rules to be very disadvantageous to the poor students. I got them changed and consequently the poor students can also now afford to study there. Poor students are rejected because of personality tests. These tests and interviews have no meaning and they must be done away with.

The Harijans do not have any place to sleep. They sleep with their cattle. The money allocated for their uplift is not used properly. This sort of approach will not bear fruit. Until the conditions of the minority is not ameliorated, the country cannot make any progress.

Shri Badrudduja has been put behind the bars. He is not being released because he belongs to minority and there is nobody to speak for him. I would like to submit to the hon. Minister that justice demands that he should be released forthwith.

I would like to say one word about the Gujar community. There are about six crores of them. Justice should also be done unto them. I would also request the hon. Minister to remove the social disabilities.

Then there is the problem of landless labourers. Until this problem is solved and the landless labourers get their rights on the land and until they are given the required facilities, agricultural production is not going to increase. In America only 22 per cent of the population is engaged on agriculture and they can feed many countries but in India although 88 per cent people are engaged on agriculture, but still we have to face food shortage. I would, therefore, request that these people should be given their rights on land otherwise we will start some agitation to achieve this end.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा पिछड़े वर्ग आयोग के प्रतिवेदन (खण्ड I-III) तथा उसपर की गई कार्यवाही बनाने वाले ज्ञापन पर, जो 3 सितम्बर, 1956 को सभा पटल पर रख गये थे विचार करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

भारत के जीवन बीमा निगम के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव–जारी

MOTION RE: ANNUAL REPORT OF LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA—*Contd.*

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं जीवन बीमा निगम के प्रतिवेदन पर विचार किये जाने वाले प्रस्ताव का तथा सदस्यों द्वारा इस पर चर्चा किये जाने का स्वागत करता हूं।

सरकार को जीवन बीमा निगम के प्रति सरकारी उपक्रम समिति की सिफारिशों की पूरी पूरी जानकारी है और इस प्रस्ताव के प्रस्तावक महोदय ने सिफारिशों की जिन बातों की ओर ध्यान दिलाया है, उनकी सरकार जांच कर रही है। सरकार ने सरकारी उपक्रम समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में अपनी टिप्पणियां भी समिति को भेजी है।

जीवन बीमा निगम की इसलिये निन्दा की गई है कि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं हुये हैं। यह न्यायोचित नहीं है। यदि लक्ष्य पूरे नहीं हुये है तो इसका कारण यह नहीं है कि सुविदित तकनीकी जानकारी की कोई कमी है। जिस बात पर विचार किया जाना चाहिये वह यह है कि बड़ी मात्रा में कारोबार बढ़ जाने के बाद समेकन की प्रक्रिया की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये, जिसमें यह महत्वपूर्ण बात है कि कारोबार अच्छी किस्म का हो और इस ओर जो प्रयास किये जा रहे हैं, उसमें आज भी लाभ हो रहा है।

व्यपगत पॉलिसियों के बारे में कहा गया है। यह सच है कि व्यपगत पॉलिसियों का अनुपात बढ़कर 8.2 प्रतिशत हो गया था; अब यह 7.5 प्रतिशत हो गया है और इस अनुपात को कम करने के लिये निगम विभिन्न उपाय कर रहा है परन्तु इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये कि ऐसे लोगों का बीमा करने से, जिन्हें कि जीवन बीमे का महत्व मालूम नहीं है, व्यपगत पॉलिसियों का अनुपात अवश्य ही बढ़ा होगा।

प्रस्तावक महोदय ने किश्तों की दरों के बारे में कहा। पिछले कुछ वर्षों में किश्तों की दरों को दो बार बदला गया है, पहले तो 1954 में राष्ट्रीयकरण के तुरन्त पहले और बाद में इसके तुरन्त बाद 1956 में जबकि दरों में एक रुपये की कमी की गई थी।

यह कहा गया है की आयु बढ़ जाने के कारण किश्तों की दरों में सुधार किया जाना चाहिये। जीवन बीमा निगम ने कहा है कि इस समूचे प्रश्न पर 1961-64 के वर्षों के लिये मरणानुपात के विस्तृत सर्वेक्षण किये जाने के बाद ही विचार किया जायेगा। आशा की जाती है कि यह प्रतिवेदन अगले वर्ष 1966 में किसी समय उपलब्ध हो जायेगा और तब उस प्रश्न के बारे में जांच की जायगी।

निगम के संगठन अथवा ढाँचे के बारे में भी कहा गया है; सरकार इस ओर भी ध्यान दे रही है और सरकार इस मामले के सभी पहलुओं की जांच करने के बाद निर्णय करेगी। अब इस निर्णय में विलम्ब नहीं होगा क्योंकि एक विशेष अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं।

[श्री० ब० रा० भगत]

वेतन बचत योजना इस समय सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के कई उपक्रमों में तथा चार राज्यों में लागू है । इसका केन्द्रीय सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों तक विस्तार लेखे सम्बन्धी कठिनाइयों का कारण सम्भव नहीं है । इस योजना के अधीन अधिक प्रोत्साहन देना सम्भव नहीं है । पहिले ही अधिक प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं ।

व्यय अनुपात को कम करने के बारे में भी कहा गया है । इस बारें में कोई मतभेद नहीं है कि व्यय अनुपात कम किया जाना चाहिये, परन्तु कुछ ऐसी बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिये जोकि जीवन बीमा निगम में अधिक व्यय का कारण है । ग्राम्य क्षेत्रों में बीमा कार्य पर अधिक व्यय आता है । जीवन बीमा कार्यालयों की संख्या बढ़ कर 750 हो गई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में गणपूर्ति नहीं है । सभा स्थगित की जाती है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, 26 नवम्बर, 1965/5 अग्रहायण, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, November 26, 1965/ Agrahayana 5, 1887 (Saka).

भा० स० मु० ना०--वि० २--६ लोक सभा/६६--२२-९-६६--600